लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड २, १९६२/१८८४ (शक)

[३० अप्रैल से ११ मई, १९६२/१० से २१ वैशाख, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumig 18·10·73.

Preservation Unit. 14-5-92
Fumigated
On 3·12·83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड २ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[तृतीय माला खंड २, अंक ११ से २०—३० अप्रैल से ११ मई, १९६२/१० से २१ वैशाख, १८८४ (शक)]

अंक ११—सोमवार, ३० अप्रैल, १९६२/१० वैशाख, १८८४ (शक) — पृष्ठ

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण — ६६९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६९, २७०, २७२, २८३, २७३ से २८१, २८४ से २८६ और २८८ से २९० — ६६९—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७१, २८२, २८७ और २९१ से २९८ — ६९४—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या २५० से ३२६ और ३२८ से ३६२ — ६९८—७४८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में — ७४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना — ७४८—५१

१. आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी . . — ७४९—५१

२. पाकिस्तान उच्च आयोग द्वारा एक ऐसे मानचित्र का परिचालन जिसमें भारत के कुछ राज्य क्षेत्रों को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया है . . . . — ७५१

३. पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर मुसलमानों का कथित जमा होना — ७५१

समितियों के लिये निर्वाचन . — ७५१–५२

१. भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति . — ७५१

२. भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति — ७५२

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक—पुरस्थापित — ७५२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . — ७५३

दैनिक संक्षेपिका . — ७९०—९६

अंक १२—मंगलवार, १ मई, १९६२/११ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . — ७९७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९९, ३०१, ३०२, ३०४ से ३०६, ३०८, ३११ से ३१५ और ३१७ से ३१९ . . — ७९७—८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३००, ३०३, ३०७, ३०९, ३१०, ३१६, ३२० से ३३६ . . . . ८२२--३३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४१२, ४१४ से ४२२, ४२४ से ४३५, ४३७ से ४४८, ४५० और ४५१ ८३३--७३

प्रक्रिया के बारे में ८७३-७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ८७४--७८

१. बिहार को कोयले का अपर्याप्त संभरण . . ८७४--७५

२. लाल किले के समीप शरणार्थियों की झोपड़ियों को आग लगना ८७५-७८

३. सशस्त्र नागा विद्रोहियों के एक दल का पूर्व पाकिस्तान की ओर जाने का समाचार . . ८७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ८७९-८०

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ के उत्तर में शुद्धि ८८०

बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में वक्तव्य ८८०-८१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ८८१--९१६

कार्य मंत्रणा समिति--

पहला प्रतिवेदन ९१६

दैनिक संक्षेपिका ९१७--२३

अंक १३--बुधवार, २ मई, १९६२/वैशाख १२, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४४, ३४६, से ३४९, ३७०, ३५१ और ३५३ ९२५--५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३४५, ३५०, ३५२, ३५४ से ३६९ और ३७१ से ३७९ ९५०--६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५२ से ५२३ . . ९६३--९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ९९६--९८

१. कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड की पुनर्रचना की आवश्यकता ९९६-९७

२. गुजरात में कपास का अधिग्रहण . . ९९७-९८

३. पूर्वी पाकिस्तान में ढाका तथा राजशाही में दंगे ९९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९९८--१०००

कार्य मंत्रणा समिति--

पहला प्रतिवेदन . . १०००

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . १००१--११

अनुदानों की मांगें (रेलवे) १०११--५७

दैनिक संक्षेपिका १०५८--६७

अंक १४—गुरुवार, ३ मई, १९६२/१३ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण— . .

प्रश्नों के मौखिक उत्तर १०६७

तारांकित प्रश्न संख्या ३८०, ३८२ से ३८६, ३९३ से ३९६ और ३९८ १०६७—९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . १०९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८१, ३९० से ३९२, ३९७ और ३९९ से ४१५ १०९४—११०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२४ से ६०२, ६०५ से ६२१ और ६२३ से ६३७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

१. स्माल स्केल वुलन मैन्युफेक्चरर्स एसोसियेशन और स्क्रीन प्रिन्टर्स द्वारा अपने समवाय बन्द कर देने की धमकी . ११५१—५२

२. हुगली के पायलेटों द्वारा त्याग पत्र देने की धमकी ११५२—५४

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में—

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११५५—५६

समितियों के लिये निर्वाचन—

१. पशु कल्याण बोर्ड . ११५६

२. भारतीय लाख उप-कर समिति . . . ११५६—५७

३. भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद का प्रशासी निकाय ११५७

अनुदानों की मांगें (रेलवे)—

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

(१) भारत को चीन को कथित अलटीमेटम ; तथा . ११६३—६४

(२) १५० नागा विद्रोहियों का पूर्वी पाकिस्तान में चले जाना ११६४—६६

बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बारे मे आधे घंटे की चर्चा—

दैनिक संक्षेपिका १२०६—१२१४

अंक १५—शुक्रवार, ४ मई, १९६२/१४ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १२१५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४१९, ४२१ से ४२५ और ४२८ से ४३३ । १२१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १२३७—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२०, ४२६, ४२७ और ४३४ से ४५० ... १२३८--४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३८, ६३९, ६४२ से ७१३ और ७१५ से ७२१ . १२४७--८१

निधन सम्बन्धी उल्लेख ... १२८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... १२८२

राष्ट्रपति का संदेश ... १२८२

सभा का कार्य १२८३

अनुदानों की मांगें (रेलवे) . . १२८३--१३१७

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक--

पुरःस्थापित और पारित . . . १३१८-१९

जनता एक्सप्रैस गाड़ियों के बारे में संकल्प ... १३१९--३८

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में संकल्प ... १३३८

दैनिक संक्षेपिका ... १३४४-५०

अंक १६—सोमवार, ७ मई, १९६२/१७ वैशाख १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ... १३५१

प्रश्नों के **मौखिक** उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१, ४५३ से ४६१, ४६३, ४६४, ४६६ और ४६७ . . १३५१--७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४६२, ४६५ और ४६८ से ४९९ . १३७६--८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७५२, और ७५४ से ७७२ ... १३८९--१४१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काश्मीर और चीन के सिंक्यांग क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारण के बारे में बातचीत करने का पाकिस्तान और चीन का कथित निर्णय ... १४१०-११

सभा पटल पर रखे गये पत्र--

समितियों में निर्वाचन--

१. राजघाट समाधि समिति और . . १४१२

२. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ... १४१३

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा ... १४१३--३८

दैनिक संक्षेपिका १४३९--१३

अंक १७, मंगलवार, ८ मई १९६२ / १८ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ से ५०४ और ५०६ सें ५१४ . . १४४५—६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . १४६९—७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ और ५१५ से ५४६ . . १४७१—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७३ से ८६०, ८६२ से ८७८, ८८०, ८८१, ८८३, ८८४, ८८६ से ९१० और ९१२ से ९२३ . . १४८६—१५५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा लैंड में भारतीय वायु सेना के एक डकोटा विमान का गिरना . १५५३-५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र— १५५५—८७

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा १५७६-७७

राष्ट्रपति की विदाई के बारे में . . . . १५८८—९६

दैनिक संक्षेपिका—

अंक १८, बुधवार, ९ मई १९६२ / १९ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५५६ और ५५८ . १५९७—१६१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . १६१९-२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५५७ और ५५९ से ६०९ . . १६२०—४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से १०२६ . . . १६४३—८७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायु सेना के अधिकारियों की कथित रिहाई १६८७

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में १६८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १६८८—९०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १६९०—१७१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . १७१५—२३

अंक १९, गुरुवार, १० मई, १९६२ / २० बैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१० से ६१५, ६१७ से ६२०, ६२३, ६२६ से ६२८, ६३८ और ६२९ से ६३२ . . . १७२५—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१६, ६२१, ६२२, ६२४, ६२५, ६३३ से ६३७ और ६३९ से ६४५ . १७५०—५७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०६९ और १०७१ से १०७७ . १७५७—८०

हुगली पोत चालकों की हड़ताल के बारे में . . . . १७८०—८२

सूचना प्राप्त करने के बारे में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में—

चीनी वाणिज्य दूतावास कलिम्पोंग से एक सिपाही पर गोली चलाया जाना . १७८२—८३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में छपाई के कागज की कमी १७८३—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७८४

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . १७२४—१८२८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १७२९—३२

अंक २०, शुक्रवार ११ मई, १९६२ / २१ बैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६ से ६४९, ६५१ से ६५५ और ६५७ से ६६३ . १८३३—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १८५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५०, ६५६ और ६६४ से ६९१ . . १८५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७८ से १०८२ और १०८४ से ११८६ १८७०—१९२३

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

माल गाड़ी और ट्रक की टक्कर १९२३—२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

१. फिजी के सम्बन्ध में जानकारी और विद्रोही नागाओं के एक और दल का पाकिस्तान को कथित प्रस्थान १९२८

GMGIPND—LS III—811 AI LSD—12-7-62—150

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, १ मई, १९६२

११ वैशाख, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री निरंजन लाल (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हाथ की घड़ियां

+

†*२९९. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री ई० मधुसूदन राव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा बंगलौर में बनाई गयी हाथ की घड़ियां जनसाधारण को कब तक उपलब्ध कर दी जायेंगी ; और

(ख) खुले बाजार में इन घड़ियों के दाम क्या होंगे ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० तीन प्रकार की घड़ियां बनाता है और वे आजकल जनता को उपलब्ध हैं। इनके मूल्य क्रमानुसार ८९ रु०, ९४ रु० और ९९ रु० प्रति घड़ी है। इस मूल्य में कर शामिल नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

444(Ai) LSD.—1.

†**श्री सुबोध हंसदा** : इन घड़ियों की वर्तमान मांग को ध्यान में रखकर क्या सरकार का विचार वार्षिक उत्पादन बढ़ाने का है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : अभी तो यह कारखाना केवल पुर्जे जुटाकर घड़ियां बनाता है जिसका अर्थ है कि ये पुर्जे आयात होते हैं। इसके लिये विदेशी मुद्रा की थोड़ी राशि उपलब्ध है। यही कारण है कि अगस्त, १९६१ के बाद लगभग ३०,००० घड़ियां बनी हैं। जब हम पुर्जों का निर्माण आरम्भ करेंगे, तो उत्पादन बढ़ जायेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री ने कहा कि यह अब केवल पुर्जे जुटा कर बनाता है। इन घड़ियों में कितने प्रतिशत स्वदेशीय पुर्जे प्रयोग होते हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : अभी तो कोई पुर्जा स्वदेशी नहीं है। सभी पुर्जे आयात किये गये हैं और वे जुटाकर घड़ी बनायी जाती है। परन्तु हमारा स्वदेश में निर्माण करने का प्रोग्राम है और पांचवें वर्ष तक स्वदेशी पुर्जों का प्रतिशत ८४ प्रतिशत हो जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : हाथ की घड़ियों के इन पुर्जों के निर्माण के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह नियमित प्रोग्राम है। पुर्जे जुटाकर घड़ी बनाने का प्रोग्राम केवल कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिये आरम्भ किया गया क्यों कि वे इन पुर्जों का निर्माण करने वाले कारखानों में काम करेंगे। अत : यह केवल आरम्भिक प्रोग्राम है। नियमित प्रोग्राम पुर्जे बनाने का है जो जनवरी, १९६३ तक आरम्भ होगा।

†**डा० गोविन्द दास** : हम देश में कब तक पुर्जे बना सकेंगे ताकि विदेशों से उनका आयात करने की आवश्यकता न रहे।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : वर्तमान प्रोग्राम यह है कि जनवरी, १९६३ तक ५४ प्रतिशत पुर्जे बनने लगेंगे। फिर प्रतिवर्ष इसमें वृद्धि होती जायेगी––प्रथम वर्ष में ५४ प्रतिशत, दूसरे वर्ष में ६० प्रतिशत, तीसरे वर्ष में ७२ प्रतिशत और चौथे वर्ष में ८४ प्रतिशत। फिर हमें सारे प्रश्न की जांच करनी होगी कि क्या अन्य पुर्जों का निर्माण करना उचित है या उनका आयात ही करते रहें।

†**श्री बासप्पा** : क्या निर्माण के लिये अपेक्षित सारी मशीन का आयात हो गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : क्रयादेश दिये जा चुके हैं और मशीन आनी आरम्भ हो गयी है।

†**श्री का० रा० गुप्त** : क्या ये घड़ियां विदेशी घड़ियों के समान ही किस्म में अच्छी होंगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वह घड़ी खरीदें और जांच करें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या अब उत्पादन लागत कम हो गयी है। यदि हां, तो कितनी कम हो गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : आजकल सभी पुर्जे आयात होते हैं और हम उस मूल्य पर बेच रहे हैं जिससे कुछ लाभ मिलता है। जब हम पुर्जे बनायेंगे, तो मूल्य और भी कम हो जायेगा।

जनता कार

+

†*३०१. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री ई० मधुसूदन राव :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री सिंहसान सिंह :

क्या **इस्पात, और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में जनता कार के निर्माण के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) अभी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह परियोजना कितने समय से विचाराधीन है ? किन किन बातों पर विचार किया जा रहा है ? क्योंकि सभा में कहा गया था कि इसका निर्माण बहुत शीघ्र होगा।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हां, श्रीमान्, यह आशा थी। परन्तु माननीय सदस्य जानते हैं कि नये मंत्री ने प्रभार संभाला है। वह इसका अध्ययन करेंगे और स्वयं को सन्तुष्ट करेंगे कि यह उचित परियोजना है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : बड़े आश्चर्य की बात है कि नये मंत्री इस मामले को शुरू से समझना चाहते हैं। नये मंत्री महोदय किन बातों पर आश्वासन या संतोष चाहते हैं जो कि उन्हें पुरानी मंत्री द्वारा छोड़ी हुई फाइलों से नहीं मिल रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं जानता हूं कि मैं नया मामला आरम्भ नहीं कर रहा हूं। कभी यह लाभदायिक होता है तो कभी हानिकारक। मेरी समस्या वर्तमान स्थितियों में विदेशी मुद्रा की है और इस बात की है कि इस परियोजना को क्या प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

†**श्री नाथ पाई** : यह मामला सभा के सामने बार बार आता है। पिछली बार उन के पूर्व-गामी ने पिछली संसद् को, इस सभा को यह निश्चित आश्वासन दिया था कि अन्तिम निश्चय की

†मूल अंग्रेजी में

घोषणा इस सभा में छः सप्ताह से भी थोड़े समय में कर दी जायेगी। उस आश्वासन का क्या हुआ ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : अब नई संसद् निर्वाचित हुई है और नये मंत्री ने प्रभार संभाला है।

†**श्री नाथ पाई** : क्या हम निरन्तर . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह मुझे कुछ समय दें ताकि मैं इस की नई जानकारी प्राप्त कर सकूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री फिर छः सप्ताह चाहेंगे।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: मुझे खेद है मैं कोई निश्चित समय नहीं बता सकता ताकि मैं भी समय के बारे में फिर न पकड़ा जाऊं।

†**श्री त्यागी** : एक दिन सभा में प्रतिरक्षा मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर दिया था कि आयुध कारखानों ई निर्माण के लिए कोई छोटी कार तैयार हो रही है। क्या मंत्री महोदय अन्य मंत्री से सहयोग करते हैं या वह कोई भिन्न कार होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यही तो कह रहे थे।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : सरकारी क्षेत्र में छोटी कार बनाने का यह बिल्कुल ही भिन्न प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव प्रतिरक्षा विभाग में नहीं अपितु उद्योग विभाग में है। मामले पर एक समिति ने विचार किया है। सारे मामले की जांच की गई है। मैं ने केवल यह कहा है कि इस की जांच करने के लिये और यदि हमें विदेशी मुद्रा चाहिये तो इस परियोजना को क्या प्राथमिकता दी जाये इस का निर्धारण करने के लिये मुझे कुछ समय चाहिये। यदि हमें अन्तिम निश्चय करना है तो मुझे वित्त मंत्री के सहयोग की भी आवश्यकता होगी।

अनेक सदस्य **उठे**।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल है अब इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहिये। श्री स० चं० सामन्त।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : प्रश्न पूछने वाले सदस्यों में मेरा भी नाम है।

†**अध्यक्ष महोदय** : औरों के नाम के साथ मैं ने उन का नाम भी देखा है। नाम के होने का अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं होता कि उन्हें पुकारा जायेगा। फिर, दो, तीन, चार बार मंत्री महोदय कह चुके हैं कि वह सारे मामले की जांच करने के लिये कुछ और समय चाहते हैं। हमें उन्हें समय देना चाहिये और फिर इस मामले को उठाना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जो भी पहिले कहा गया है, यह एकदम उस के खिलाफ है। हमें आश्वासन दिया गया था कि यह मामला मंत्री के स्तर पर अनिश्चित नहीं पड़ा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें तथ्यों की जानकारी लेने दीजिये। यह मामला शीघ्र ही उठाया जा सकता है। श्री स० चं० सामन्त।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जो कहा गया था यह उसकी खिलाफवर्जी है ।

केन्द्रीय भेषज अनुसंधान संस्था, लखनऊ

+

†*३०२. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लखनऊ स्थित केन्द्रीय भेषज अनुसन्धान संस्था के विकास का कार्यक्रम किस हद तक कार्यान्वित हो चुका है ;

(ख) हाल में कितने नये विभाग खोले गये हैं ;

(ग) क्या आवश्यक संयंत्र और यंत्र लगा दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इन्हें लगाने का काम कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) संस्था के अब नौ डिविज़न हैं और तीन सेक्शन हैं और अपेक्षित कर्मचारी व सामान भी है। इस में भेषज संबंधी अनुसन्धान और भेषजों के प्रतिमान निर्धारित होते हैं ।

(ख) ८ मार्च, १९६२ को पाइलट प्लान्ट और प्रोसेस डेवलपमेन्ट का एक नया ब्लाक, बोटेनी और फार्मकागनोली डिविज़न की इमारत और भेषज संग्रहालय के लिए एक हाल का उद्घाटन किया गया ।

(ग) और (घ). संयंत्र और मशीन लगाई जा चकी है या लगाई जा रही है। आयात वाला सामान शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि यह संस्था सड़ा कर एन्टीबायोटिक्स और संश्लिष्ट भेषज बनायेगी और यदि हां, तो क्या उसके लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इसके अनेक प्रोग्राम हैं जिनमें से एक संश्लिष्ट भेषज के बारे में है। संस्था इन नई परियोजनाओं के लिए नई इमारतें बना रही है ।

†**डा० गोविन्द दास** : जहां तक इस संस्था में खोज का संबंध है उसमें किस तरह की औषधियों की खोज होगी ? क्या उस में आयुर्वेद की और दूसरी जो भारतीय पद्धतियां हैं उनकी भी खोज होगी या किसी एक विशेष पद्धति की ही खोज होगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : संस्था औषधियों के तत्वों की जांच करेगी, यह देखगी कि उनके प्रतिमान ठीक से निर्धारित किये जाते हैं और कुछ मामलों में संश्लिष्ट औषधियां भी बनायेगी । स्वाभाविक है, आयुर्वेद या और कोई पद्धति की जिस की औषधियां उपलब्ध हैं, इस संस्था में जांच होगी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री ने कहा है कि सामान का विदेशों से आयात किया जायेगा। सामान के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हुमायून् कबिर : यह बहुत ही साधारण प्रश्न है । मैं चालू वर्ष के कार्यक्रम बता सकता हूं । चालू वर्ष के लिए कुल पूंजीगत व्यय ८ लाख रु० $^{1}/_{2}$ होगा । जब तक माननीय सदस्य मुझसे किसी परियोजना-विशेष के बारे में नहीं पूछते, तब तक कोई उत्तर देना बड़ा कठिन है ।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : जिन भेषजों की इस संस्था में खोज हो रही है वे केवल खोज की अवस्था में हैं या उनमें से कुछ का वाणिज्यिक आधार पर प्रयोग हो रहा है, और यदि हां तो वे भषज कौन कौन हैं ?

†श्री हुमायून् कबिर : खोज की प्रगति विभिन्न अवस्थाओं पर है । मेरा ख्याल है कि श्वेत कुष्ठ (ल्योकोडर्मा) के बारे में कुछ प्रगति हुई है । पिछले दिनों क्षय रोग, मधुमेह और केन्सर के बारे में भी कुछ काम हुआ है और कुछ औषधियों का देश में तथा देश के बाहर तजुर्बा हो रहा है । परन्तु जब तक क्लिनिक-प्रयोग समाप्त नहीं होता और कई वर्षों तक नहीं देखा जाता तब तक वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं होता है और यह करना खतरे से खाली भी नहीं है ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या इस संस्था में कोई संग्रहालय भी है, जिस में आधुनिक औषधियों और स्वदेशीय औषधियों के तुलनात्मक गुणों का प्रदर्शन किया गया है ?

†श्री हुमायून् कबिर : पुस्तकालय और प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार की औषधियों की तुलना की जाती है । मैं एकदम यह नहीं कह सकता कोई ऐसा संग्रहालय है जहां इन्हें तालिका के रूप में दिखाया गया है ।

अवाड़ी में भारी गाड़ियों का कारखाना

+

†*३०४. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० रं० कृष्ण : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवाड़ी में स्थापित किये जाने वाले भारी गाड़ियों के कारखाने की योजना और प्राक्कलन सरकार द्वारा तैयार और मंजूर कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कुल अनुमित व्यय कितना है ;

(ग) क्या परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है ; और

(घ) इस कारखाने में कितने प्रकार की भारी गाड़ियां बनाने का विचार है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग १६ करोड़ रु० है जिस में संयंत्र तथा मशीन, कारखाने की इमारतें और बस्ती तथा जमीन की लागत भी शामिल है ।

(ग) परियोजना स्थल पर शीघ्र ही निर्माण-कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

(घ) प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए अपेक्षित आरमर्ड वहिकल्स तथा इंजीनियरी का अन्य भारी सामान का निर्माण करने की कारखाने की क्षमता होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में]

†श्री सुबोध हंसदा : क्या इस परियोजना में कोई विदेशी सहयोग भी है और यदि हां, तो विदेशी सहयोगी कौन है ?

†श्री रघुरामैया : हां। मेसर्स विकर्स आर्म्स स्ट्रांग्स, इंजीनियरों की ब्रिटिश फर्म मुख्य परामर्श-दाता है।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या जमीन प्राप्त करने के लिए मद्रास सरकार को कोई धनराशि दी गई है और यदि हां, तो कितना धन दिया गया है ?

†श्री रघुरामैया : मद्रास सरकार ने हमें ७७० एकड़ भूमि मुफ्त दी है और वह उनका अंश-दान है।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या इस परियोजना का व्यय पूरी तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा छोड़ी गई धन राशि से पूरा होगा, और यदि हां, तो ब्रिटिश सरकार ने कुल कितनी धनराशि, विशेष कर इस परियोजना के लिए छोड़ी थी।

†श्री रघुरामैया : मैं नहीं जानता कि उन्होंने धन कहां छोड़ा था।

†श्री मं० रं० कृष्ण : मेरा ख्याल है कि यह परियोजना ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों से आरंभ हुई थी और उन्होंने इस परियोजना विशष के लिए कुछ धन अलग नियत कर दिया था।

†श्री रघुरामैया : यह पूर्णतया हमारी परियोजना है और इसका व्यय प्रतिरक्षा प्राक्कलनों से पूरा होगा।

†श्री स० मो० बनर्जी : इस कारखाने-विशेष में टैंकों के अलावा और कौन सी भारी गाड़ियां बनेंगी और इस में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

†श्री रघुरामैया : मैंने कहा था कि यह सारी आमर्ड गाड़ियां बनायेगा। मुझे विश्वास है कि सभा मुझ से प्रतिरक्षा सामान का पूरा ब्यौरा बताने को नहीं कहेगी।

अनुमान है कि इस में २५०० से ३००० व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

†श्री भागवत झा आजाद : इस कारखाने में उत्पादन आरम्भ होने पर इस की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

†श्री रघुरामैया : प्रतिरक्षा सेवाओं की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन क्षमता पर्याप्त होगी।

†श्री भागवत झा आजाद : यह कोई उत्तर नहीं है। अधिकतम क्षमता क्या है ?

†श्री त्यागी : किस प्रकार के टैंक बनेंगे ? क्या पुराने सेन्चुरियन टाइप के टैंक बनेंगे या अन्य हल्के टैंक भी बनेंगे ?

†श्री रघुरामैया : मेरे माननीय मंत्री जानते हैं कि इन विस्तृत बातों का बताना कितना खतरनाक है। मैं आशा करता हूं कि वह यह महसूस करेंगे।

†श्री यल्लमन्दा रेड्डी : विदेशी सहयोग की क्या आवश्यकता है ? सरकार और विदेशी सहयोगी का कितना कितना विनियोजन होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुरामैया : मैं ने कहा था वे परामर्शदाता हैं। धन सारा हमारा होगा।

†श्री नाथ पाई : हम ऐसी कोई बात न कहने की उनकी इच्छा पूरी तरह महसूस करते हैं जिस का अपरिचित शत्रु खास लाभ उठा सके। परन्तु क्या मैं बता दूं कि हमारे साथ विकर्स आर्मस्ट्रांग समझौता इस बात को संभव बना देगा कि 'ब्रिटिश इंडस्ट्रियल जर्नल' से सारा ब्यौरा प्राप्त हो जाये। यदि हमें यह जानकारी विदेशी पत्रिकाओं से मिल जाती है तो सभा का क्या गौरव है ? टैंक नहीं अपितु कारखाना की क्षमता बताने में उन की क्या हानि है ?

†श्री रघुरामैया : सभा में प्रतिरक्षा मंत्री ने प्राय कहा है कि हमारा कुछ कहना एक बात है और यदि विदेशी साधनों से कुछ भेद खुल जाता है, जिस की हम आशा नहीं करते, तो वह दूसरी बात है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या इन गाड़ियों के सारे पुर्जे अवाड़ी में बनेंगे या कुछ का निर्माण अन्य आयुध कारखानों में भी होगा ?

†श्री रघुरामैया : इस में धीरे धीरे सब पुर्जों का निर्माण होगा। आरम्भ में हो सकता है कि हम अन्य कारखानों से कुछ सामान लें परन्तु अन्त में यह एक आत्मनिर्भर कारखाना होगा।

†श्री यलमन्दा रेड्डी : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान में रख कर कि सारा धन हमारी सरकार लगायेगी, तो इस मामले में विदेशी सहयोग की क्या आवश्यकता है ?

†श्री रघुरामैया : टेक्निकल जानकारी और बुद्धि।

†श्री यलमन्दा रेड्डी : तो फिर इस में गोपनीय क्या है ?

मनोरंजन कर के लिये नई दिल्ली नगरपालिका का दावा

†*३०५. श्री विभूति मिश्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने यह मांग की है कि संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में जो मनोरंजन कर वसूल किया जाता है उस का एक हिस्सा उसे दिया जाया करे ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका को प्रति वर्ष औसतन कितना धन मिलेगा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) हां।

(ख) १ अप्रैल, १९६२ से नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्राधिकार से वसूल किया गया मनोरंजन-कर में से वसूली व्यय निकाल कर कमेटी को दे दिया जायेगा।

(ग) लगभग ११,८५,००० रु०।

श्री विभूति मिश्र : पिछले समय से जो टैक्स वसूल होता रहा है, क्या सरकार उस को भी देगी, या सिर्फ आगे के लिए ही देगी ?

†श्री दातार : यह १ अप्रैल, १९६२ से होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नवल प्रभाकर : दिल्ली कार्पोरेशन के हिस्से में जो इस तरह का टैक्स आता है, क्या वह उसको दिया जायगा ?

श्री दातार : दिल्ली नगरपालिका निगम अधिनियम की धारा १८४ के अन्तर्गत प्राप्ति उन्हें जाती है ।

संघ राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी समिति

+

†*३०६. { **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री वारियर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या गृह-कार्य मंत्री २६ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था के सम्बन्ध में विधि मंत्री की अध्यक्षता में स्थापित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर आगे क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : ऐसा लगता है कि हम नागालैण्ड प्रतिनिधि सरकार के लिए कोई विधान बना रहे हैं । इस स्थिति में दिल्ली आदि जैसे संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र में उसी ढंग की व्यवस्था करने में क्या कठिनाई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : संसद् के पिछले सत्र में मैंने एक वक्तव्य दिया था और कहा था कि एक समिति बनाई जायेगी जो इस बात पर विचार करेगी कि संघ प्रशासित विद्यमान राज्य क्षेत्रों में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है । तदनुसार, मैं ने एक समिति बनाई है जिस के सभापति विधि मंत्री हैं । समिति मनीपुर और त्रिपुरा गई थी और हिमाचल प्रदेश जाने वाली थी परन्तु वहां निर्वाचन होने के कारण न जा सकी । अब निर्वाचन समाप्त हो गये हैं और लगभग एक सप्ताह में समिति वहां जायेगी ।

समिति के रिपोर्ट दे देने पर हम इस मामले पर विचार करेंगे । सामान्यतया हम अन्य संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों में नागालैण्ड जैसी व्यवस्था नहीं अपना सकते ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : समिति किन विशिष्ट समस्याओं पर परामर्श कर रही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य निदेश पद देख सकते हैं । प्रेस में इन की घोषणा हो गई है ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या सभा यह समझे कि जबकि सारे राज्यों में समान और एकरूप व्यवस्था है, संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों में एक दूसरे से भिन्न प्रकार की व्यवस्था होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : वह समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करें।

†श्री नाथ पाई : क्या समिति गोआ भी जायेगी क्योंकि इस रिपोर्ट के निश्चित होने से कुछ समय पहिले से गोआ संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र हो गया है या गोआ के लिए कोई अन्य व्यवस्था कर ली गई है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : नहीं, श्रीमान।

†अध्यक्ष महोदय : यह नहीं जायेगी।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को विदित है कि ३ संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों के लोग माननीय मंत्री के वक्तव्य से सन्तुष्ट नहीं हैं। वे और अधिक वैधिक तथा कार्यपालिका अधिकार चाहते हैं ? यदि हां, इस असन्तुष्टि पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वे समिति को अपना मत बता सकते हैं और हम समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या संघ प्रशासित इन राज्य क्षेत्रों में समान ढंग का प्रशासन तथा वैधानिक निकाय बनाने की सरकार की इच्छा है, या विभिन्न प्रकार के राज्य क्षेत्रों के लिये विभिन्न प्रकार की व्यवस्था होगी ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : हम यथासम्भव एकरूप व्यवस्था करना चाहेंगे परन्तु समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करना उचित है।

†श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि देर से देर यह कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी और क्या इसी सैशन के समाप्त होने से पहले, इस सम्बन्ध में विधेयक यहां प्रस्तुत हो जायगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कमेटी तो जल्दी ही रिपोर्ट देने वाली है। जैसा मैं ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव के कारण वह वहां जा नहीं सकी। वहां से खबर आई कि अभी आप न आयें। अब कोई एक हफ्ते के अन्दर वह वहां पहुंच जाएगी। मुझे आशा तो है कि एक डेढ़ महीने के अन्दर वह अपनी रिपोर्ट दे देगी। उस को इसी सैशन में लाया जा सकेगा या नहीं यह मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन अगले सैशन में जरूर आ जायगी।

†श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री के इस उत्तर को ध्यान में रख कर कि संघ प्रशासित इन राज्य क्षेत्रों के लोग समिति के समक्ष अपना मामला पेश कर सकते हैं, क्या इस समिति के निर्देश पदों में ऐसी कोई बात शामिल है ? उन की मांग विधान सभा की है, और समिति के निर्देश पदों में वह शामिल नहीं है। अतः मैं कहूंगा कि मेरे अनुपूरक प्रश्न का यह टालने वाला उत्तर है।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह समिति क्या कर सकती है ? मान लीजिये कि कुछ लोग ऐसे भी हों जो पृथक् राज्य चाहें। सरकार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कही जाने वाली प्रत्येक बात का उत्तरदायित्व नहीं ले सकती। निर्देश-पद हैं। जिन का भिन्न मत है, वे यदि समिति को बताना न चाहें तो निश्चय ही सरकार को बता सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी नौकरी का न दिया जाना

+

†*३०८. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसे आदेश दिये हैं कि उन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी न दी जाये जिनके बारे में पुलिस से यह पता चले कि वे साम्यवादी हैं अथवा साम्यवादियों के समर्थक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिबन्ध किसी अन्य दल अथवा दलों पर भी लगा है ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). इस प्रश्न में जैसा उल्लेख किया गया है कि साम्यवादियों या साम्यवाद से सहानुभूति रखने वाले लोगों को नौकरी न देने के बारे में राज्य सरकारों को हिदायतें जारी की गई हैं, यह सर्वथा गलत है ऐसी कोई हिदायतें नहीं दी गई हैं । भारत सरकार की हिदायतों के अधीन, प्रत्येक नियुक्ति करने वाले अधिकारी का कर्त्तव्य होता है कि वह नियुक्ति करने से पूर्व अभ्यार्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करके उस की उपयुक्ता के बारे में संतोष प्राप्त करे । किसी भी व्यक्ति को केवल मात्र उसके राजनीतिक विचारों के कारण नौकरी के लिये अयोग्य नहीं माना जाता, किन्तु उन लोगों को, जिन से यह सम्भावना होती है कि नौकरी द्वारा उन में जो विश्वास किया जाएगा वे उस विश्वास का दुरुपयोग करेंगे, उन को नियुक्त नहीं किया जाता ।

एक बार सरकारी सेवा में आ जाने पर, किसी कर्मचारी को नियमों के अधीन किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक संगठन का सदस्य होने या उससे संबंध रखने से रोका जाता है । यदि सरकार को पता लग जाए कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन से संबंध रखता है, तो सरकार उस की उपयुक्तता जांचने के लिये आवश्यक सत्यापन और जांच पड़ताल करती है ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** कौन सा प्राधिकारी विध्वंसक कार्रवाइयों का निश्चय करता है और उनके साथ किन संस्थाओं का संबंध है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अवश्य ही विभागों के प्रमुख होंगे । कई कर्मचारी विध्वंसक कार्रवाइयों में भाग लेता है इस का निश्चय कौन सा प्राधिकारी करता है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** सामान्यतया, राज्य सरकारें, उनके प्रशासन विभाग या गृह कार्य मंत्रालय । इसी प्रकार केन्द्र में होता है ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** क्या पुलिस द्वारा जांच की पद्धति है । यदि हां, तो क्या यह पुलिस की जांच नियुक्ति से पूर्व की जाती है या बाद में ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** सामान्यतया यह नियुक्ति के बाद होती ह ।

†**श्री प० कुन्हन :** क्या इस का यह अर्थ है कि नागरिकों के दो वर्ग किये जाते हैं, एक वे जिन्हें नियुक्तियों का हक है और दूसरे वे जिन्हें नौकरियों का हक नहीं है, जो भारतीय नागरिकता के मूलभूत अधिकारों से वंचित करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य बहस में पड़ रहे हैं ?

†**श्री वासुदेवन नायर :** माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसी कोई हिदायतें जारी नहीं की जातीं। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिला दूं कि केरल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने इस आशय का एक वक्तव्य दिया है कि ऐसी हिदायत है जिसमें साम्यवादी दल, क्रान्तिकारी समाजवादी दल और जन संघ जैसे कुछ राजनीतिक दलों का उल्लेख है ? क्या यह सही नहीं है कि गृह-कार्य मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को स्थायी हिदायतें हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** पूछा गया प्रश्न सर्वथा भिन्न है। यह भर्ती और नियुक्ति के संबंध में है। वहां यह पूछा गया था कि क्या साम्यवादी दल के सदस्यों पर प्रतिबंध लगाया गया था। मैं ने कहा यह सही नहीं है। निस्संदेह हिदायतें हैं, वे गुप्त हैं किन्तु मैं उनको सभा से छिपाना नहीं चाहता। संविधान क अनुच्छेद ३११(२) के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कुछ प्रशासनिक हिदायतें जारी की गई हैं। और उस में एक ही राजनीतिक दल का प्रश्न नहीं है। बहुत से राजनीतिक दल और साम्प्रदायिक संगठन हैं। हम अवश्य उन मामलों में जांच करना चाहते हैं। यदि नियुक्तियां की जाती हैं, सरकार आवश्यक जांच करती है। और यदि यह पाया जाता है कि वे उपयुक्त नहीं हैं और उनमें विश्वास नहीं किया जाना चाहिये, तब कार्रवाई की जाती है।

†**श्री नम्बियार :** यह निश्चय करने की क्या कसौटी है कि कोई नागरिक उपयुक्त है या कि नहीं ? क्या पुलिसमैन, कांस्टेबल, या थानेदार या डी० एस० पी० की रिपोर्ट मात्र ? रिपोर्ट पर फैसला किस स्तर पर किया जाता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** निस्संदेह, नियुक्त करने वाला प्राधिकारी रिपोर्ट को देखता है। यह केवल पुलिस रिपोर्ट ही नहीं होती। और उच्चतम अधिकारी उन की जांच करते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मंत्री श्री दातार ने बताया है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता। यदि लोगों की सुरक्षा कारणों से छंटनी की जाती है या उन्हें बरखास्त किया जाता है तो उन के लिये कौन सा मार्ग खुला होता है ? क्या उन कर्मचारियों को उच्चतम अधिकारियों और मंत्री से मिलने का हक होता है और क्या उन की शिकायतें दूर की जाती हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह इस विषय संबंधी नियमों से मालूम हो सकता है।

†**श्री नाथ पाई :** क्या माननीय मंत्री ने इस विषय में वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार किया है कि किसी राजनीतिक दल से विचार सहमत होने पर ही किसी को दंड नहीं दिया जाना चाहिये, जब कि किसी दल की कार्रवाईयों में सक्रिय भाग लेने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये, केवल किसी दल से विचार मिलने की प्रवृत्ति को नहीं दबाना चाहिये ? क्या उन्होंने ये हिदायतें जारी करने से पहले इस बात पर ध्यान दिया था ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** वास्तव में, उत्तर में यह कहा गया है कि केवल विचार रखना काफी नहीं है और किसी भी व्यक्ति को केवल अपने राजनीतिक मत के कारण नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं समझा जाता। यह बात उत्तर में स्पष्ट कर दी गई है।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** पश्चिमी बंगाल विधान सभा में २७ मार्च को डा० वि० चं० राय के वक्तव्य को ध्यान को रखते हुए, जो एक मामले के बारे में था, जिस में लोक सेवा आयोग द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में

सिफारिश किया गया एक व्यक्ति इस कारण नहीं रखा गया था कि वह पहले साम्यवादी दल का सदस्य था, क्या सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को यह कहने की हिदायत कर सकती है कि एक साम्यवादी सरकार भूतपूर्व कांग्रेसियों को प्रशासन से निकाल सकती है और एक कांग्रेसी सरकार वही बात साम्यवादियों के साथ कर सकती है ? क्या यह केन्द्रीय सरकार की हिदायतों के कारण है या पश्चिम बंगाल में ही खास बात है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** संभवतः माननीय सदस्य ने गृह कार्य मंत्री की बात नहीं सुनी । उन्होंने दी गई हिदायतें बता दी थीं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** विधान में मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था, उसकी दृष्टि से, क्या मैं यह समझ सकता हूं कि यह बात पश्चिम बंगाल में ही है या यह माननीय गृह कार्य मंत्री के परामर्श से की गई है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** ऐसी कोई हिदायत नहीं है । मैं ने भी कुछ दिन हुए समाचारपत्र में पढ़ा था । किन्तु प्रत्येक मामले पर नियुक्त करने वाला प्राधिकारी विचार करता है । प्रत्येक मामले की जांच करना तथा निर्णय करना केन्द्रीय या राज्य सरकार का काम होता है । केवल राजनीतिक दल से संबंध रखने से कोई व्यक्ति नौकरी के लिये अयोग्य नहीं बन जाता ।

†**कुछ माननीय सदस्य** उठे——

†**अध्यक्ष महोदय :** वे अनुभव करेंगे कि मैं प्रश्न पूछने की इच्छा वाले सभी सदस्यों को अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि इससे सारा समय खर्च हो जाएगा । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस बात की अग्रेतर जांच की जाए या इस के बारे में कुछ चर्चा होनी चाहिये, तो वे अन्य उपायों का सहारा ले सकते हैं । किन्तु प्रश्न काल में किसी प्रश्न के लिये समय की सीमा होनी चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** 'राजनीतिक दल से संबंध' का क्या अर्थ है ? किस प्रकार की कार्रवाइयां दबाई जाती हैं ? क्या कांग्रेस दल भी राजनीतिक दलों में शामिल है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रह सकता. . . . **(अन्तर्बाधाएं)**

†**श्री स० मो० बनर्जी :** वे हो सकते हैं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यदि मुझे किसी विशिष्ट मामले की सूचना दी जाए, तो हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे । किन्तु किसी सरकारी कर्मचारी को वह हक नहीं है ।

प्रतिरक्षा इलेक्ट्रोनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला

†*३११. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रायणगुता में हाल में स्थापित की गई प्रतिरक्षा इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला में किस प्रकार की वैज्ञानिक खोज तथा अनुसंधान किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :** यह प्रयोगशाला इलेक्ट्रोनिक्स के अनुसंधान तथा मुख्य रूप से इन विषय में अर्थात माइक्रोवेव टैक्नीक, प्रोपेगेशन, ट्रोपीकेलाइज़ेशन,

---

†मूल अंग्रेजी में

संचार तथा नौवहन, कम्प्यूटरों, सामान, पुर्जों आदि में प्रतिरक्षा इलेक्ट्रोनिक उपकरण के डिज़ाइन और विकास के नये टैक्नीकों का विकास करने के लिये है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : कब तक प्रयोगशाला द्वारा कार्य आरंभ किये जाने की आशा ?

†**श्री रघुरामैया** : इसने काम करना आरंभ कर दिया है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या विभिन्न विषयों का अनुसंधान करने के लिये इस स्थान के आस पास अन्य प्रयोगशालाओं की श्रृंखला करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री रघुरामैया** : हम ने तीन इलेक्ट्रोनिक प्रतिष्ठान स्थापित किये हैं एक बंगलौर में, एक यहां और दूसरा दिल्ली में।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस प्रयोगशाला को स्थापित करने पर क्या लागत आई है ? यहां अनुसंधान करने के लिये कितनी राशि रखी गई है।

†**श्री रघुरामैया** : मेरे पास इसके ठीक आंकड़े नहीं हैं।

घटिया किस्म के कोयले की ढुलाई

+

†*३१२. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री ओझा :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय खान मालिक संस्था के प्रधान द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि "घटिया किस्म के कोयले के परिवहन की व्यवस्था के अभाव में बढ़िया किस्म का कोयला समाप्त हो रहा है" ; और

(ख) यदि हां, तो घटिया किस्म के कोयले का उचित परिवहन सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी हां, किन्तु इस वक्तव्य में सही स्थिति नहीं बताई गई क्योंकि घटिया ग्रेडों के वहन की कमी और बढ़िया ग्रेडों की समाप्ती के बीच कोई संबंध नहीं है। बढ़िया किस्मों का कोयला समाप्त होने का कारण यह हो सकता है कि समय बीतने के साथ-साथ खान में वह माल कम हो गया हो।

तथापि सरकार गम्भीरतापूर्वक इस बात का विचार कर रही है कि घटिया ग्रेडों के वहन के लिये कैसे परिवहन को उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़िया जा सकता है। यद्यपि अभी कुछ कहना कठिन है, सरकार प्रायमिकताओं की वर्तमान धारणा में शोधन करने में हिचकिचाहट नहीं करेगी यदि ऐसा करना संभव और लाभदायक समझा गया।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : १९६१-६२ में कोयला उद्योग की प्रतिदिन वैगनों की क्या आवश्यकता थी और कुल संभरण मांग से कितना कम रहा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मा० सदस्य समूचे देश की आवश्यकता जानना चाहते हैं। मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्रोझा : क्या यह सही है कि हमारे पास बढ़िया ग्रेड की श्रापेक्षा घटिया ग्रेड का कोयला श्रधिक है, श्रौर यदि हां, तो उनके बीच में क्या श्रनुपात है ?

†श्री के० दे० मालवीय : कुछ उद्योगों में बढ़िया ग्रेड के कोयले की घटिया ग्रेड की श्रापेक्षा श्रधिक श्रावश्यकता होती है किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, कि परिवहन की कमी के कारण घटिया किस्म का कोयला बड़ी मात्रा में जमा हो रहा है। बढ़िया ग्रेड के कोयले की कमी रहेगी जब तक हमें इस को निकालने की श्रावश्यकता रहेगी।

†श्री प्र० चं० बरुश्रा : क्या घटिया किस्म का कोयला न मिलने पर बढ़िया ग्रेड के कोयले के उपयोग के परिणामस्वरूप, बढ़िया ग्रेड का कोयला प्रयोग करने वाले उद्योगों को कठिनाई हो रही है श्रौर यदि हां तो किस मात्रा तक ?

†श्री के० दे० मालवीय : निस्सन्देह, उद्योगों को कोयला मिलने में कुछ कठिनाई हो रही है, चाहे घटिया हो या बढ़िया, क्योंकि कुछ श्रसन्तुलन हैं श्रौर उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं श्रौर श्रभी तक श्रावश्यकता के श्रनुसार परिवहन श्रौर उत्पादन नहीं बढ़ा है। किन्तु जैसा मैंने कहा है, कुछ सप्ताहों के पश्चात्, सम्भवतः हम हालात में काफी सुधार कर सकेंगे श्रौर हम सभा को बता सकेंगे कि हम कैसे स्थिति को सुधारने का विचार करते हैं।

†श्री हेम बरुश्रा : क्या सरकार का ध्यान **स्टेटसमैन** में रेलवे बोर्ड के एक सदस्य के इस श्राशय के एक लेख की श्रोर दिलाया गया है कि श्रन्तर्देशीय जल परिवहन के रास्ते कोयला नहीं ढोया जाता श्रौर यदि हां, तो क्या उद्योगों को श्रधिक कोयला मिलने के लिये परिवहन सम्बन्धी सुविधाश्रों के मार्ग में यह भी रुकावट है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं पढ़ा जिसका मा० सदस्य ने उल्लेख किया है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार का ध्यान श्राज के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की श्रोर श्राकर्षित किया गया है कि ३०,००० मजदूर जो मेरठ जिले में विविध भट्टों में काम कर रहे थे, कोयला न मिलने के कारण निकाल दिये गये हैं श्रौर यदि हां, तो सरकार वहां भट्टों को काफी कोयला देने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैंने वह समाचार नहीं देखा श्रौर न ही मुझे पता है कि ३०,००० मजदूर निकाल दिये गये हैं। किन्तु जैसा मैंने कहा सरकार प्रत्येक सम्भव प्रयत्न कर रही है कि कम प्राथमिकता वाला कोयला, जैसा कि यह कोयला जलाने वाले भट्टों में कहा जाता है, यथासम्भव श्रधिक से श्रधिक उपभोक्ताश्रों को दिया जाता है।

†श्री श्यामलाल शर्राफ : क्या सरकार को पता है कि जम्मू से केवल ५० मील दूर एक स्थान पर जिसे जंगल वैली कहा जाता है, घटिया ग्रेड के कोयले के भारी निक्षेप हैं, जिसे यदि परिवहन सुविधाएं दी जाएं श्रौर श्रच्छी तरह निकाला जाए, तो वह उत्तर भारत के समूचे प्रदेश की श्रावश्यकताश्रों को पूरा कर सकता है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मुझे पता है कि "जंगल गैली" में कोयले की खानें हैं श्रौर सरकार ने उनको निकालने के लिये कार्य श्रारम्भ कर दिया है, किन्तु प्रश्न है परिवहन की व्यवस्था का। कोयला खानें तेजी से बढ़ रही हैं। वहां से भारत के उत्तरी भागों को कोयला ढोना कठिन है किन्तु

†मूल श्रंग्रेजी में

सरकार उस स्थान से कोयले में परिवहन की व्यवस्था करने का विचार कर रही है, यदि यह सम्भव हो सका ?

†**श्री मुरारका** : क्या यह सही नहीं है कि कोयला धोने के कारखानों की कमी के कारण, जिन्होंने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया, घटिया किस्म का कोयला अच्छी तरह नहीं धोया जा रहा और उसके स्थान पर बढ़िया किस्म के कोयले का उपयोग किया जा रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : निस्सन्देह, कोयला धोने के अधिक कारखाने होंगे और सरकार ऐसे अधिकाधिक कारखाने स्थापित करने के कार्यक्रम का विस्तार कर रही है । किन्तु जैसा मैंने बताया, सीधे तरीके से बढ़िया किस्म के कोयले के उपभोग का घटिया किस्म के कोयले के परिवहन की कमी से सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के इस सुझाव का पालन किया है कि उन्हें बाक्स वैगन कोयले के सम्भरण के लिये निक्षेप बनाने चाहियें ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : बाक्स वैगन सम्भरण तेज किया जा रहा है और इस विषय में राज्य सरकारों से सहयोग की कोई कमी नहीं है । कुछ प्रविधिक कठिनाइयां हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा प्रश्न दूसरा था ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

बंगलौर में हवाई अड्डा

†*३१३. **श्री बासप्पा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि बंगलौर हवाई अड्डे के नवीकरण तथा उसके विस्तार की आवश्यकता है ;

(ख) क्या हवाई अड्डे की इमारतें प्रतिरक्षा मन्त्रालय के प्रबन्ध से हटकर परिवहन तथा संचार मन्त्रालय के अधीन चली गयी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या परिवहन तथा संचार मन्त्रालय ने इन इमारतों के हस्तान्तरण के बारे में प्रतिरक्षा मन्त्रालय से लिखा पढ़ी की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां, धावन पथ के नवीकरण तथा विस्तार का काम पूरा हो चुका है ।

(ख) हवाई अड्डे की इमारत हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट सीमित की है और परिवहन तथा संचार मन्त्रालय को हस्तांतरित नहीं की गई है ।

(ग) जी नहीं । तथापि हवाई अड्डे पर सीमान्त इमारत के निर्माण के लिये परिवहन तथा संचार मन्त्रालय को कुछ भूमि पट्टे पर देने के प्रश्न पर हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट सीमित द्वारा विचार किया जा रहा है ।

†**श्री बासप्पा** : क्या मैं यह समझूं कि इस हवाई अड्डे का संचालन परिवहन मन्त्रालय द्वारा किया जाएगा जबकि इसका स्वामित्व प्रतिरक्षा मन्त्रालय के पास है और इस विरोध के कारण इस हवाई अड्डे की उपेक्षा हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुरामैया : समूचा नियन्त्रण हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट सीमित के पास था और रहेगा। उन्होंने आवश्यक नवीकरण कार्य किया है।

श्री बासप्पा : क्या उन्होंने हवाई अड्डे का नवीकरण किया है या केवल हवाई पट्टी का ?

†**श्री रघुरामैया :** केवल धावन पथ का।

†**श्री बासप्पा :** हम धावन पथ के बारे में नहीं पूछ रहे। प्रश्न धावन पथ के बारे में नहीं, हवाई अड्डे के बारे में है। मा० मन्त्री धावन पथ के बारे में उत्तर दे रहे हैं।

†**श्री रघुरामैया :** परिवहन मन्त्रालय के साथ, नई सीमान्त इमारत बनाने के लिये बातचीत हो रही है। इस मामले पर हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट सीमित और परिवहन मन्त्रालय के बीच बातचीत हो रही है।

लिग्नाइट

+

†*३१४. { **श्री नम्बियार :**
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली में लिग्नाइट का उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(ख) बिजली घर का निर्माण पूरा होने और विद्युत जनन आरम्भ होने की कब तक आशा है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) नहीं। तथापि खान थर्मल बिजली घर की पहली इकाई के लिये अपेक्षित लिग्नाइट उत्पादन के लिये तैयार है।

(ख) थर्मल बिजली घर की पांच ५० एम० डब्ल्यू इकाइयों में से पहली का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रारम्भिक परीक्षण किये जा रहा है और इसके पूर्ण होने के पश्चात्, इकाई लगातार बिजली उत्पादन के लिये चालू की जाएगी, जो जून १९६२ के मध्य तक होगा। उसके पश्चात् बकाया चार इकाइयां एक एक करके चालू की जाने की आशा है। १९६४ के मध्य तक पूरा बिजली घर पूर्ण उत्पादन आरम्भ करने लगेगा, ऐसी आशा है।

†**श्री नम्बियार :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी हमने लिग्नाइट निकालना आरम्भ नहीं किया, क्या कर्मचारियों की छंटनी की गई है और यदि हां तो क्यों ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** लिग्नाइट वास्तव में उत्पादन करने से पहले, हमें अधिक भार को हटाना है, जिसमें लोग लगे हुए हैं मैं नहीं समझता कि काम पर लगे लोगों को अभी हटाने का कोई सवाल हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नम्बियार : क्या निवेली में इस समय श्रमिकों में बचैनी फैली हुई है और यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मुझे किसी बेचैनी का पता नहीं है । परन्तु यदि मा० सदस्य को किसी विशिष्ट मामले का पता है तो वह मुझे बता दें, और मैं जांच करूंगा ।

†श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या रूसी उपकरण देने में कुछ विलम्ब है और क्या बिजली घर के निर्माण में विलम्ब हो गया है और यदि हां तो कितना ?

†श्री के० दे० मालवीय : बिजली घर के कार्यक्रम में कुछ थोड़ा विलम्ब हो गया है, किन्तु बहुत अधिक नहीं ।

†श्री मुरारका : क्या सरकार को प्रयोगों के परिणाम प्राप्त हुए हैं जो जर्मनी में किये गये थे, जिनके लिये हमने १००० टन लिग्नाइट भेजा था ।

†श्री के० दे० मालवीय : यह प्रश्न लिग्नाइट से बिजली तैयार करने के कार्यक्रम से सम्बन्ध रखता है ।

†श्री मुरारका : प्रश्न का (क) भाग है :

"क्या निवेली में लिग्नाइट का उत्पादन आरम्भ हो गया है ।" मेरा प्रश्न है कि १००० टन लिग्नाइट प्रयोगों के लिये जर्मनी भेजा गया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को कोई रिपोर्ट मिली है और यदि हां तो परिणाम क्या है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह इस्पात के उत्पादन के बारे में है, जिसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†श्री मुरारका : चाहे उद्देश्य कुछ भी हो ।

†श्री हेडा : लिग्नाइट का एक उद्देश्य ईंधन के तौर पर काम आने वाले ब्रिकेट बनाने का है । मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद आदि नगरों में ईंधन की कमी का ध्यान रखते हुए, लिग्नाइट से ब्रिकेट क्यों नहीं बनाया जाता ?

†श्री के० दे० मालवीय : हमारा लिग्नाइट का ब्रिकेट बनाने का कार्यक्रम है । लगभग १४ लाख टन लिग्नाइट ब्रिकेट बनाने के लिये तैयार किया जाएगा । यह भी हमारे कार्यक्रम में बहुत अधिक है ।

†श्री हेडा : जब कार्यक्रम पहले से है, अभी तक निर्माण क्यों आरम्भ नहीं हुआ ?

†श्री के० दे० मालवीय : लिग्नाइट तैयार करने का समूचा कार्यक्रम चल रहा है । लगभग ३५ लाख टन लिग्नाइट तैयार करने के लिये, हमें लगभग २७० लाख घन गज अतिभार हटाना पड़ेगा । उसमें से लगभग २२० लाख हटाया जा चुका है । जब बकाया ५० लाख घन गज अतिभार हटाया जाएगा, तब हम कुछ महीनों में लिग्नाइट तैयार करना आरम्भ करेंगे ।

†श्री दासप्पा : अतिभार को हटाने के मामले में हम अनुसूची से कितना पीछे हैं, मूल अनुसूची क्या है, और अब संशोधित अनुसूची क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री के० दे० मालवीय**: मेरे पास अतिभार हटाने की अनुसूची नहीं है। मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: मा० मंत्री अभी सभा को बता रहे थे कि कभी उपकरण के संभरण में विलम्ब था। इस विलम्ब का क्या कारण है?

†**श्री के० दे० मालवीय**: जब उपकरण बाहर से आना होता है, बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें विदेश से माल आने पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिये कुछ विलम्ब अनिवार्य हो जाता है।

†**श्री नम्बियार**: क्या हम यह समझें कि क्योंकि अभी बिजली घर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, लिग्नाइट की अग्रतर खुदाई बन्द हो गई है और क्या इसका कोई दूसरा कारण है?

†**श्री के० दे० मालवीय**: जी नहीं। बिजली पैदा करने का कार्यक्रम अनुसूची के अनुसार चल रहा है। ५० एम डब्ल्यु यूनिट का पहला थर्मल बिजली घर अगले महीने जून में उत्पादन आरम्भ कर देगा।

कलकत्ता में बिड़ला प्लेनेटेरियम

†*३१५. **श्री ही० ना० मुकर्जी**: क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता में बिड़ला प्लेनेटेरियम स्थापित हो गया है और उसके कार्य संचालन में भारत सरकार का कोई नियंत्रण या दिलचस्पी नहीं होगी; और

(ख) क्या देश के अन्य नगरों में प्लेनेटेरियम स्थापित करने की कोई और योजनायें हैं?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर)**: (क) पता चला है कि कलकत्ता में बिड़ला प्लेनेटेरियम की स्थापना का काम लगभग पूरा हो चुका है। भारत सरकार का उस पर न तो कोई नियंत्रण है और न उसमें कोई दिलचस्पी है।

(ख) १९५५ में जर्मन जनवादी गणतंत्र ने एक छोटा प्लेनेटेरियम उपहार स्वरूप दिया था जो दिल्ली की नेशनल फिज़िकल लैबोरेटरी में स्थापित किया गया है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार पटना विश्वविद्यालय एक प्लेनेटेरियम स्थापित करने का इरादा रखता है। और किसी राज्य से प्लेनेटेरियम की स्थापना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी**: क्या यह सच है कि जर्मन जनवादी गणतंत्र ने कलकत्ता में प्लेनेटेरियम की स्थापना का प्रस्ताव सब से पहले भारत सरकार को किया था और भारत सरकार की उपेक्षावृत्ति के कारण बिड़ला ने प्लेनेटेरियम की स्थापना कर ली और उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया?

†**श्री हुमायून् कबिर**: जर्मन जनवादी गणतंत्र ने प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिये सहायता देने का प्रस्ताव भारत सरकार को किया था या श्री बिड़ला को किया था इसकी हमें कोई जानकारी नहीं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी**: इस देश के दिल्ली स्थित व्यापार प्रतिनिधि ने बुलेटिन में कलकत्ता में प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिये सहायता देने की घोषणा की थी। उस वक्तव्य को देखते हुए

†मूल अंग्रेजी में

क्या सरकार ने इस मामले में कुछ अकर्मण्यता का परिचय दिया है जिससे इस मामले पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रह गया ?

†**श्री हुमायून् कबिर**: मैं प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बता चुका हूं कि एक प्लेनेटेरियम दिया गया और उसे हमने लेकर दिल्ली स्थित नेशनल फिज़िकल लैबोरेटरी में स्थापित कर दिया है। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को कुछ ग़लतफहमी है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी**: बिड़ला प्लेनेटेरियम कलकत्ता में जहां स्थापित किया जा रहा है वह भारत सरकार के प्रतिरक्षा मंत्रालय की है। क्या यह सच है कि चूंकि मंत्री महोदय को बिड़ला क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी न होने से यह सब होता रहा ?

†**श्री हुमायून कबिर**: माननीय सदस्य कुछ आरोप लगा रहे हैं। वह ज़मीन पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले दस वर्षों के लिये १ रुपये के नाम मात्र के किराये पर पट्टे पर दी है और उसके बाद शेष अवधि के लिये १९६५ रुपये का निश्चित किराया लिया जायेगा।

†**श्री हेडा**: क्या बिड़ला ने प्लेनेटेरियम की स्थापना को लेकर वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय से परामर्श किया था और यदि हां, तो प्लेनेटेरियम की स्थापना पर कितना व्यय किया गया है ?

†**श्री हुमायून कबिर**: जैसा कि मैं बता चुका हूं, भारत सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। हमें पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि इस बारे में उनके साथ चर्चा हुई थी और प्लेनेटेरियम को बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार भारत सरकार की अनुमति से जनता के लाभार्थ काम में लाया जायेगा।

डा० गोविन्द दास: माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार का एक कृत्रिम नभ-मण्डल दिल्ली में भी बनाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह का कृत्रिम नभ-मण्डल जो छोटे से छोटा भी होता है उस पर कितना खर्चा पड़ता है और क्या भारतवर्ष की अन्य राजधानियों में और विश्वविद्यालयों में भी ये बनाये जा सकते हैं ?

†**श्री हुमायून कबिर**: उस पर कितना खर्चा पड़ता है इसके बारे में मैं ठीक ठीक जानकारी नहीं दे सकता। पटना विश्वविद्यालय ने सामान जुटाया है जिस पर उन्हें ४३,९८४ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मुझे एक बार बताया गया था कि जहां तक सामान का सम्बन्ध है, एक बहुत छोटे प्लेनेटेरियम पर ५०,००० रुपये खर्च करने पड़ जायेंगे। प्लेनेटेरियम की स्थापना का कुल व्यय लगभग २ लाख रुपये हो सकता है। अन्य राज्य सरकारों ने हमसे इस सम्बन्ध में अब तक कोई बातचीत नहीं की है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या यह सच है कि मैदान के जिस हिस्से पर प्लेनेटेरियन बना है वह ज़मीन केन्द्रीय सरकार की है जो उसने पश्चिम बंगाल सरकार को पट्टे पर दे दी है ताकि राज्य सरकार वह जमीन बिड़ला को दे सके ? ज़मीन पश्चिम बंगाल सरकार की है यह जानकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ है।

†**श्री हुमायून कबिर**: मैदान पर जिसका अधिकार है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है वह पश्चिम बंगाल सरकार ने दी हुई है क्या वह जमीन भारत सरकार की थी और क्या उसने पश्चिम बंगाल सरकार को पट्टे पर दी इसके लिये मंत्रालय को अलग सूचना दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** आम धारणा यह है कि कलकत्ता मैदान भारत सरकार की सम्पत्ति ह और मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। क्या सरकार ने भारत सरकार की ओर से......

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्हें जानकार नहीं है और उन्हें पता लगाना पड़ेगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** श्रीमन्, कुछ बातें मान कर चलना होता है। आप न्यायाधीश रह चुके हैं और आप तो यह जानते ही हैं।

†**श्री हुमायून कबिर :** मैदान में कई तरह की इमारतें हैं। टैगोर मंच वहां बन रहा है। वहां एक अकादमी की इमारत और गिरिजाघर है। इसलिये माननीय सदस्य वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री से यह आशा नहीं कर सकते कि उन्हें ज़मीन किसकी है यह मालूम हो।

†**श्री रामेश्वरानन्द :** अध्यक्ष महोदय, सेठ गोविन्द दास जी ने दो बार हिन्दी में प्रश्न किये लेकिन उनके उत्तर केवल इंग्लिश में दिये गये हैं। क्या इंग्लिश के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में दिये जा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जिन मेम्बर साहब ने हिन्दी में सवाल किया था, अगर वह यह चाहते कि उनको जवाब हिन्दी में दिया जाये तो जरूर ऐसा होता, लेकिन उन्होंने जब उसे मंजूर कर लिया तो फिर और कोई मेम्बर साहब उसमें दखल न दें।

एक माननीय सदस्य : वह तो हिन्दी में चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह मुझसे तो नहीं कहते। आप के कान में उन्होंने पहुंचा दिया, तो मैं क्या करूं ?

दिल्ली में टैगोर रंगमंच

+

*३१७. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में "टैगोर रंगमंच" के नाम से एक खुले रंगमंच का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप तथा निर्माण व्यय क्या होगा ;

(ग) इसमें कितने व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होगी ; और

(घ) नाटक खेलने के लिये रंगमंच कब तक तैयार हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी हां। मुमकिन है उसका नाम टैगोर रंगमंच रखा जाय।

(ख) स्टेज और आडिटोरियम इस ढंग से बनाये जा रहे हैं कि वह थियेटर, डांस, ड्रामा और विशाल प्रदर्शन सब के प्रयोग में आ सके। करीब १५ लाख रुपये खर्च होने का अन्दाजा है।

(ग) इसमें विशाल प्रदर्शन देखने के लिये क्रमशः करीब ८००० लोग बैठ सकेंगे। नृत्य और नाटक के लिये क्रमशः ५००० और १३०० लोगों को बैठाने के लिये स्टेज और आदिडटोरियम घटाया बढ़ाया जा सकता है।

(घ) प्रदर्शन के लिये रंगमंच के १५ अगस्त, १९६२ तक तैयार हो जाने की उम्मीद है।

(ग) मंच पर हो रहे हैं कार्य क्रम को देखने लिये लगभग ८००० व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की जा सकेगी। नृत्य या नाटक आदि कार्यक्रमों के लिये मंच और श्रवण-कक्षा में क्रमशः ५००० और १३०० व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की जा सकेगी।

(घ) आशा है कि नाटक प्रस्तुत करने के लिये १५ अगस्त, १९६२ तक मंच तैयार हो जायेगा।

†**श्री नवल प्रभाकर** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस के लिये कोई जगह निश्चित कर ली गई है ? यदि हां, तो कहां पर ?

श्री हुमायून कबिर : अभी पूरा बन नहीं चुका है, बन रहा है। शायद अगस्त तक तैयार हो जायेगा तब जगह किस तरह से नहीं चुनी गई है ?

श्री त्यागी : क्या नाच गाने के इस मन्दिर पर इतने लाख रुपये खर्च करने के वास्ते प्लैनिंग कमिशन से मंजूरी मिल गई थी।

श्री हुमायून कबिर : यह रवीन्द्रनाथ टैगोर सेन्टेनरी कमेटी बना रही है, इस लिये प्लैनिंग कमिशन की मंजूरी का सवाल नहीं उठता।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि इस की देख रेख और प्रबन्ध की जिम्मेदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर रहेगी या कोई प्राइवेट कमेटी बनेगी।

†**श्री हुमायून कबिर** : रंगमंच बन जाने पर एक छोटी समिति गठित करने का इरादा है जो मंच और थियेटर की देखभाल करेगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह विशिष्ट मंच केवल टैगोर के नाटकों को प्रस्तुत करने के लिये काम में लाया जायेगा या उसे सभी नाटकों, गायन और नृत्य के कार्यक्रमों के लिये काम मे लाया जायेगा ?

श्री हुमायून कबिर : यह तो मैं बता चुका हूं कि मंच सभी प्रकार के कार्यक्रमों के लिये होगा। यह तो स्पष्ट है कि उसे केवल टैगोर के नाटकों को प्रस्तुत करने के लिये काम में नहीं लाया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० गोविन्द दासः क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि भावात्मक एकता के लिये नाटक और इस प्रकार के प्रदर्शन अत्यन्त आवश्यक होते हैं, और ऐसी हालत में क्या इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि इस तरह के रंगमंच और दूसरी तरह की चीजें भिन्न भिन्न स्थानों में बनाई जायें और इस में केन्द्रीय सरकार से सहायता दी जाये ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** माननीय सदस्य शायद जानते हों कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यक्रम आरंभ कर दिया है और प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक उत्तम मंच बनाया जायेगा । इसके अतिरिक्त हमने ग्रामीण मंच के निर्माण का एक कार्यक्रम हाथ में ले लिया है और मैं अपनी याददाश्त से कह सकता हूं कि अब तक कोई २०० ग्रामीण मंच बनाये गये हैं और हमारा इरादा ऐसे और मंच बनाने का है ।

श्री रामेश्वरानन्दः यह सर्वथा असह्य बात है जो कि यत्न किया जा रहा है। हिन्दी के प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में होना चाहिये । अगर मंत्री महोदय को हिन्दी नहीं आती है तो दूसरे मंत्री महोदय उनकी जगह पर उत्तर दे सकते हैं। इस का तो यह अर्थ होता है . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि जब हिन्दी में प्रश्न किया जाये तो यत्न यह किया जाये कि हिन्दी में ही जवाब हो । मगर जब जो सवाल करने वाले मेम्बर साहब हैं उनकी तसल्ली हो जाती है उस से, तो फिर मैं उस में कैसे दखल दे सकता हूं ? दोनों भाषाओं में सवाल या जवाब किया जा सकता है । इसलिये अगर सवाल करने वाले मेम्बर साहब कहें कि हिन्दी में मिले तो जरूर दिया जायेगा । लेकिन अगर उनकी तसल्ली हो जाय तो मैं क्या कर सकता हूं ? मैं माननीय सदस्य से विनय करूंगा कि वे बैठ जायें, और जब मैं खड़ा हूं उस वक्त उनको बैठ ही जाना चाहिये । तो जो मेम्बर साहब सवाल करते हैं अगर वह जोर नहीं देते तो बिला वजह दूसरे मेम्बर साहब को भी नहीं देना चाहिये । जब स्वामी जी सवाल करेंगे तो जरूर हिन्दी में जवाब मिलेगा ।

डा० गोविन्द दास : मैं ने हिन्दी में सवाल किया था । यहां पर बार बार भाषा का प्रश्न उठता है । लेकिन मैं यहां पर भाषा के प्रश्न को लेकर कटुता उत्पन्न नहीं करना चाहता । मैं चाहता हूं कि हिन्दी चले और मैं यह भी चाहता हूं कि हिन्दी के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में दिये जायें। लेकिन अगर कोई मंत्री इसमें असमर्थ हैं तो मैं जबरदस्ती उन पर कोई चीज लादना नहीं चाहता ।

†**श्री नम्बियार :** श्रीमान् औचित्य के प्रश्न पर मेरा निवेदन है कि प्रश्न काल मंत्रियों से जानकारी प्राप्त करने के लिये होता है । यदि इस काल में हिन्दी या अहिन्दी के विवाद पर चर्चा की जाती है तो हमारे लिये बहुत कठिनाई पैदा हो जायेगी। तब तो मैं मलयालम् या तमिल में बोलना शुरू कर दूंगा । मैं कई भाषायें जानता हूं । हिन्दी के कट्टर समर्थक हमारे समय का दुरुपयोग न करें । हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । अन्य भाषाओं को हिन्दी के समकक्ष न बनाया जाये ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्यों ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्योंकि हमारे नियमों के अन्तर्गत कोई भी सदस्य हिन्दी या अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त कर सकता है । इसका तो उपबन्ध है । इसी कारण मैं यह कह रहा हूं और मेरा इरादा किसी अन्य भाषा को कम प्रतिष्ठा देने का नहीं है । सभी भाषायें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । इस सम्बन्ध में सभी भारतीय भाषायें समकक्ष हैं । किन्तु नियमों के अन्तर्गत कोई भी सदस्य यहां

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी या अंग्रेजी में ही बोल सकता है। इसलिये यदि कोई माननीय सदस्य हिन्दी में प्रश्न पूछें और माननीय मंत्री के लिये संभव हो तो उन्हें उसका उत्तर हिन्दी में देना चाहिये। किन्तु डा० गोविन्द दास ने बहुत अच्छा दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा है कि वे माननीय मंत्री द्वारा हिन्दी में उत्तर दिये जायेंगे ऐसी आशा करते हैं। मगर वह कोई कटुता पैदा नहीं करना चाहेंगे, और मेरा ख्याल है कि दूसरे माननीय सदस्य भी कोई कटुता इसमें पैदा नहीं करना चाहेंगे।

†**श्री ह० प० चटर्जी** : श्रीमान् विशेषाधिकार का एक प्रश्न है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : श्रीमन् मेरा निवेदन है कि कुछ नये सदस्य न तो हिन्दी जानते हैं और न अंग्रेजी। मेरे दाल में एक माननीय सदस्य ऐसा है। जहां तक ऐसे सदस्यों का सम्बन्ध है मैं जानना . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में नियम बिलकुल स्पष्ट हैं। जैसे भी स्थिति उत्पन्न होगी में निश्चय ही नियमों का पालन करूंगा। **अगला प्रश्न।**

आन्ध्र में उर्वरक कारखाने

†*३१८. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटागुदम और विशाखापटनम में बनने वाले उर्वरक कारखाने किस स्थिति में हैं; और

(ख) क्या इन दोनों कारखानों में कुछ विदेशी धन भी लगा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) जी, हां।

विवरण

कोटागुदम और विशाखापटनम् में उर्वरक कारखानों की स्थापना में निम्नलिखित प्रगति हुई है :—

कोटागुदम उर्वरक कारखाना : मेसर्स आन्ध्र शुगर्ज, जिन्हें इस परियोजना के लिये लाइसेंस दिया गया है, प्रविधिक और आर्थिक सहयोग के लिये एक प्रस्ताव अमरीकी फर्म से बातचीत कर रही है। पता चला है कि सहयोग की शर्तें प्रायः तय हो चुकी हैं और आशा है कि सहयोग के करार का प्रारूप सरकार की मंजूरी के लिये निकट भविष्य में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। इस बीच मेसर्ज आन्ध्र शुगर्ज़ परियोजना के लिये जमीन, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं की व्यवस्था तथा कोयले के, जो अमोनिया के उत्पादन के लिये मुख्य कच्चा माल होगा, संभरण के सम्बन्ध में कार्रवाही कर रही है ।

विशाखापटनम उर्वरक कारखाना : संग्रह द्वारा "कारोमण्डल फर्टिलाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड" नामक एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का पंजीयन कराया है जिसे

†मूल अंग्रेज़ी में

कारखाने को स्थापना और परियोजना के कार्यक्रम के लिये प्रारंभिक कार्यवाही करने के लिये लाइसेंस दिया गया है। यह प्राइवेट कम्पनी जमीन प्राप्त करने तथा स्थानीय अधिकारियों की सहायता से पानी, बिजली आदि का प्रबन्ध करने के लिये कदम उठा रहा है । इस कम्पनी े विशाखापटनम के पत्तन क्षेत्र में एक स्थान चुन लिया है और इस जमीन को प्राप्त करने के लिये पत्तन अधिकारियों से बातचीत कर रहा है ।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** : भारतीय कम्पनी ने अम ीका की प्राइवेट कम्पनी के साथ जो सहयोग करार किया है उसकी शर्तें क्या हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इस में दो कारखाने हैं। एक कोटागुदम में और दूसरा विशाखापटनम् में स्थापति होगा ।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** : मैं कोटागुदम कारखाने के बारे में जानकारी चाहता हूं ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मेरा ख्याल है कि यह करार एलाइड केमिकल कारपोरेशन नामक अमरीकी फर्म के साथ किया गया है ।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** : करार की शर्तें क्या हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह तो मुझे ज्ञात नहीं है।

†**श्री प० कुन्हन** : तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितने उर्वरक कारखाने स्थापित किये जाने वाले हैं और क्या केरल सरकार ने एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिये कहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : प्रश्न तो आन्ध्र प्रदेश के बार में है ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या विशाखापटन्म यूनिट सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है । इसके लिय किस भारतीय फर्म को लाइसेंस दिया गया है और विदेश की किस फर्म से सहयोग प्राप्त किया जायगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह एक संग्रह है और मैं समझता हूं कि विदेश की किस फर्म से सहयोग लिया जायेगा यह भी तय हो चुका है। उन्होंने ज़मीन प्राप्त करने के लिये कार्यवाही शुरू कर दी है और कारखाना अगले दो-तीन वर्षों में काम करने लग जायेगा ।

बिजली पैदा करने के लिये 'माइक्रो-हाइडल सेट'

†*३१६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार प्रतिरक्षा मंत्रालय की सहायता से बिजली पैदा करने के लिये विशेषकर आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में 'माइक्रो-हाइडल सेट' स्थापित करनें का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ठोस निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार मनीपुर की पहाड़ियों, नेफा और नागालैंड जैसे क्षत्रों में 'माइक्रो-हाइडल सेट' स्थापित करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं, आसाम सरकार ने बिजली पैदा करने के लिये आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में माइक्रो-हाइडल सेट स्थापित करने के लिय प्रतिरक्षा मंत्रालय से कोई सहायता नहीं मांगी है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मशीनी औजार संयंत्र

†*३००. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी पत्तन में एक मशीनी औजार संयंत्र स्थापित किया जाने वाला है ;

(ख) क्या इस पत्तन के लिये स्थान का चयन कर लिया गया है और उसका वित्तीय ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस स्थान का नाम क्या है और संयंत्र की स्थापना पर कितना व्यय होगा ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज लिमिटेड द्वारा सरकारी क्षेत्र में एक और यूनिट स्थापित किये जाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। स्थान का चयन करते समय निर्यात की सुविधा का ध्यान रखा जायेगा।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों को दिये गये लाइसेंस के फलस्वरूप पत्तनों के निकट निम्नलिखित यूनिट स्थापित किये जाने की आशा है :—

बम्बई	५४
कलकत्ता	४२
मदरास	४

दिल्ली के स्कूलों के अध्यापक

†३०३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को बढ़े हुए वतन, पेंशन और अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधाओं के रूप में कुछ राहत दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन अध्यापकों को और कौन कौन सी सुविधायें दी गई हैं ;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि अभी तक बहुत से सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया जिससे उनको पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और

(घ) यदि हां, तो वे सम्भवत : कब तक योजना के अन्तर्गत आ जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). दिल्ली के राजकीय स्कूलों के अध्यापकों को वेतन, पेंशन आदि के वे सभी लाभ प्रदान कर दिये गए हैं जो वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अन्य कर्मचारियों को प्रदान किए हैं। इनके अतिरिक्त अध्यापकों के बच्चे उत्तर-मैट्रिक अध्ययन के लिए योग्यता-छात्रवृतियों के भी अधिकारी हैं।

(ग) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना, दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिए, जिनमें राजकीय स्कूलों के अध्यापक भी शामित हैं अभी लागू नहीं की गई है। लेकिन वे, चिकित्सा पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं और इस प्रकार उन्हें कोई कठिनाई नहीं है।

(घ) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिए लागू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

अखिल भारत शिक्षा सेवा

†*३०७. { **श्रीमती मैमूना सुल्तान** :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारत शिक्षा सेवा बनाने की एक योजना बनाई है जिसकी केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड ने सिफ़ारिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

इस्पात और कच्चे लोहे के प्रतिधारण मूल्य

†*३०९. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३१ मार्च, १९६२ तक इस्पात और कच्चे लोहे का प्रतिधारण मूल्य निर्धारित किया जा चुका है;

(ख) १ अप्रैल, १९६० से इस मूल्य निर्धारण कार्य को लम्बित रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिधारण मूल्य निर्धारित करने के क्या आधार और क्या लाभ हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) १९६०–६१ और १९६१–६२ के लिये देय प्रतिधारण मूल्य अभी निर्धारित नहीं किये गये हैं। इस समय जो मूल्य प्रचलित हैं वे अस्थायी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रशुल्क आयोग को "साधारण" प्रतिधारण मूल्यों की सिफारिश करने के लिये तभी कहा जा सकता है जबकि निजी क्षेत्र के इस्पात कारखानों ने अपना विस्तार पूरा कर लिया हो और सरकारी क्षेत्र के कारखाने नियमित रूप से उत्पादन आरम्भ कर दें। इसलिये १९६०-६१ की समाप्ति से पूर्व प्रशुल्क आयोग से इस मामले का निर्देश नहीं किया जा सकता था। आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कुछ समय लगाया क्योंकि इस अवधि के लिये प्रतिधारण मूल्यों के निर्धारण के लिये कई नई और जटिल बातों पर विचार करना पड़ेगा।

(ग) भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिधारण मूल्य निर्धारित करने का एकमेव लाभ यह है कि भावी उत्पादन के अनुमान के आधार पर मूल्य निर्धारित करने के बजाय आलोच्य काल के मूल्यों के आधार पर मूल्य निर्धारित किये जा सकते हैं।

मध्य क्षेत्रीय परिषद्

†*३१०. **श्री विद्यावरण शुक्ल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक कब से नहीं हुई है; और

(ख) नियमित बैठकें न करने का क्या कारण है ?

†**गृह कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). मध्य क्षेत्रीय परिषद् की अन्तिम बैठक २८ अगस्त, १९६० को हुई थी। परिषद् की एक बैठक नवम्बर, १९६१ में करने का इरादा था किन्तु परिषद् के सदस्य आम निर्वाचन तथा राज्य के जरूरी मामलों के कार्य में व्यस्त रहे जिससे यह बैठक स्थगित कर देनी पड़ी।

तीसरी योजना में नये विश्वविद्यालय

†*३१९. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तीसरी योजना काल में नये विश्वविद्यालय खोलने के लिये राज्य सरकारों के विभिन्न प्रस्तावों पर सलाह देने के लिये एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं;

(ग) क्या अब तक समिति की कोई बैठक हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी कार्यवाही का क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) (१) डा० डी० एस० कोठारी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

(२) डा० ए० एल० मुदलियर, उप कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय।

(३) डा० ए० सी० जोशी, उप कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय।

(४) श्री प्रेम किरपाल, शिक्षा सचिव, भारत सरकार।

(५) श्री एस० भूतलिंगम्, वित्त सचिव, भारत सरकार।

(६) प्रोफेसर एम० वी० माथुर, अर्थ शास्त्र तथा लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय।

---

†मूल अंग्रेजी में

(७) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

(ग) जी, हां। तीन बैठकें।

(घ) समिति ने अभी अन्तिम निर्णय नहीं किये हैं। समिति द्वारा की गई चर्चा की जानकारी इस स्थिति पर देना उचित न होगा।

कोयला-उद्योग में पोलैण्ड का सहयोग

†*३२०. { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री ओझा :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदामडीह में आजकल पोलैण्ड सरकार के टेक्निकल तथा वित्तीय सहयोग से एक गहरी कूपकखान खोदी जा रही है जो भारत में अपनी किस्म की पहली खान है;

(ख) यह परियोजना कब पूरी होगी;

(ग) क्या देश में कोयले के स्थायी अभाव को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य में पोलैण्ड भारतीय सहयोग को बढ़ाने के लिए पोलैण्ड के साथ कोई प्रारम्भिक बात-चीत हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, हां। सदामडीह की गहरी कूप खदान का, जिससे पर्तों से कोयला निकालने की नई विधियां ज्ञात हो सकेंगी, पोलैण्ड के सहयोग से विकास किया जा रहा है।

(ख) फिलहाल जो स्थिति है उसे देखते हुए खदान का उत्पादन १९६४–६५ में शुरू होने की संभावना है।

(ग) चूंकि उद्योगों की कोयले की आवश्यकता तेज़ी से बढ़ती जा रही है और कोयला निकालने की पोलिश विधियां उन्नत हैं इसलिये गहरी कूप खानों के विकास के लिये भारत और पोलैण्ड के सहयोग का क्षेत्र बढ़ाने की संभावनाओं की खोज की जा रही है।

(घ) इस अवस्था पर उत्पन्न नहीं होता।

जम्मू श्रीनगर सड़क

†*३२१. { **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्री बख्शी अब्दुल रशीद :
श्री अब्दुल गनी गोनी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू से श्रीनगर तक की सड़क के सेना इंजीनियरिंग विभाग को दिये जाने के बाद उसे उधमपुर से बनिहाल तक पक्का बनाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस सड़क पर, विशेष कर पर्यटक यातायात के मौसम में, अबाधित यातायात सुनिश्चित करने के लिए जमीन के धंसने को कहां तक रोका गया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) सीमान्त सड़क बोर्ड ने १-४-१९६१ से पठानकोट से श्रीनगर तक की सड़क के विकास और मरम्मत का पूरा दायित्व अपने ऊपर ले लिया था । उसके बाद से उधमपुर से बनिहाल तक की सड़क के सुधार के लिये कई कामों को, जिन पर कुल ४५ लाख रुपये खर्च होंगे, मंजूरी दी गई है । ये काम कमाण्डर इंजीनियर बनिहाल की निगरानी में किये जा रहे हैं ।

(ख) जो काम किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं उनका परिणाम आगामी पर्यटन मौसम में जाना जा सकेगा । कमाण्डर इंजीनियर, बनिहाल को आवश्यक मशीनरी, सामान और कर्मचारी दिये गये हैं ताकि इस सड़क पर यातायात बन्द हो जाने की कम से कम घटनायें हों ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पर व्यय

†*३२२. **डा० ल० म० सिंघवी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कुल कितना वार्षिक व्यय है; और

(ख) राजस्थान में तेल की खोज के क्या परिणाम निकले ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) वर्ष १९६१–६२ के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पर लगभग १४.३४ करोड़ रुपये खर्च हुये हैं ।

(ख) राजस्थान में तेल की खोज का काम हाल में शुरू किया गया है और यह काम पूरा होने पर ही परिणामों का पता चल सकेगा ।

कोयला

†*३२३. **श्री अ० सिं० सहगल** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री मुरारका :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री ई० मधुसूदन राव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उद्योगों के लिए कोयले के संभरण का कोटा कम कर दिया गया है और उसका मूल्य बढ़ाया जा रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि का व्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका कारण खान मालिकों द्वारा कोयले का अपर्याप्त संभरण है; और

(घ) सरकार कोयले का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है जिस से इसका तीसरी पंचवर्षीय योजना की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यवहन पर प्रभाव न पड़े ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). कोटे में संशोधन रेलवे की परिवहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। चूंकि संशोधित कोटा १९६१ में वास्तव में दिये गये कोयले की मात्रा से सामान्यतया ज्यादा है इसलिये अनुमान है कि उपभोक्ताओं को गत वर्ष की अपेक्षा अधिक नहीं तो कम से कम कोयले की उतनी मात्रा तो मिलेगी।

(ग) जी, हां। कुछ क्षेत्रों में खान-मालिकों ने भी कोयले का अपर्याप्त संभरण किया है। कोयला उद्योग कुछ समय से कोयले के मूल्य बढ़ाने के लिये आग्रह कर रहा है। उद्योग द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये अभ्यावेदन अभी विचाराधीन हैं।

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन ६० करोड़ टन से बढ़ा कर ९७ करोड़ टन करना है। सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ही नहीं वरन् इससे अधिक उत्पादन करने के लिये भी आवश्यक कदम उठा रही है। इस सम्बन्ध में कई उपाय विचाराधीन हैं जिन पर अगले कुछ सप्ताह में निर्णय कर लिया जायेगा। उद्योग को उत्पादन बढ़ाने हेतु संयंत्र और मशीनें आदि के आयात के लिये विदेशी मुद्रा भी दी जा रही है।

बगहा माइनिंग स्कूल, धनबाद का माइनिंग का डिप्लोमा

†*३२४. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बगहा माइनिंग स्कूल, धनबाद की पुनर्गठित माइनिंग क्लास के विद्यार्थी १४ फरवरी, १९६२ से आम हड़ताल पर है क्योंकि संघ सरकार ने बोर्ड आफ टैक्नीकल एजूकेशन बिहार द्वारा दिए गए डिप्लोमे को मान्यता नहीं दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी नौकरियों के लिये उम्मीदवारों के चुनाव के मामले में माइनिंग इंस्टीट्यूट झरिया (माइथांन) तथा माइनिंग इंस्टीट्यूट, कोडरमा के ऐसे ही डिप्लोमों को मान्यता दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मामले की पुनः जांच करेगी और उस अनियमितता को दूर करेगी जो २२ नवम्बर, १९६१ को बिहार के समाचार पत्रों में प्रकाशित संघ सरकार की विज्ञप्ति में से बगहा माइनिंग स्कूल का नाम निकाले जाने के कारण उत्पन्न हो गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि राज्य सरकार ने केवल झरिया और कोडर्मा में दो नियमित माइनिंग स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव किया था इसलिये केन्द्रीय सरकार ने इन स्कूलों को मान्यता प्रदान की है ।

(ग) भागा स्कूल को माइनिंग स्कूल बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंकलेश्वर के गोदाम

†*३२५. **श्री याज्ञिक** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंकलेश्वर में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के गोदामों के प्रबन्ध के बारे में कोई गंभीर शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या अंकलेश्वर में 'स्टोरकीपर' को मुअत्तिल कर दिया गया है ;

(ग) क्या अंकलेश्वर में कुछ व्यक्तियों ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के गोदामों मे से बड़ी मात्रा में सीमेंट हटाना चाहा था ; और

(घ) क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). कुछ शिकायतें आयी हैं और उनकी जांच हो रही है। जांच की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जा गी ।

(ग) और (घ). पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है।

रांची में ढलाई व गढ़ाई का कारखाना

†*३२६. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स टैक्नोएक्स्पोर्ट प्राग ने रांची में ढलाई व गढ़ाई के कारखाने (फाउन्ड्री फोर्ज फैक्टरी) के लिये हेवी-इंजीनियरिंग कारपोरेशन (भारी इंजीनियरिंग निगम) को ब्यौरेवार प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** (क) और (ख). ढलाई व गढ़ाई का कारखाना रांची के पास हतिया में बैठाया जा रहा है। इससे भारी मशीनें बनाने के कारखाने के लिए आवश्यक सांचे, ढलाई की हुई चीज़ें, मोटे तैयार पुर्जे और तैयार चादरें प्राप्त होंगी । यह कारखाना तीन दौरों मे बैठाया जा रहा है और यह भारी मशीनें बनाने के कारखाने की ८०,००० टन की आवश्यकता पूरी करेगा ।

२. कारखाने के पहले दो दौरों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नवम्बर, १९५९ में मेसर्स टेक्नोएक्स्पोर्ट प्राग से प्राप्त हुई थी और वह अप्रैल, १९६० में मंजूर कर ली गयी थी।

३. कारखाने के तीसरे दौर के संबंध मे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी हाल में मेसर्स टेक्नोएक्स्पोर्ट, प्राग से प्राप्त हुई है और हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, लिमिटेड, रांची उसकी छानबीन कर रहा है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

नेवेली लिग्नाइट परियोजना में उपोत्पाद

†*३२७. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली लिग्नाइट परियोजना में उपोत्पादों का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई आयोजन तथा अनुसंधान किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या गैर सरकारी पार्टियों से उपोत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रस्ताव मिल रहे हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) एकीकृत नेवेली लिग्नाइट परियोजना में प्राप्त वे उपोत्पाद जो परियोजना में उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है, दूसरे उपभोक्ताओं को बेच दिये जायेंगे ।

(ख) और (ग). उपोत्पादों के उपयोग से संबंधित प्रयोगशाला-परीक्षण परियोजना प्रयोगशाला में किये जा रहे हैं। इस संबंध में दिलचस्पी रखने वाली संस्थाएं जैसे केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान शाला, जेलगोड़ा, राष्ट्रीय धातुकर्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर और भद्रावती लोहा और इस्पात कारखाना, मैसूर, भी परीक्षण कर रही है । मद्रास सरकार ने भी परियोजना के उपोत्पादों के उपयोग की संभावना की छानबीन करने के लिए एक समिति बनायी है ।

उपोत्पादों के उपयोग के संबंध में गैर सरकारी पार्टियों से भी पूछताछ आ रही है। प्रयोगशाला परीक्षणों से अब तक जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे उन सभी लोगों को उपलब्ध किये जा रहे हैं जो उसकी मांग करते हैं ।

पलाई सेंट्रल बैंक

†*३२८. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बिचि बावा :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री ई० मधुसूदन राव : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाई सैंट्रल बैंक के निदेशकों के खिलाफ अब तक अधिकार के दुरुपयोग के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ;

(ख) मार्च १९६२ के अन्त तक बैंक की चल तथा अचल सम्पत्ति की बिक्री के द्वारा सरकारी परिसमापक ने कुल कितनी रकम वसूल की है ; और

(ग) क्या खातेदारों को अब तक दिए गए रुपये में ४० नये पैसे के लाभांश के अतिरिक्त और कुछ धन दिये जाने की कोई सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) अधिकार के दुरुपयोग की कार्यवाही के लिए आवश्यक साक्ष्य इकट्ठी की जा रही है।

(ख) चल सम्पत्ति की बिक्री से २,९१,७३,४९९ रुपये।
अचल सम्पत्ति की बिक्री से १३,८८,०७२ रुपये।

(ग) चूंकि इस समय उपलब्ध रुपया पर्याप्त नहीं है। इसलिए खातेदारों को और अदायगी मुख्यतः भविष्य में होने वाली वसूलियों के आधार पर निर्भर होगी।

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†*३२९. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात संयंत्र के विभिन्न भागों में बार बार खराबी होने तथा उन्हें चालू करने में विलम्ब होने के कारण राष्ट्रीय राज्य कोष तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को जो हानि हुई क्या उसकी गणना करने का कोई प्रयत्न किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने रुपयों तथा कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होने का अनुमान है ;

(ग) क्या इस हानि की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) से (घ). खराबी और विलम्ब होने के कारण उत्पादन के परिणाम में कितनी हानि हुई इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। सभी मामलों में उचित कार्यवाही की जाती है। और वह इस बात पर निर्भर होती है कि विलम्ब या खराबी किस ढंग की है।

कोयले के लक्ष्यों का पुनरीक्षण

†*३३०. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना मे कोयले के उत्पादन का लक्ष्य ९७० लाख टन से बढ़ा कर १०४० लाख टन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि कोयले के उत्पादन में इस प्रस्तावित वृद्धि का बड़ा भाग गैर-सरकारी क्षेत्र को आवंटित किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र को अधिक आवंटन करने के क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). तीसरी योजना के दौरान कोयला उत्पादन का लक्ष्य अब भी ९७० लाख टन है। इस उद्योग में गैर-सरकारी क्षेत्र ने जिसके संबंध में १७० लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, विश्व बैंक के ऋण के उपयोग के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों में लगभग ७० लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव विश्व बैंक ऋण देने के लिए अस्थायी तौर पर मान लिया गया है। इस लक्ष्य में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर सरकार अभी विचार कर रही है। इस बीच ऐसी योजना बनायी जा रही है कि रेल परिवहन अतिरिक्त कोयला उत्पादन का बोझ संभाल सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

"कानपुर-२" विमान

†*३३१. { **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में निर्मित "कानपुर-२" विमान की कुल लागत क्या है ;

(ख) परियोजना की भावी योजनाओं का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि यह पिछली उड़ान में २१,००० फुट से अधिक ऊंचाई पर उड़ा था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) यह विमान अभी भी विकास की दशा में है। इसलिए लागत का ब्योरा अभी तक उपलब्ध नहीं है।

(ख) विमान के मूल्यांकन और किस्म के प्रमाणीकरण के बाद ही भावी योजनाएं निर्धारित की जायेंगी ।

(ग) जी हां ।

गोरखपुर हवाई अड्डा

†*३३२. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रा० स० तिवारी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गोरखपुर हवाई अड्डे को विमान-आस्थान (एयरबेस) बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की क्या लागत है ; और

(ग) सरकार ने यह निर्णय किन कारणों से किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) गोरखपुर जो सैनिक हवाई अड्डा था, फिर भारतीय विमान बल के लिए काम में लाया जायगा। उससे असैनिक उड्डयन पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

(ख) और (ग). यह जानकारी देना लोक-हित की दृष्टि से ठीक नहीं है ।

पंजाब में इंजीनियरिंग कालिज

†*३३३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में पंजाब में कितने इंजीनियरिंग कालिज खोलने का विचार है और क्या उनके लिए स्थानों का चुनाव कर लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन कौन से हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) से (ख). कुरुक्षेत्र में एक प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिज स्थापित करने का विचार है ।

निम्न श्रेणी के खनिजों का खनन

†*३३४. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय खनिज विभाग (इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स) के निदेशक द्वारा हाल में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिस में उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि देश में विभिन्न प्रकार के खनिजों की कमी को पूरा करने के लिये निम्न श्रेणी के खनिजों का वाणिज्यिक रूप में खनन किया जाये ; और

(ख) क्या यह सरकार का विचार है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । संसाधनों के संरक्षण के लिए और उन खनिजों के सम्बन्ध में भी जिन की देश में कोई कमी न हो, सदा ही यह उचित है कि न केवल खास तरह के निम्न श्रेणी के खनिजों बल्कि ऐसे खनिजों के उपयोग के लिये भी, जो ऊंचे किस्म के खनिज निकालने के दौरान निकाले जाते हैं और फिलहाल जिन का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मार्गोपाय ढूंढे जायें । इस नीति के अंग के रूप में, कोक बनाने के काम आने वाला और उस से अतिरिक्त, कोयले के लिए और अधिक कोयला धुलाई कारखाने तीसरी योजना में स्थापित करने के मामले पर काफी जोर दिया गया है । निम्न श्रेणियों के मैंगनीज़ अयस्क से लाभ उठाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था भी योजना में की गयी है । वास्तव में ये बातें भारतीय खनिज विभाग के निदेशक ने अभी हाल में उस समय बताई थीं जबकि वे विभिन्न खनिजों के उपयोग के सम्बन्ध में प्रयोग करने के लिये नागपुर में बनाये गये विभिन्न अग्रिम परियोजना उपकरण दिखाने के लिये समाचारपत्र प्रतिनिधियों के एक दल को ले गये थे ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†*३३५. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूरकेला इस्पात संयंत्र के कार्यवहन की जांच के लिए पश्चिम जर्मन सरकार द्वारा भेजे गये सरकारी विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या कहा गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शुद्ध-मापक यंत्र बनाने वाला कारखाना

†*३३६. { **श्री अ० क० गोपालन :**
　　　　 श्री प० कुन्हन :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना में केरल के लिए आवंटित शुद्ध-मापक यंत्र कारखाने की स्थापना के स्थान के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-सा स्थान चुना गया है ; और

(ग) परियोजना की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) से (ग). इस प्रश्न का उत्तर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री आगे किसी दिन देंगे ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

†३६३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने में सामान्य तथा अबाध रूप से उत्पादन चालू रखने के उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट की छानबीन की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां तो उसकी मोटी मोटी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) उर्वरक निगम के निदेशक मंडल ने समिति नियुक्त की थी उस मंडल ने उसकी रिपोर्ट की छानबीन कर ली है ।

(ख) विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५३ ।]**

(ग) उस मंडल ने सिफारिशें मंजूर कर ली हैं और उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश प्रबंधकों को दे दिया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश की लोहा तथा इस्पात संबंधी आवश्यकतायें

†३६४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ के लिये तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद के वर्षों के लिये आन्ध्र प्रदेश की लोहा तथा इस्पात संबंधी कुल कितनी अनुमानित आवश्यकतायें हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या १९६१-६२ के लिये राज्य की कुल आवश्यकता पूरी की गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग) . केवल सीमित श्रेणियों अर्थात्. चादरें तथा तार के सम्बन्ध में ही राज्यों की मांगें प्राप्त होती हैं और उन के लिये कोटा नियत किया जाता है। अन्य श्रेणियों के लिये पूरी पूरी आवश्यकताओं की मांग मंगाई जा सकती है। वर्ष १९६१-६२ के लिए आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में मांग (आवश्यकता), नियतन और प्रेषण (सप्लाई) का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(मेट्रिक टनों में)
मांग	१२०,२६०
नियतन	३०,२३३
प्रेषण	१२,०४४ (*)

(*) अप्रैल १९६१ से फरवरी १९६२ तक।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाकी चार वर्षों के लिए अनुमानित कुल आवश्यकता, जोकि राज्य सरकार ने प्रस्तुत की है, ६५४,००० टन है। चादरों तथा तार के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों की मांग सामान्यतया पूरी की जाती है। चूंकि सीमित किस्म का लोहा और इस्पात मांग की तुलना में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिये उपलब्ध वस्तुओं का बराबर बराबर वितरण किया जा रहा है।

कच्चा लोहा नियत करने की प्रणाली १ जुलाई १९५९ से समाप्त कर दी गयी थी। इसलिए उस तारीख से राज्यों से कोई इकट्ठी मांगें प्राप्त नहीं होती और न ही किसी अवधि के लिए कोई मात्रा नियत की जाती है। उपभोक्ता लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के जरिये बिना किसी प्रमाणीकरण के या मांग के, स्टाकहोल्डरों से सीधे ही कच्चा लोहा प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल, १९६१ से फरवरी, १९६२ तक की अवधि में राज्य को ५,८७४ टन माल भेजा गया।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

†३६५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६० के अखिल भारतीय हड़ताल के सम्बन्ध में बर्खास्त किये गये, अलग किये गये या हटाये गये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रत्येक विभाग के अनुसार, अधिक से अधिक नये आंकड़े क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : सब से हाल की स्थिति बताने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

मंत्रालय/विभाग	नौकरी से हटाये गये/बर्खास्त किये गये कर्मचारियों की संख्या	नौकरी से अलग किये गये कर्मचारियों की संख्या
लेखापरीक्षा विभाग	१७	३६
डाक तार विभाग	८	१
रेलवे	६७	५
प्रतिरक्षा	३८	१४
समुद्र पार संचार सेवा	१	४
स्वास्थ्य		१
खाद्य और कृषि	५	
जोड़	१३६	६१

इस के अलावा ११ आदमियों को जबर्दस्ती नौकरी से सेवानिवृत्त किया गया जिस का ब्यौरा इस प्रकार है :

डाक तार विभाग	४
लेखापरीक्षा विभाग	६
समुद्र पार संचार सेवा	१
	११

ग्रामीण आवास योजनाओं के लिये राज्यों को निधियां

†३६६. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६२-६३ के लिये ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी-कितनी निधियाँ दी गयीं ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १९६२-६३ के दौरान, विकास की विभिन्न मदों के लिये जिनमें आवास शामिल है, निर्धारित की जाने वाली केन्द्रीय सहायता का हिसाब अभी योजना ने नहीं लगाया है ।

†मूल अंग्रेजी में

यमुना में डूबे हुए व्यक्ति

†३६७. { **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री शाम नाथ : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैशाखी दिवस (१३ अप्रैल, १९६२) को कुल कितने लोग यमुना में डूब गये ; और

(ख) लोगों को डूबने से बचाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) नौ ।

(ख) (१) यमुना नदी के घाटों पर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने तथा संरक्षण कार्यों में मदद देने के लिए पुलिस तैनात की गयी थी ।

(२) खतरनाक घाटों पर जहां पानी गहरा था, रस्से डाले गये थे और बांध दिये गये थे ताकि नहाने वाले लोगों को गहरे पानी में जाने से रोका जा सके ।

(३) नहाने वाले लोगों को गहरे पानी में न जाने की चेतावनी देने के लिए लाउडस्पीकर लगाये गये थे ।

(४) खतरनाक घाटों पर नावें रखी गयी थीं और पनडुब्बे तथा तैराक भी रखे गये थे ताकि संकट के समय वे संरक्षण कार्य शुरू कर सकें ।

(५) संरक्षण कार्यों के लिए फायर ब्रिगेड के आदमी नियुक्त किये गये थे ।

सैनिक प्रशिक्षण स्कूल, आंध्र

†३६८. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में आन्ध्र प्रदेश में एक सैनिक प्रशिक्षण स्कूल खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). प्रतिरक्षा मंत्रालय की परियोजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बद्ध नहीं हैं। स्थल सेना तथा वायुसेना के लिये अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को आवश्यकता है और उनके स्थान, लागत आदि से सम्बन्धित ब्यौरों पर विचार हो रहा है । ९ से १६ वर्षों तक के लड़कों के प्रशिक्षण के लिए ताकि वे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश पा सकें, एक सैनिक स्कूल आन्ध्र प्रदेश में कोरुकोन्डा नामक स्थान पर स्थापित किया गया है ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड

†३६९. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे देश में उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के संचालन के लिए भारत सरकार एक अखिल भारतीय बोर्ड बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह बोर्ड सीधे शिक्षा मन्त्रालय के अधीन काम करेगा; और

(घ) क्या पब्लिक स्कूल भी इस बोर्ड के अधीन होंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा लेने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ने अपना पुनर्गठन किया है ।

(ख) और (घ). बोर्ड के विधान की एक प्रति संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी--५७/६२]

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्तशासी और स्वतन्त्र संस्था है जो संस्था पंजीयन अधिनियम के अधीन पंजीकृत है । भारत सरकार का शिक्षा-सलाहकार बोर्ड के नियन्त्रक अधिकारी के रूप में कार्य करता है ।

नरसीपुर ताल्लुक (मैसूर जिला) में पुरातत्वीय खुदाई

†३७०. { **श्री सिद्दय्या :**
　　　　श्री हेम बरुआ :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर जिले की नरसीपुर तहसील मे केंडानाकोपालु गांव के निकट मैसूर के पुरातत्वीय विभाग ने अभी हाल में खुदाई का कार्य किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या खोज की है ;

(घ) क्या खुदाई का कार्य अब भी जारी रहेगा; और

(ङ) इस खुदाई का काम करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई प्रविधिक सहायता अथवा वित्तीय सहायता दी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) राज्यीय पुरातत्वीय विभाग ने मैसूर जिले के टी० नरसीपुर नामक स्थान पर खुदाई का काम किया था । लेकिन वह स्थान केंडानाकोपालु के निकट नहीं था ।

(ख) १९६१-६२ में जो काम हुआ है उसके बारे मे अभी कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यह काम अप्रैल, १९६२ के अन्त तक समाप्त हो जायेगा ।

(ङ) १९६१-६२ में २,७५० रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी लेकिन वित्तीय सहायता कोई नहीं दी गई ।

मैसूर में विज्ञानमंदिर

†३७१. **श्री सिद्दय्या** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में मैसूर राज्य में कुल कितने विज्ञानमन्दिर खोले जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन-किन स्थानों पर वे खोले जायेंगे; और

(ग) क्या कोई मैसूर जिला में भी खोला जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में मैसूर राज्य में खोले जाने वाले विज्ञानमन्दिरों के बारे में अभी राज्य सरकार को निर्णय करना है ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

जापान से प्रतिरक्षा रडार सामान की खरीद

†३७२ { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री वी० चं० शर्मा : }

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के सर्वेक्षण मिशन ने क्या सिफारिशें की हैं जो दिनांक २२ मार्च, १९६२ के एक जापानी समाचार पत्र 'निक्कन कोगयो' के समाचार के अनुसार भारतीय सीमा पर बहुत अधिक प्रयोग के लिये रडार सामान खरीदने की सम्भावना की जांच करने के लिये २७ मार्च, १९६२ को जापान पहुंचने वाला था ;

(ख) इसके लिये कितने रडार और रडार बनाने के सामान खरीदने की सिफारिश की गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में रडार तैयार करने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) डेलीगेशन २६–४–१९६२ को जापान से लौटा है, और आशा है कि १०–५–१९६२ तक वह अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा ।

(ख) इस समय यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ). भारत एलेक्ट्रानिक्स लि० बेंगलोर में कुछ रडार सामान बनाने के प्रस्तावों पर निश्चय कर लिये गये हैं । विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

पौंड पावना

३७३. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय निर्यात व्यापार अनुपातत: उतनी उन्नति नहीं कर सका है जितनी उसने स्वाधीनता के पूर्व की थी और उसने पौंड पावने की स्वाधीनता पूर्व की संचित धन राशि प्रायः समाप्त कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो १५ अगस्त, १९४७ को पौंड पावने की संचित धन राशि कितनी थी और इस समय कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). स्वाधीनता से पहले के पूरे आखिरी साल, १९४६–४७ में अनबंटे भारत से ३२७.९८ करोड़ रुपये का माल बाहर भेजा गया। पिछली दो पंचवर्षीय आयोजनाओं के दौरान, भारत से औसतन हर साल क्रमश: ६१४.८४ करोड़ रुपये और ६१२.१८ करोड़ रुपये का माल बाहर भेजा गया। वाणिज्यिक सूचना और अंक-संकलन के महानिदेशक (डाइरेक्टर जनरल आफ कमर्शल इण्टेलिजेंस एण्ड स्टेटिस्टिक्स) द्वारा प्रकाशित अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, १९६१–६२ में भारत से ६६५ करोड़ रुपये का माल बाहर भेजा गया। इसलिए, यह कहना ठीक नहीं है कि भारत निर्यात व्यापार में अनुपातत: "उतनी उन्नति नहीं कर सका" जितनी उसने स्वाधीनता से पहले की थी।

१५ अगस्त, १९४७ को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का विदेशी पावना (फारन बैलेंस) लगभग १०१९.७८ करोड़ रुपया था। इस रकम में, इन परिसम्पदों (एसेट्स) में पाकिस्तान का हिस्सा और ब्रिटेन की सरकार को, स्टर्लिंग पेंशनों सम्बन्धी देनदारियों और रक्षा-सामग्री की खरीद के लिए की जाने वाली अदायगियों की रकम शामिल नहीं है। २७ अप्रैल, १९६२ को, जिसके बाद की जानकारी उपलब्ध नहीं है, यह पावना ११२.४१ करोड़ रुपया था। इस पावने की रकम में कमी का मुख्य कारण बाहर से माल मंगाने के खर्च का बढ़ जाना है, खास कर दूसरी आयोजना के शुरू होने के बाद आयोजनाओं में शामिल किये गये विकास कार्यक्रमों को अमल में लाने से देश की आयात (इम्पोर्ट) सम्बन्धी आवश्यकताएं काफ़ी बढ़ गयी हैं।

इस्पात कारखानों में माल डिब्बों का रोका जाना

†३७४. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात कारखानों में मालगाड़ी के डिब्बे समय से अधिक रोक कर रखे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भविष्य में मालगाड़ी के डिब्बों को आवश्यकता से अधिक न रोका जाये इसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने जा रही है ; और

(घ) स्थिति में कब तक सुधार की सम्भावना है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ). कई अवसरों पर रेलवे द्वारा निर्धारित निःशुल्क अवधि से अधिक समय तक मालगाड़ी के डिब्बे इस्पात कारखानों में रोक लिये गये हैं। इसके मुख्य कारण ये रहे हैं—कुछ खास किस्म के डिब्बों में माल लादने और उतारने की उचित मशीनी-व्यवस्था का अभाव, डिब्बों की आमद में उतार-चढ़ाव, जो कभी कभी इस्पात संयंत्रों की क्षमता से अधिक हो जाता था तथा रेलवे और इस्पात कारखानों की परिचालन सम्बन्धी आकस्मिक कठिनाइयां। डिब्बों की रोक को यथासम्भव दूर करने के लिये सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं। सभी इस्पात संयंत्रों की रेलवे के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों से सम्पर्क व्यवस्था है और हर सम्भव उपाय किया जा रहा है जिससे डिब्बों की उपलब्धि अधिक से अधिक आसानी से हो सके।

सिंदरी फर्टीलाइजरस एण्ड केमीकल्स लि०

†३७५ { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमीकल्स लि० में लागत लेखा पालन पद्धति जारी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां ।

(ख) १९५२ से जब से समवाय ने काम करना शुरू किया ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

समुद्रीय बीमा विधि

†३७६ { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार विधि आयोग द्वारा इंगलिश समुद्रीय बीमा अधिनियम १९०६ मे सामान्य आधार पर, की गई सिफारिशों के अनुसरण में समुद्रीय बीमा निधि के लिये परिनियम बनायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) विधि आयोग की सिफारिशों की जांच हो रही है और अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात सलाहकार समिति

†३७७. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक ३० मार्च, १९६२ को इस्पात सलाहकार समिति की बैठक में इस्पात नियंत्रण में ढील देने के लिये जो सुझाव प्रस्तुत किये गये थे उनमें से कितनों पर विचार किया जा चुका है और किन-किन सुझावों को सरकार ने मान लिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) शेष को न मानने के क्या कारण हैं;

(ग) लघु उद्योगों की इस्पात की कुल मांग कितनी है और उस की सरकार किस अंश तक पूर्ति कर रही है; और

(घ) पूर्ति में अधिक वृद्धि की दिशा में क्या रुकावटें हैं और वे कैसे दूर हो सकेंगी ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि०सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). इस्पात नियंत्रण में ढील देने के लिये दो सुझाव रखे गये थे :—

(१) काली प्लेन चादरों (१४ गेज से पतली), गैलवेनाइजड प्लेन, गैलवेनाइजड कौरूगेटिड चादरों और तारों पर से कोटा सिस्टम हटाना; और

(२) स्टाक-होल्डर स्तर पर मूल्य नियंत्रण हटाना।

कोटा-पद्धति को हटाने का सुझाव सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है जबकि मूल्य नियंत्रण हटाने का सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है। जब और जैसे प्रदाय स्थिति में सुधार होगा इन वस्तुओं के वितरण पर नियंत्रण ढीला कर दिया जायेगा। तार के बारे में शीघ्र ही ऐसा करने का विचार है परन्तु चादरों के बारे में ऐसा नहीं किया जायेगा, क्योंकि चादरों की प्रदाय स्थिति अभी कठिन है। इस समय कीमतों पर से नियंत्रण हटाना उचित नहीं समझा जाता क्योंकि अभी इस्पात की समस्त कमी है।

(ग) १९६१–६२ में लघु उद्योगों के लिए कोटे के अन्तर्गत कुल मांग और आवंटन इस प्रकार हैं :—

	मीट्रिक टन
मांग	४४०,०३४
आवंटन	१३६,३७०

मांग और आवंटन के आंकड़े निर्बन्धित किस्मों—केवल चादरों और तारों के बारे में है। जहां तक अन्य ढील दी गई किस्मों अर्थात् सांरचनिक प्लेटें इत्यादि का सम्बन्ध है, उपभोक्ता या तो बिना किसी प्राधिकार-पत्र के नियांत्रित स्टाक होल्डरों से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं या अपनी समस्त मांग के लिए लोहा और इस्पात नियंत्रण द्वारा उत्पादकों को व्यादेश भेज सकते हैं।

(घ) चूंकि इन निर्बन्धित किस्मों की उपलब्धि मांग से कम है, अतः सम्पूर्ण मांग की पूर्ति सम्भव नहीं हो सकी है। जिस समय नये इस्पात कारखाने अपनी आरम्भिक कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे तथा अधिक उत्पादन करने लगेंगे उस समय स्थिति अधिक सुधर जायगी। तीसरी पंच वर्षीय योजना में भविष्य में बढ़ती हुई मांग की तुलना में पर्याप्त क्षमता उत्पन्न करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। उपलब्ध सीमित विदेशी मुद्रा के अन्दर अत्यावश्यक आवश्यकताओं का आयात करने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अनेक करों के स्थान पर उत्पादन शुल्क

३७८. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चारों ओर से इस बात की मांग की जा रही है कि विभिन्न स्तरों पर अनेक करों की अपेक्षा उत्पादन शुल्क ही लगा दिया जाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्पादन शुल्क लगाने से सरकार को पूरा धन भी प्राप्त हो सकेगा और भ्रष्टाचार को भी अधिक हद तक रोका जा सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस योजना को कार्यान्वित करने में क्यों देर कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राज्यों द्वारा लगाये गये बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास व्यापारियों की कुछ दरख्वास्तें आयी हैं।

(ख) यह तो अपनी-अपनी राय है।

(ग) संविधान के अनुसार किसी राज्य में बिक्री या ख़रीद पर कर लगाना राज्य सरकार के अधिकार की बात है। इसलिए किसी चीज़ पर से बिक्री कर हटाने का फ़ैसला सिर्फ़ राज्य सरकार ही कर सकती है।

बुनियादी शिक्षा

†**३७९. श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेसिक शिक्षा का देश-भर में एक सामान्य स्तर बनाने का विचार है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में विभिन्न पद्धतियां अपनाई जा रही हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों में बेसिक शिक्षा के मूल तत्वों को ही निकाल दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं, बेसिक शिक्षा का मूल उद्देश्य सभी राज्यों में एक ही है। किन्तु उसके विकास की स्थिति अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कांगो में लापता भारतीय सैनिक पदाधिकारी

†**३८०. श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २० मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ काम करने वाले जो भारतीय सैनिक पदाधिकारी लापता थे उसके बाद से कटंगा में उनका पता चल गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दोषी पदाधिकारियों को दंड

†३८१. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री मुरारका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद् की प्राक्कलन तथा लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में १९६०-६१ और १९६१-६२ में यदि किन्हीं दोषी पदाधिकारियों को दंड दिया गया है तो वह क्या दंड दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और जैसे ही पूरी जानकारी मिल जायेगी वैसे ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नैतिक और धार्मिक शिक्षा संबंधी समिति

३८२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैतिक व धार्मिक शिक्षा के बारे में कुछ समय पहिले एक विशेष समिति नियुक्त की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति द्वारा की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें और उन पर अब तक की गई कार्यवाही पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर विचार करने के लिए समिति श्री श्रीप्रकाश की अध्यक्षता में १९५९ में स्थापित की गई थी । समिति की प्रमुख सिफारिशें उसकी रिपोर्ट के पृष्ठ १६ और १७ पर देखी जा सकती हैं; इस रिपोर्ट की एक प्रति संसद् पुस्तकालय को भेज दी गई है ।

समिति की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई थीं । लगभग सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों ने सूचना दी है कि वे समिति की प्रमुख सिफारिशों को कार्यान्वित कर रहे हैं ।

जहां तक इस विषय पर उपयुक्त साहित्य तैयार करने और उसका वितरण करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में एक केन्द्रीय एजेन्सी स्थापित करने का सम्बन्ध है मंत्रालय ने एक स्थायी सलाहकार समिति नियुक्त की है । प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रयोग के लिए मंत्रालय ने पुस्तकों का प्रथम चुनाव कर लिया है । इन पुस्तकों को शीघ्र ही स्थायी समिति को भेजा जायेगा और समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर आगे कार्रवाई की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में बेलाडीला परियोजना

†३८३. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बेलाडीला परियोजना का काम निर्धारित समय पर नहीं हो सका;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ग). बेलाडीला की खानों में उत्पादन का काम १९६६ के शुरू से हो सकेगा। और १९६६ के मध्य से जापान को ४० लाख टन लौह अयस्क का निर्यात होने लगेगा। उस क्षेत्र में कुछ और भी निक्षेप हैं। राष्ट्रीय खनन विकास निगम की ओर से खान ब्यूरो शीघ्र ही दो निक्षेपों की विस्तृत खुदाई समाप्त कर लेगा और इन दो निक्षेपों के बारे में अपनी रिपोर्ट इस वर्ष जुलाई के अन्त तक दे देगा और उनके काम करने वाले व्यक्ति तीसरे निक्षेप पर काम भी शुरू कर देंगे। जैसे ही यह ब्यूरो अपना काम समाप्त कर देता है वैसे ही प्रत्येक निक्षेप के बारे में विस्तृत प्रतिवेदन निगम तैयार करेगा और उसके बाद ही आवश्यक संयंत्र मंगाये जायेंगे एवं उनकी स्थापना की जायेगी। इन दो निक्षेपों के बारे में ब्यूरो का प्रतिवेदन कुल महीनों बाद ही मिलने वाला है किन्तु यह भी निर्धारित समय से कुछ बाद में ही मिलेगा। किन्तु कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उत्पादन कार्य १९६६ से ही शुरू हो जायगा जोकि निर्धारित समय है।

सरकारी कर्मचारी आचरण नियम

†३८४. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों की धारा ४-क तथा ४-ख अब भी लागू की जाती है जब कि उच्चतम न्यायालय तथा बम्बई उच्च न्यायालय ने इसके बारे में अपना निर्णय दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). यद्यपि बिहार सरकारी कर्मचारी आचरण नियम को, जो कि केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियमों के नियम ४ (क) के समान ही है, उच्चतम न्यायालय ने आंशिक रूप से ठीक बताया है और जहां तक नियम ४ (ख) की बात है उसके बारे में निर्णय करना उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। बम्बई उच्चतम न्यायालय ने नियम ४ (क) को ठीक माना है और इस मामले की उच्चतम न्यायालय में अपील कर दी गई है। अतः यह कहना कि इस नियम को अब लागू नहीं किया जाना चाहिए ठीक नहीं है।

हालांकि नियम ४ (ख) को बम्बई उच्च न्यायालय ने शक्ति अतीत घोषित कर दिया है किन्तु उच्चतम न्यायालय में इसके लिये अपील की हुई है। जब तक यह मामला उच्चतम न्यायालय

†मूल अंग्रेजी में

में निलम्बित है तब तक महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर इस नियम को लागू करना बम्बई उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुकूल ही रहेगा अर्थात् उन पर लागू नहीं किया जायेगा ।

हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्ट्री कानपुर में जूतों का निर्माण

†३८५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हारनेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी कानपुर में जूतों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) प्रति वर्ष कितने जोड़ी जूते तैयार किये जाते हैं ; और

(ग) निजी समवायों द्वारा इसी प्रकार के तैयार किये जाने वाले जूतों की तुलना में इनका मूल्य कैसा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) तथा (ख). हारनेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर में जूते बनाने का काम दिसम्बर, १९६१ से शुरू हुआ था और मार्च, १९६२ तक १३,७७२ जोड़ी जूते तैयार किये गये हैं ।

(ग) वास्तविक मूल्य अभी तक मालूम नहीं हो सका है क्योंकि यह काम अभी शुरू हुआ है लेकिन दूसरी जगह बनने वाले जूतों की तुलना में इनका मूल्य कुछ ठीक ही रहेगा । यहां बनने वाले जूते अच्छी किस्म के तथा अधिक टिकाऊ होते हैं अतः व्यापारिक दृष्टि से तैयार किये जाने वाले जूतों की अपेक्षा वे सस्ते ही पड़ते हैं ।

ट्रकों का उत्पादन

†३८६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ में ट्रकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि १९६० की अपेक्षा कितनी अधिक है ; और

(ग) क्या उनके मूल्य में और भी कमी हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां ।

(ख) १९६० तथा १९६१ में बनाये गये शक्तिमान तथा निसाम ट्रकों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

	१९६०	१९६१
शक्तिमान	८५८	१२४६
निसाम	२९५	५९५

(ग) १९६१-६२ में निर्मित ट्रकों का वास्तविक मूल्य अभी तक पता नहीं चल सका है ।

†मूल अंग्रेजी में

444 (Ai) LSD—4.

एडिनबरा के सैनिक प्रदर्शन में भारत द्वारा भाग लिया जाना

†३८७. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इडनबर्ग में होने वाले सैनिक टेटू में भारतीय सैनिक भी भाग लेने वाले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) गलिस्तान सरकार के निमंत्रण पर इडनबर्ग में होने वाले सैनिक टेटू में भाग लेने के लिये एक भारतीय सैनिक टुकड़े जिसमें से कुछ सैनिक भारत से तथा कुछ गोआ से हैं; भेजी जा रही हैं ।

(ख) गाजा से	पदाधिकारी	१
	बैंडमैन	५२
	एडम पर्सनल	४
भारत से	पदाधिकारी	३
	बैंडमैन	२२
	घुड़सवार	३०
	एडम पर्सनल	४

भारतीय भाषाओं के लिये समान लिपि

†३८८. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड ने जिसकी बैठक जनवरी १९६२ में जयपुर में हुई थी सभी भारतीय भाषाओं के लिये एक समान लिपि अपनाने के प्रश्न पर विचार किया था ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड ने इस बारे में किन किन मुख्य बातों के बारे में विचार किया ;

(ग) इस बारे में यदि कोई सिफारिशें की गई हैं तो वे क्या हैं ; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). बोर्ड ने यह इच्छा प्रकट की है कि सभी भारतीय भाषाओं के लिये एक समान लिपि अपनाने के बारे में शिक्षा मंत्रालय और विचार करें और अपने विचार यथा समय बोर्ड के सामने उपस्थित करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) मंत्रालय द्वारा देवनागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है। देवनागरी लिपि ही अन्ततोगत्वा सभी भाषाओं के लिये एक समान लिपि बनेगी :—

(१) देवनागरी लिपि की आवश्यकताओं की जांच करने तथा दूसरी भारतीय भाषाओं के लिये उचित चिह्नांकन के बारे में सुझाव देने के हेतु भाषाविदों की एक समिति नियुक्त की जाय ;

(२) देवनागरी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की लिपि में द्विभाषी पुस्तकें तैयार करना;

(३) क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को देवनागरी लिपि में छापने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा •

†३८९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड ने अपनी बैठक में जो इस वर्ष जनवरी में जयपुर में हुई थी यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से परामर्श करके १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिये, जिसकी व्यवस्था संविधान में की गई है, एक तिथि निर्धारित कर दे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग उन सिफारिशों पर विचार कर रहा है।

केंद्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा

३९०. { **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री रा० चं० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६० से ३१ मार्च, १९६२ तक कितने स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों से, जो केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे ऊंचे पदों के लिये चुने जाने पर अपने पदों से त्यागपत्र देने को कहा गया ; और

(ख) उनमें से कितनों ने वास्तव में त्याग पत्र दिये और ऊंचे पदों का प्रस्ताव स्वीकार किया और कितनों ने त्याग-पत्र देने के भय से ऊंचे पद ग्रहण नहीं किये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). इस सम्बन्ध में चौधरी रणबीर सिंह तथा श्री डी० सी० शर्मा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १८०८ के उत्तर में १ मई, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये विवरण पत्र तथा श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १६२१ के ८ दिसम्बर, १९६१ को लोक सभा में दिये गये उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। मंत्रालय स्वयं इस प्रकार के मामलों को निपटाने में समर्थ हैं ; अतः अपेक्षित सूचना गृह मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऊंचे पदों पर चुने जाने पर केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के तीन चौथायी क्लर्कों ने इस अवधि में त्याग पत्र दे दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों से जाने वाले अध्यापकों को भुगतान न करना

३९१. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों से जो शिक्षक नौकरी छोड़ कर सरकारी स्कूलों में नौकरी करने चले जाते हैं, उन्हें प्रबन्धक आखिरी महीने का वेतन नहीं देते ;

(ख) सरकार के ध्यान में अब तक इस तरह के कितने मामले आये हैं ; और

(ग) सरकार कितने शिक्षकों को उनका बकाया वेतन दिलाने में सफल हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). सरकार के सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन

३९२. { **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के प्रशासन द्वारा अंग्रेजी में कितने प्रकाशन निकाले जाते हैं और उनमें से कितने इस समय हिन्दी में निकाले जाते हैं ; और

(ख) जो प्रकाशन अभी हिन्दी में नहीं निकाले जा रहे हैं उन्हें हिन्दी में छापने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इन्दौर शासक को मान्यता

†३९३. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दौर का शासक बनने के लिये तीन दावेदारों ने केन्द्रीय सरकार तक पहुंच की थी ;

(ख) उनके नाम क्या हैं तथा उनकी योग्यता क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय कर लिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) मृत शासक के पिता, हिजहाइनेस तुकोजी राव होल्कर ।

(२) मृत शासक के दूर के भाई श्री मलहर राव होल्कर ।

(३) मृतशासक की पुत्री श्रीमती ऊषादेवी मल्होत्रा ।

(क) यह मामला अभी तक विचाराधीन है ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में शराब की खपत

†३९४. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में देशी तथा विलायती शराब की खपत में काफी वृद्धि हो गई है ; और

(ख) १९६०, और १९६१ में कितनी बिक्री हुई तथा कितनी खपत हुई तथा १९६२ की पहली तिमाही में भी कितनी बिक्री तथा खपत हुई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). ये आंकड़े निम्न हैं :

शराब की किस्म	१९६०	१९६१	१९६२ की पहली तिमाही
	गैलन	गैलन	गैलन
(१) देशी शराब .	१,३६,०७१	१,३७,६९९	४९,४६६
(२) विलायती शराब .	२,९६,८०५	३,३०,३१५	६८,९५८

स्कूल मध्याह्न-भोजन योजना

†३९५. **श्री इन्द्रजीत सिंह गुप्ता** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने स्कूल मध्याह्न धीजन योजना के लिए एक आदर्श 'मेनू' (योजना सूची) तैयार किया है ;

(ख) क्या इस 'मेनू' का अनुमानित व्यय १२ नये पैसे हैं ; और

(ग) यह 'मेनू' विस्तार से क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां, पोष्टाहार अनुसन्धान प्रयोगशालाओं में, जो कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्था से सम्बन्धित है, स्कूल मध्याह्न-भोजन योजना सम्बन्धी 'मेनू' (भौंजन सूचियां) बनाई है । देश के विभिन्न भागों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से ५२ 'मेनू' तैयार किये गये हैं ।

(ख) 'मेन'' में उल्लिखित भोजन का मूल्य अलग अलग है । उसका आधार कुछ चीजों पर कुछ चीजों की स्थानीय कीमतों पर है । वैसे सामान्यतः इसका मूल्य ९ नये पैसे से लेकर १२ नये पैसे तक समझा जा सकता है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जिन 'मेनू' (सूचियों) का सुझाव है उनमें प्रति बालक प्रतिदिन के लिए निम्न खाद्य पदार्थ सम्मिलित है :—

अन्न और मोटा अनाज	२.५ औंस
दालें	१ औंस
पत्तों वाली सब्जी	१ औंस
बिना पत्तों की सब्जी	१ औंस
तेल	१/४ औंस
मसाले और नमक	इच्छानुसार

"कैलरीज़' की दृष्टि से पौष्टिक ताव ४५० से ६०० तक होता है। प्रोटीन १५ से २३ ग्राम तक होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कैलशियम, लोह तथा विटामन ए, बी१ बी२ और सी इत्यादि भी विद्यमान हैं।

केरल में स्कूल मध्याह्न भोजन-योजना

†३९६. **श्री प० कुन्हन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में स्कूल मध्याह्न भोजन योजना के लिए क्या सहायता दी गयी है ;

(ख) क्या भारत सरकार को बताया गया है कि इस दिशा में जो राशि स्वीकृत की गयी है वह काफी नहीं है ; और

(ग) क्या यह सच है कि कई स्कूलों में यह योजना धन के अभाव के कारण छोड़ दी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :—

विवरण

(क) अलग से यह बता सकना संभव नहीं है कि स्कूल मध्याह्न-भोजन योजना के लिए केरल को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता कितनी है। क्योंकि योजना के अनुसार नहीं, ये सभी शिक्षा सम्बन्धी योजना के लिए एक साथ दी जाती है।

(ख) राज्य सरकार ने हाल ही में योजना आयोग से प्रार्थना की है कि इस योजना के कुल व्यय का एक तिहाई केन्द्र की ओर से अनुदान के रूप में दिया जाय। यह मामला अभी विचाराधीन है।

(ग) नहीं जी।

निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†३९७. **श्री प० कुन्हन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य को विश्वविद्यालय के निर्धन विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियों देने के लिए ताकि वे विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी कर सकें—राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सहायता के रूप में १९६१–६२ में कितनी राशि दी गयी ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य सरकार ने इसमें से कितनी राशि खर्च की है; और

(ग) क्या भारत सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि शिक्षा का वर्ष तो समाप्त होने को आया है परन्तु स्वीकृत छात्रवृत्तियां अभी भी छात्रों को प्राप्त नहीं हुई है ।

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

(क) १०१,७०० रुपये ।

(ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

मृत्यु दंड

३९८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५९-६० और १९६१ में कितने व्यक्तियों को भारत में फांसी की सजा दी गयी ;

(ख) उनमें से कितने वास्तव में फांसी पर लटकाये गये ; और

(ग) कितने अपराधियों का प्राणदण्ड बदल कर उन्हें कारावास की सजा दे दी गयी ?

गृह-कार्य मंत्री में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). इस विषय से मुख्यतः सम्बधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चुनाव विधि में सुधार

†३९९. **श्री बासप्पा** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरे आम चुनावों में जो कुछ भी अनुभव प्राप्त हुआ है उसकी दृष्टि से क्या सरकार चुनाव विधि में कुछ परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, ; और

(ख) यदि हां, तो जिन सुधारों पर विचार हो रहा है वे क्या हैं ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) तीसरे चुनाव अभी हाल ही में समाप्त हुये हैं । अतः सरकार ने अभी यह विचार नहीं किया कि चुनाव विधि मे कोई संशोधन आवश्यक है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों को सहायता

†४००. **श्री बासप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो राजनीतिक पीड़ितों तथा उनके आश्रितों के लिये रोजगार पेंशन तथा उनके बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गयी उनकी संख्या क्या है; और

(ख) स्वतन्त्रता के शहीदों को कैसे सम्मानित और याद किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) राजनीतिक पुर्नवास का कार्य प्रारम्भिक रूप मे राज्य सरकारों का है। उन्होंने इस दिशा में अपनी योजनाओं का निर्माण किया है जिसमें इस उद्देश्य के लिए नकद सहायता, भूमि की सहायता राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें इत्यादि की व्यवस्था की गयी है। जो जानकारी मांगी गयी है वह तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) यह मामला राज्य सरकारों के अधिकारक्षेत्र का है। वे जैसा उचित समझें शहीदों की याद मना सकते हैं ;

भाषायी अल्पसंख्यकों को संरक्षण

†४०१. **श्री बासप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों को जो संरक्षण दिया गया है उसका कोई परीक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परीक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). संविधान के अनुच्छेद ३५०-ख के अन्तर्गत जो व्यवस्था है भाषाई अल्प संख्यकों सम्बन्धी आयुक्त नाम के अधिकारी इस मामले से सम्बन्धित सभी मदों का परीक्षण करते रहते हैं और समय समय में इस बारे मे राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते रहते हैं। इस आयुक्त के तीन प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जा चुके हैं।

मैसूर और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद

†४०२. { **श्री बासप्पा** :
श्री दाजी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा मैसूर के बीच सीमा विवाद सम्बन्धी समिति की बैठक निकट भविष्य में हो रही है; और

(ख) क्या मैसूर और महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हो गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने अभी तक दोनों राज्य सरकारों को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

छावनियों में भंगियों के लिये मकान

४०३. **श्री बाल्मीकी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६० से अप्रैल, १९६२ तक छावनियों में काम करने वाले भंगियों के लिये मकान बनाने में क्या प्रगति हुई;

(ख) क्या यह सच है कि इन मकानों में बहुत ही रद्दी ढंग का या बहुत सस्ता इमारती सामान काम में लाया जा रहा है; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) अब तक सब से अधिक प्रगति किस छावनी में हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) छावनियों में काम कर रहे भंगियों के लिए, अप्रैल, १९६० से अप्रैल, १९६२ तक बनाये अथवा नवीकृत मकानों की राज्यवार संख्या देने वाला, एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ख) जी, नहीं ।

(ग) लण्ढूर और अलमोड़ा छावनियों में काम करने वाले सभी भंगियों को मकान प्राप्य कर दिये गये हैं ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा दिये गये अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र

४०४. **श्री बाल्मीकी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र केवल पुलिस की जांच के आधार पर ही दिये जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रक्रिया से प्रमाण-पत्र लेने में काफी देर लगती है; और

(ग) यदि हां, तो यह देर कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन से स्थिति मालूम की जा रही है; प्राप्त होने पर एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का पद

†४०५. **श्री बाल्मीकी** :
श्री अच्युतन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कई मास से अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आयुक्त का पद खाली पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का पद १-४-१९६२ को खाली हुआ । पहले इस पद पर श्री श्रीकान्त नियुक्त थे। २१-१२-६१ को उन्होंने अपने पद का कार्यभार दे दिया किन्तु वे ३१-३-१९६२ तक अवसान छुट्टी पर थे ।

श्री अनिल के० चन्दा, श्री एल० एम० श्रीकान्त के उत्तराधिकारी के रूप मे अनुसूचित जाति व अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त नियुक्त हुए । उन्होंने २५-४-१९६२ को कार्यभार संभाला ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के प्रश्न पर मुख्य मंत्रियों की बैठकें

†४०६. **श्री मोहसिन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ मई और १ जून, को और अन्य तिथियों को भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के मामले पर विचारार्थ राज्यों के मुख्य मंत्रियों की जो बैठकें हुई हैं उनके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: निर्णय सभी राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बद्ध प्राधिकारों को भेज दिये गये हैं। केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्षों की एक समिति बना दी गयी है, जो कि इन संरक्षणों को कार्यान्वित करने के बारे में देख भाल करेगी। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त भी इस मामले में देखभाल कर रहे हैं।

लोहा और इस्पात का उत्पादन

†४०७. { **श्री रामनाथन् चेट्टियार :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री दाजी : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लोहे और इस्पात के उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है उसके मुकाबले मे तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में तीनों कारखानों का उत्पादन क्या है;

(ख) लोहे और इस्पात के उत्पादन की गैर-सरकारी क्षेत्र में क्या स्थिति है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना तक के निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में तुलनात्मक तौर पर कैसी है; और

(ग) क्या इस सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के संयंत्रों की क्षमता का उपयोग पूरी तरह से किया जा रहा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). १९६१–६२ में लोहे और इस्पात का उत्पादन निम्न प्रकार से हुआ :—

	कच्चा लोहा बिक्री के लिए	इस्पात पिंड
	(मीट्रिक टनों में)	
भिलाई इस्पात परियोजना	४४६,०००	७८९,०००
रूरकेला इस्पात परियोजना	११७,०००	३५४,०००
दुर्गापुर इस्पात परियोजना	२९०,०००	४६३,०००
'टिस्को'	..	१,६५०,०००
'इस्को'	२४०,०००	९३०,०००
योग	१,०९३,०००	४,१८६,०००

†मूल अंग्रेज़ी में

तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (१९६१–६२) में यह उपरोक्त उत्पादन ४८ लाख टन इस्पात के पिन्डों के उत्पादन लक्ष्य की दिशा में था ।

(ग) जी, नहीं । 'टिस्को' को छोड़कर बाकी संयंत्रों की क्षमता १० लाख टन की है । टिस्को की क्षमता २० लाख टन की है । १९६१–६२ के अन्त में 'टाटा' 'टिस्को', भिलाई संयंत्र अपनी क्षमता का ९० प्रतिशत उत्पादन कर देंगे । दुर्गापुर और रूरकेला परियोजनाओं के अन्तर्गत अभी निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन होगा । इन दोनों संयंत्रों के पूरी तरह से चालू होने पर उत्पादन सम्भवतः निर्धारित क्षमता के अनुसार होने लगेगा ।

स्क्रैप समिति

†४०८. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्क्रैप समस्या पर विचार करने के लिए जो समिति नियुक्त की गयी थी उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) इन सिफारिशों का परीक्षण करने में सरकार का लगभग कितना समय लगेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: स्क्रैप समिति की सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है और शीघ्र ही उसके निर्णयों की घोषणा कर दी जायेगी ।

लौह अयस्क का चूरा[1]

†४०९. **श्री मुरारका** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत भर में लौह अयस्क का चूरा (आयरन और फाइन्स) किस मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) इसके सम्भव उपयोग क्या हैं; और

(ग) इसके निर्यात की मात्रा कितनी है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : लौह अयस्क के १/२" छोटे टुकड़ों को आम तौर पर लौह अयस्क का चूरा (फाइन्स) कहते हैं, क्योंकि उन्हें इसी रूप में धमन भट्टियों मे नहीं डाला जा सकता । जब तक आदमियों द्वारा ही खनन का कार्य खानों में होता रहा, तब तक इसका उत्पादन कम था । बाद में लौह अयस्क की अधिक जरूरत महसूस हुई तो इसके लिए मशीनों के साधन अपनाये गये । इस से इन फाइनों का उत्पादन २५ से ४० प्रतिशत तक हो गया। लौह अयस्क खानों के निश्चित तौर पर कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हें । लगभग एक वर्ष हुआ बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में बहुत बड़े मशीनी साधनों के प्रयोग करने पर ६० लाख टन चूरा (फाइन्स) उपलब्ध हुये । यदि लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ा तो यह चूरा और अधिक मात्रा मे भी उपलब्ध हो सकेगा और इसके लिए निक्षेपों का मशीनों से खनन करना जरूरी होगा ।

(ख) इस चूरे का लाभप्रद ढंग से प्रयोग करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । 'सिन्टरिंग' (संयुंजन) प्रणाली अन्य देशों में बहुत सामान्य है । भारत में सिन्टरिंग प्लान्ट पहले ही जमशेदपुर, प्रभावती तथा भिलाई मे लगाये जा चुके हैं। रूरकेला के

†मूल अंग्रेजी में

[1]Iron ore Fines.

लिए और बोखारो इस्पात संयंत्र के लिये भी इस प्रकार के संयंत्र का आर्डर दिया हुआ है । विस्तार से प्रयोगशाला में इसके प्रयोग भी किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय धातु शोधन प्रयोगशाला और खान ब्यूरो मे इस से ईंटें इत्यादि बनाने का भी प्रयोग हो रहा है ।

(ग) उपरोक्त अध्ययन से पता चलता है कि चूरे को ठीक करके निर्यात करना भी भी लाभदायक रहेगा । इस समय—थोड़ा बहुत गोआ को छोड़कर—लौह अयस्क चूरे का निर्यात नहीं होवा था ।

अमेरिका से वापिस न आने वाले टेक्निशियन

†४१०. **श्री अंजनप्पा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जो लोग अमेरिका में उच्च प्रविधिक शिक्षा के लिये जाते हैं वे भारत वापिस आना नहीं चाहते और अमेरिका में साधारण पदों पर भी रहना पसन्द करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार भारत की प्रगति के लिये इन प्रविधिक कर्मचारियों का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) १९३९ वैज्ञानिक तथा प्रविधिक कर्मचारियों—जो हाल में अमेरिका प्रशिक्षण प्राप्त करने गये—के नाम गत छः वर्षों में राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज किये गये । इन में से ८९१—अर्थात् ४६ प्रतिशत—भारत वापिस आ गये हैं।

(ख) सरकार ने वैज्ञानिक और प्राविधिक कर्मचारियों का उपयोग करने और उन के लिए नौकरी सुविधायें उपलब्ध करने के लिए कुछ कार्यवाहियां की हैं।

(१) एक ऐसा रजिस्टर बनाया गया है, इस में उन वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के नाम रहेंगे जो विदेशों मे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं अथवा नौकरी कर रहे हैं।

ये नाम अनेक सरकारी और गैर सरकारी नियोजकों को परिचालित किये जाते हैं।

(२) विभिन्न नियोजक अभिकरणों की नौकरी सम्बन्धी अधिसूचनाओं के जवाब में इन योग्य उम्मीदवारों के नाम इनके नोटिस में लाये जाते हैं।

(३) वैज्ञानिक और प्राविधिक नौकरियों के नोटिस "टैक्नीकल मैन पावर बुलिटेन" में छाप कर विदेशों में भारतीय दूतावासों तथा कुछ विदेशी संस्थाओं को भेजा जाता है ताकि विदेशों मे रहने वाले हमारे वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी हो जाय ।

(४) एक 'साइन्टिस्ट्स पूल' बनाया गया है जिस में से योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को—जब तक उन्हें नियमित नौकरी नहीं मिल जाती—अस्थायी तौर पर काम पर लगाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इनामी बांड योजना

४११. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में चलाई गई इनामी बांड योजना से सरकार को अब तक कितना लाभ हुआ है ; और

(ख) इस योजना की अब तक क्या सफलतायें रही हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जनता द्वारा इनामी बाडों मे लगायी गयी कुल रकम १ अप्रैल, १९६५ को चुकाने योग्य हो जायेगी ; इनाम जीतने वालों में इस रकम का सिर्फ़ ब्याज ही बांटा जाता है । इसलिए, इस योजना से सरकार को लाभ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(ख) बेचे गये इनामी बांडों की कुल कीमत इस तरह है :

	करोड़ रुपये
१९६०-६१	१५.७५
१९६१–६२	३.१३
जोड़	१८.८८

दिल्ली विश्वविद्यालय की डाक द्वारा शिक्षा देने की योजना

†४१२. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी वर्ष से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डाक द्वारा पढ़ाने का पाठ्यक्रम भी आरम्भ हो जायेगा ;

(ख) आगामी वर्ष से और कौन कौन से विश्व विद्यालयों ने इस प्रकार की प्रणाली को लागू करने की स्वीकृति दी है ; और

(ग) इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दिल्ली विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अलीगढ़, भागलपुर, बिहार, गोहाटी, गुजरात, रांची, विक्रम, सागर, एस० एन० डी० टी० (महिलाओं के लिए) और जबलपुर विश्वविद्यालयों ने भी इस प्रकार की डाक शिक्षा प्रणाली को लागू करने की सहमति प्रकट की है । डाक शिक्षा प्रणाली की विशेषज्ञ समिति की बैठक २९ जनवरी को हुई जिस में यह सिफारिश की गयी कि डाक शिक्षा प्रणाली को दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू

†मूल अंग्रेजी में

करके उस के परिणामों का अध्ययन किया जाये । अन्य विश्वविद्यालय जो कि अपने यहां यह प्रणाली लागू करना चाहते हैं इस दिल्ली में हो रहे प्रयोग का छः मास तक अध्ययन करें और विस्तार से योजना तैयार करे।

(ग) एक पेम्फ्लेट तैयार किया जा रहा है जिस से योजना को लोकप्रिय बनाया जा सके ।

सिंगरेनी कोयला खानें

†४१४. श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री मुहम्मद इल्यास :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि राज्य सरकार का सिंगरेनी कोयला खानों पर नियन्त्रण रहने दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). कुछ समय पहले आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी के भावी विस्तार कार्यक्रम के लिये साम्य पूंजी या ऋणों के रूप में धन उपलब्ध करने में असमर्थता प्रकट की थी। इन कोयला खानों के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कम्पनी के विकास कार्यक्रम के लिये सारा रुपया देना मंजूर कर लिया था और आंध्र प्रदेश सरकार ने यह मान लिया था कि भारत सरकार की साम्य पूंजी अधिक हो और कम्पनी के निदेशक बोर्ड में भी उस के प्रतिनिधियों को बहुमत प्राप्त हो। कम्पनी के संशोधित संगठन का ब्योरा आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने हाल में भारत सरकार को लिखा है कि वह सारी स्थिति पर पुनर्विचार कर रही है। मामला अब विचाराधीन है।

कलकत्ता इंजीनियरिंग कालेज, बालीगंज, कलकत्ता

†४१५. **श्री रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रविधिक कर्मचारियों और इंजीनियरों की अत्यधिक मांग को देखते हुए, क्या कलकत्ता इंजीनियरिंग कालेज, बालीगंज, कलकत्ता को सरकार द्वारा अभिज्ञात किया जायेगा; और

(ख) सालों तक कॉलेज की गैर-सरकारी सेवाओं और अच्छी शिक्षा के बावजूद अभी तक सरकार ने इसे क्यों अभिज्ञात नहीं किया था ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख) इस कालेज को १९४७ से १९५२ तक अभिज्ञात किया गया था जब कि यह प्रविधिक शिक्षा की राज्य परिषद से सम्बन्धित था। इस अभिज्ञान की अवधि बढ़ाई नहीं गई थी,

†मूल अंग्रेजी में

क्योंकि यह संस्था राज्य परिषद् से सम्बन्धित नहीं रही थी क्योंकि यह ठीक स्तर कायम नहीं रख सकता था ।

५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली में कैंटीन

†४१६. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी के कर्मचारियों की कैंटीन को पिछले दो वर्षों में १०,००० रुपये का घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस के करण ;

(ग) क्या इन कारणों की जांच करने के लिये कोई न्यायालय नियुक्त किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो उस न्यायालय का निर्णय क्या था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैय्या) :** (क) और (ख). ३१ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६२ तक की अवधि में घाटा १०००० रुपये नही बल्कि ३०८४.९६ था। घाटा इन कारणों से हुआ था :

(१) पदार्थों के मूल्यों में सामान्य वृद्धि ।

(२) बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिये बेची जानी वाली वस्तुओं के बिक्रय मूल्यों को बढ़ाने में कर्मचारियों का संकोच ।

(३) कैंटीन के कर्मचारियों की संख्या और वेतन में वृद्धि ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

सिन्द्री उर्वरक कारखाना

†४१७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्द्री उर्वरक कारखाने में विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या इन कर्मचारियों का कोई कार्मिक संघ है ;

(घ) क्या कर्मचारियों को बोनस देने या कुछ तदर्थ अदायगी करने की कोई व्यवस्था है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस वर्ष कब अदायगी की मंजूरी देने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) ३१-३-६२ को स्थिति इस प्रकार थी :

पदाधिकारी	९३
निरीक्षक प्राविधिक	६११
निरीक्षक (अप्रविधिक)	८५
गैर-निरीक्षक (प्रविधिक)	३९०९
गैर-निरीक्षक (अप्रविधिक)	११४६
चतुर्थ श्रेणी	१२४४
मजदूर	१९८४
सामयिक मज़दूर (औसत)	३४८
योग	९४२०

(ख) जी हां, एक पंजीबद्ध संघ है, जिसे उर्वरक कारखाना श्रमिक संघ कहा जाता है और जो प्रबन्धकों द्वारा अभिज्ञात है ।

(ग) और (घ). कर्मचारियों को बोनस देने के लिये कोई नियमित उपबन्ध नहीं है, तथापि १९५५-५६ और १९५९-६० में कर्मचारियों को कुछ तदर्थ अदायगियां की गई थीं । यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन नहीं आया कि क्या ऐसी अदायगी १९६०-६१ में भी की जाये ।

निःशुल्क विश्वविद्यालय शिक्षा

†४१८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने जाति और सम्प्रदाय का ध्यान न रखते हुए, परिवार की आय का स्तर देख कर विश्वविद्यालय की सब से ऊंची उपाधि तक के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और ये सुविधाएं आय की किस स्तर तक दी गई है ; और

(ग) क्या सरकार अन्य राज्यों को ऐसी योजनाएं क्रियान्वित करने के लिये कहेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१ मई १९६२ को उत्तर के लिये

ब्रिगेडियर उस्मान का स्मारक

४१९. { **श्री सरजू पांडे :**
श्री ज० ब० सिंह ।

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिगेडियर उस्मान, जो काश्मीर के मोर्चे पर मारे गये थे, की यादगार में सरकार ने कोई स्मारक बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्मृति में कौन सा स्मारक बनाया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उनका कोई स्मारक बनाना चाहती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) तथा (ख). दो स्मारक बनाए गए हैं, एक झंगर में श्वेत-प्रस्तर-शिला के रूप में, उस चट्टान पर जहां ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हुए, थे, और दूसरा जामिया मिलिया ओखला में, उनकी कब्र पर, चबूतरे के रूप में। द्वितीय स्मारक से सम्बद्ध कुछ छोटे छोटे काम अभी सम्पूर्ण करने शेष रह गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के स्कूलों में दाखिला

†४२०. **श्री राम सेवक यादव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के स्कूलों में ग्यारहवीं कक्षा में प्राइवेट विद्यार्थियों का दाखिला परीक्षा के आधार पर किया जाता है; और

(ख) क्या एक वक्तव्य जिस में १९६१-६२ के दौरान, कक्षावार ऐसे दाखिल किये गये विद्यार्थियों की संख्या दी गई हो, पटल पर रखा जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां। तथापि नवीं, दसवीं, और ग्यारहवीं कक्षा में प्राइवेट विद्यार्थियों को दाखिल नहीं किया जाता ।

(ख) जी हां, जानकारी इकट्ठी करके सभा पटल पर रखी जा सकती है।

आधुनिक भारतीय भाषायें

†४२१. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

(ख) १९६२-६३ में प्रत्येक भाषा के विकास पर कुल कितना रुपया खर्च किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) :** (क) आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास की एक योजना है जिसके अन्तर्गत हिन्दी को छोड़कर शेष

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय भाषाओं में उपयुक्त प्रकाशन निकालने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। हिन्दी के विकास का उत्तरदायित्व शिक्षा मंत्रालय पर है।

(ख) १९६२–६३ के दौरान में १७.५ लाख रुपये की रकम आवंटन के लिए रखी गई है, किन्तु प्रत्यक भाषा के लिए कोई निश्चित रकम नहीं रखी गई।

निजी व्यक्तियों के पास प्राचीन वस्तुएं

†४२२. { **श्री सिंहासन सिंह :**
डा० महादेव प्रसाद : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदिशा वन (मध्य प्रदेश) में विदिशा संग्रहालय के रक्षक को सम्राट अशोक का एक बुत मिला था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस बुत को निकालकर संग्रहालय में रखा गया है या वह अभी वन में पड़ा है ;

(ग) क्या उक्त रक्षक अभी विदिशा संग्रहालय में काम कर रहा है और उसके पास जो प्राचीन वस्तुएं हैं क्या वह उन्हें देने के लिए तैयार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय मे क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) भारत सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) विदिश संग्रहालय भारत के पुरातत्व विभाग के अधीन नहीं है।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर स्कूलों में आदिम जाति विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाई

†४२४. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आदिम जाति विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की फीस माफ थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि चूंकि मनीपुर प्रादेशिक परिषद् आदिम जाति विद्यार्थियों की फीसें सम्बन्धित स्कूलों को नहीं दे सकीं; सहायता प्राप्त स्कूलों ने चालू पढ़ाई वर्ष के आरंभ से उन विद्यार्थियों से फीस इकट्ठी की है ;

(ग) यदि हां, तो परिषद् ने स्कूलों को फीसें क्यों नहीं दीं; और

(घ) आदिमजाति विद्यार्थियों की फीस माफ करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (घ) मनीपुर प्रशासन से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेवानिवृत्त आई० सी० एस० और आई० ए० एस० पदाधिकारी

†४२५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले ३ वर्षों में आई० सी० एस० और आई० ए० एस० के कितने पदाधिकारी सेवा से निवृत्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितनों ने (१) सरकारी क्षेत्र और (२) गैर–सरकारी क्षेत्र में उक्त नौकरी कर ली हैं; और

(ग) क्या उनको पुनः नौकरी करने के बारे में एक विस्तृत वक्तव्य पटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्रवृत्तियां

†४२६. **श्री रामकृष्ण यादव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में विभिन्न विदेशों ने भारतीय विद्यार्थियों को कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी हैं ;

(ख) कितने विद्यार्थियों ने इनका उपयोग किया है और विदेश गये हैं ;

(ग) उक्त छात्रवृत्तियों के लिए विद्यार्थी चुनने के लिए सरकार ने क्या कसौटी अपनाई थी; और

(घ) क्या इस विषय में पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों के पक्ष में कोई रियायतें दी गई थीं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :**

(क)	१९६०–६१	४१
	१९६१–६२	८९
(ख)	१९६०–६१	३६
	१९६१–६२	७

(ग) पढ़ाई के रिकार्ड और वास्तविक कार्य के आधार पर उचित चुनाव समिति ने विद्यार्थियों से भेंट कर के उनकी योग्यता का निर्णय किया था;

(घ) नहीं।

अफीम

†४२७. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अफीम" की परिभाषा मे अफीम के डोढ़े के खाली छिलके भी सम्मिलित हैं जिनसे रस निकाल लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इनका परिवहन एवं निर्यात कर सकती है ; और

(ग) कौन से राज्य किन अवस्थाओं अथवा कानून के अधीन इसका व्यापार करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अफीम के डोढ़ों का अन्तर्राज्यिक व्यापार केवल औषधि के योजन के लिये ही किया जाता है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में जहां इनका उत्पादन होता है, वे सम्बन्धित राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर ही इन के निर्यात की अनुमति देते हैं। अफीम अधिनियम १८७८ की धारा ५ के अधीन राज्य सरकारों ने इस कार्य के लिए आवश्यक नियम बनायें हैं।

गुजरात में मढ़ेरा स्थित सूर्य मन्दिर

†४२८. श्री पु० र० पटेल : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुढ़ेरा (गुजरात) का सूर्य मन्दिर राष्ट्रीय महत्व का है और केन्द्रीय सरकार उसका संरक्षण करती है ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि हर वर्ष वहां मिट्टी बह जाने के फलस्वरूप मन्दिर को क्षति पहुंचती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संकट को टालने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता :

गुजरात के लिए प्राकृतिक गैस

†४२९. श्री पु० र० पटेल : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में उद्योगों ने प्राकृतिक गैस की मांग की है ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गुजरात में उद्योगों को उचित कीमत पर गैस संभरण करने की भी प्रार्थना की ह ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन पर विचार किया ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं।

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने यह निर्णय किया है कि गैस संभरण करने के लिए किसी भी गैर-सरकारी समवाय से फिलहाल कोई वायदा नहीं किया जा सकता । स्वयं आयोग भी पैट्रोल तथा रसायन सम्बन्धी उद्योगों गैस उपयोग करने की संभावनाओं को अध्ययन कर रहा है और इसके अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन के लिए गुजरात विद्युत् बोर्ड को गैस संभरण करने के लिए कुछ अल्पकालीन, वायदे पहले ही किये जा चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी टाइपराइटिंग और शार्टहैंड संस्था, त्रिवेन्द्रम्

†४३०. श्री प० कुन्हन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का त्रिवेन्द्रम में हिन्दी टाइपराइटिंग और शार्टहैंड संस्था स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

केरल में आदिम जाति खंड

†४३१. श्री प० कुन्हन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना में केरल में कितने आदिम जाति खंड स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) इस कार्य के लिए कितना धन आवंटित किया गया है ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने खंड निर्धारित किये गये थे; और

(घ) इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) दो।

(ख) सामुदायिक विकास एवं सहकार मंत्रालय द्वारा दी गई राशि में वृद्धि करने के लिए गृह-कार्य मंत्रालय ने तीसरी योजना में इस योजना के लिए १२ लाख रुपये की रकम नियत की है।

(ग) तीसरी योजना में केरल में कोई आदिम जाति खंड नहीं बनाया गया ;

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केरल में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†४३२. श्री प० कुन्हन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के लिये केरल राज्य को कितनी राशि मंजूर की गई ; और

(ख) उस में से कितनी राशि वास्तव में प्रयुक्त की गई ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) (१) **द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के प्रथम तीन वर्ष** (१९५६–५७ से १९५८–५९)

इस योजना का प्रशासन भारत सरकार ने किया था। राज्य सरकारों को इसलिये अनुदानों की अपेक्षा नहीं थी। भारत सरकार ने केरल राज्य की अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने पर ६,६५,४३५ रुपये और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने पर १८,९३६ रुपये व्यय किये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) (२) १९५९–६०––१९६०–६१

अनुसूचित जातियों के लिये ४,६२,४०० रुपये और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये २२,००० रुपये के अनुदान छात्रवृत्तियों के लिये मंजूर किये थे ।

(ख) केरल राज्य सरकार ने भाग (२) में उल्लिखित अनुदान में से अनुसूचित जातियों पर ३,०६,३०८ रुपये और अनुसूचित आदिम जातियों पर ९,५२४ रुपये व्यय किये थे ।

सेवा-मुक्त सेना कर्मचारी

†४३३. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में सशस्त्र सेवा के कुल कितने कर्मचारी राजनीतिक कारणों से सेवा-मुक्त किये गये ;

(ख) केरल में उनकी संख्या कितनी रही;

(ग) क्या उनको सेवा-मुक्त होने से पहले अपने मामलों में सफाई पेश करने का कोई अवसर दिया गया था ;

(घ) क्या सेवा मुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों को अपील करने का कोई अधिकार होता है ; और

(ङ) क्या पुलिस या डी० एस० एस० एण्ड ए० बोर्ड ने उन के मामलों में सत्यापन किया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघु रामैया) :** (क), (ख) और (ङ) सशस्त्र सेवाओं के कर्मचारियों को समय-समय पर असैनिक पुलिस या जिला अधिकारियों द्वारा उनकी राजद्रोहात्मक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में दी गई रिपोर्टों के आधार पर सेवा-मुक्त किया जाता है । उन की संख्या बहुत थोड़ी होती है, पर लोकहित की दृष्टि से सारे देश में उनकी कुल संख्या या किसी राज्य विशेष में उनकी संख्या बतलाना वाछंनीय नहीं है ।

(ग) सामान्यतया ऐसे मामलों में सैनिक, नाविक या वैमानिक को सेवा-मुक्त करने से पहले उसे सफाई पेश करने का नोटिस नहीं दिया जाता ।

(घ) सेना–कर्मचारियों के लिये तो सेवा-मुक्ति के विरुद्ध अपील-याचिका के अधिकार की स्पष्ट व्यवस्था है, पर नौसेना और वायु सेना के कर्मचारियों के लिये ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है । फिर भी, ऐसे कर्मचारियों को अपनी सेवा-मुक्ति के विरुद्ध याचिकायें पेश कर सकते हैं। उन पर उचित विचार किया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

तारापुर में पारे के निक्षेप[1]

†४३४. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री द्वी० चं० शर्मा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक : }

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर में अणु-शक्ति केन्द्र के निकट पारे के निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और किस प्रकार के ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में तेल की खोज

†४३५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को खोज कार्य में अधिक सहायता नहीं मिली है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने कुओं का खनन किया गया है ; और

(ग) उनमें से कितने कुओं में तैल/गैस मिली ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) ४ गहरे और ७ 'स्ट्रक्चरल' कुओं का खनन हुआ है । और पांचवें गहरे कुंए का खनन हो रहा है ।

(ग) एक गहरे कुंऐं में गस मिली है, दो में कुछ नहीं मिला और एक का परीक्षण अभी किया जा रहा है ।

अफीम का विक्रय

†४३७. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषकों से कितने प्रति सेर के भाव से अफीम खरीदी जाती है ;

(ख) अफीम की एक निश्चित मात्रा से 'अल्कालोइड्स' बनाने पर कितना खर्च आता है ; और

(ग) सरकार अफीम और उसके उत्पादों के विक्रय से प्रतिवर्ष कितना मुनाफा करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mercury Deposits.

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १९६१–६२ के मौसिम के लिये निर्धारित भाव ७० डिग्री शुद्ध अफीम के लिये प्रति सेर ३३.५० रु० से ४१.०० रुपये तक है, जो कृषक को औसत उपज पर निर्भर करता है।

(ख) अर्ध-परिष्कृत 'मौर्फीन' और अर्ध-परिष्कृत प्राकृतिक 'कोडीन' के प्रति किलोग्राम पर १८७.२० रुपये ।

(ग) ३० सितम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में १,३९,८८,५४८ रुपये मुनाफा था ।

केरल के स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन

†४३८. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री प० कुन्हन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को १९६०–६१ और १९६१–६२ के दौरान स्कूली बच्चों के लिये दोपहर के भोजन की व्यवस्था के लिये कितनी राशि का अनुदान दिया गया ;

(ख) यह योजना कितने स्कूलों में चालू की गई है ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने बच्चों को भोजन दिया जा रहा है ;

(घ) क्या भारत सरकार से अनुदान में वृद्धि करने के लिये कहा गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) केरल को १९६०–६१ और १९६१–६२ के दौरान स्कूली बच्चों के लिये दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने के लिये केन्द्र की ओर से सहायता के रूप में दी गई राशि बतलाना सम्भव नहीं है, क्योंकि वह सहायता प्रत्येक योजना के लिये अलग-अलग नहीं दी गई थी ; वह शिक्षा संबंधी सभी कार्यक्रमों के लिये इकट्ठी दी गई थी।

(ख) ८,२५२ ।

(ग) १४,७६,००० ।

(घ) और (ङ) केरल सरकार ने स्कूली बच्चों के लिये दोपहर के भोजन की व्यवस्था की योजना पर होने वाले कुल व्यय के एक तिहाई भाग के बराबर राशि अनुदान के रूप में भारत सरकार से मांगी है । मामला अभी विचाराधीन है ।

दिल्ली में साइकिलों का चालान

†४३९. { **श्री राम सेवक** :
श्री सूर्य प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१–६२ में दिल्ली पुलिस ने साइकिलों के चालान से कितनी राशि वसूल की ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : १९६१–६२ में साइकिलों के चालानों से ३,५२,७५५.०० रुपये की राशि वसूल की गई थी।

केरल के खनिज संसाधन

†४४०. { श्री नटराजन पिल्ले :
श्री कोया :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों के दौरान केरल राज्य के खनिज संसाधनों का कोई व्यापक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) भारत के भू-भौतिकी सर्वेक्षण ने पिछले दस वर्षों में केरल राज्य के कई भागों में खनिजीय सर्वेक्षण किये हैं।

(ख) गत दस वर्षों के दौरान किये गये कार्य का ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५]**

दरीबो में तांबे की खान

†४४१. { श्री का० रा० गुप्त :
श्री कर्णी सिंह जी :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के अलवर जिले में खोह-दरीबो की तांबे की खानों में अयस्क का सामान्य उत्पादन शुरू हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो वह कब उस अवस्था तक पहुंचेगा ;

(ग) क्या कार्य की सामान्य परिस्थितियां तैयार हो गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो औसत रूप से प्रतिदिन कितने टन अयस्क निकलती है या निकलेगी और उस में कुल कितने मजदूर रखे जायेंगे;

(ङ) खानों में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम दैनिक मजूरी कितनी है और अयस्क की प्रति टन लागत कितनी बैठती है; और

(च) उन खानों से निकलने वाले अयस्क में औसतन कितने प्रतिशत तांबा रहता है और खेतड़ी की खानों की अयस्क में कितने प्रतिशत रहता है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). भारतीय खान ब्यूरो अभी इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है और १९६२ के अन्त तक उनका अन्तिम प्रतिवेदन मिलने की आशा है। इस क्षेत्र का उत्पादन भी खेतड़ी की खानों के उत्पादन के साथ ही १९६५ तक शुरू हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). ऊपर बतलाया गया है कि खान का उत्पादन १९६५ तक शुरु हो जायगा। अनुमानतः औसत उत्पादन प्रति दिन २०० टन अयस्क होगा। अभी इस समय उसमें लगने वाले मजदूरों की संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) दरीबो अयस्क में औसत रूप से २.५ प्रतिशत तांबा है, जब कि खेतड़ी की खानों की अयस्क में औसतन ०.८ प्रतिशत रहता है।

नूनमती तेल शोधन कारखाना

†४४२. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नूनमती परिष्कारिणी चाय सुखाने के लिये प्रयुक्त होने वाले कोयले के स्थान पर कोई वैकल्पिक ईंधन तैयार करेगी ; और

(ख) क्या चाय उद्योग कोयले के स्थान पर पेट्रोलियम ईंधन का प्रयोग करने के लिये सहमत हो गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, हां। नूनमती परिष्करिणी चाय सुखाने के लिये कोयले के स्थान पर एक चाय सुखाने वाला तेल तैयार करने की योजना बना रही है।

(ख) चाय उद्योग अभी भी दिगबोई परिष्करिणी से मिलने वाले ऐसे तेल का प्रयोग कर रहा है।

मुद्रा का तस्कर-व्यापार

†४४३. { **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८ अप्रैल, १९६२ को एक अमरीकी राष्ट्रजन ७३,००० रुपये के मूल्य की भारतीय मुद्रा ले जाता हुआ पालम हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) सरकार ने उस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). जी, हां। १७ अप्रैल, १९६२ की शाम को एक अमरीकी राष्ट्रजन, श्री जोसेफ ली हैरीसन, जो पर्यटक के वीसा पर भारत आया था, पालम हवाई अड्डे से रोम के लिये रवाना होते समय ७२,७७६

---

†मूल अंग्रेजी में

रूपये के मूल्य की भारतीय मुद्रा के नोटों के साथ पकड़ा गया था। सीमा-शुल्क अधिकारियों ने जांच के समय उससे सूट केस खोलने के लिये कहा था। सूटकेस और उसके हाथ के बैग को जांच करने और उसकी खुद की तलाशी लेने पर वह राशि मिली थी।

(ग) श्री हैरीसन को समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १७३ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर के दूसरे दिन नई दिल्ली के रेजीडेण्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। मैजिस्ट्रेट ने एक लाख रूपये का एक जमानती मांगा था। चूंकि अपराधी जमानती नहीं जुटा सका, इसलिये उसे जेल की हवालात में भेज दिया गया। विभागीय तौर पर मामले का मध्यस्थ निर्णय कराने और विदेशी मुद्रा आदान-प्रदान विनियमन अधिनियम तथा समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

बिहार के आदिम जाति के बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा

†४४४. **श्री ह० च० सौय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो पंचवर्षीय योजना काल की समाप्ति के बाद भी बिहार में आदिम जातियों के बच्चों के लिये उनकी अपनी भाषा में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, उसका क्या कारण है ; और

(ग) क्या यह सच है कि प्राथमिक अवस्था पर ही अपनी भाषा न सीखकर उनको अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दी पढ़नी पड़ती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). राज्य-सरकार से सूचना संग्रह की जा रही है और यथासमय पटल पर रख दी जायेगी।

सागर जिले के खुरई में 'पोलीटेकनिक'

†४४५. **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई नामक स्थान के लोगों ने अपने नगर में "पोलीटेकनिक, स्थापित करने की सभी शर्तें पूरी कर दी हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है ?

(ग) क्या यह सच है कि अभी तक सागर जिले में एक भी 'पोलीटैकनिक' नहीं है; और

(घ) क्या सरकार आगामी शिक्षा-सत्र से यह प्रतिष्ठान चालू करेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) और (ख). राज्य सरकार ने 'द्वार खोलो पुनरीक्षित नीति' के अन्तर्गत खुरई में एक 'पोलीटैकनिक' खोलने का प्रस्ताव भेजा है, जिसके लिये खुरई की जनता ने तीन लाख रुपये दान में दिये हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकार द्वारा पूरा विवरण मिलते ही योजना पर विचार किया जायेगा।

मैसूर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं की पढ़ाई की व्यवस्था

†४४६. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को तैयार करने के लिये कोई पढ़ाई केन्द्र खोला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक चालू होने की आशा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) प्रस्ताव है कि मैसूर विश्वविद्यालय के अधीन एक ऐसा केन्द्र चालू किया जाये।

(ख) लगभग अक्तूबर, १९६२ से।

मैसूर राज्य में हरिजन विद्यार्थियों के लिये स्कूल

†४४७. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में प्राथमिक स्तर पर हरिजनों के लिये कई पृथक स्कूल हैं ; और

(ख) सरकार उन पृथक स्कूलों को हटाने के लिये क्या करने जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). मैसूर सरकार से सूचना संग्रह की जा रही है। उसके मिलने पर सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा।

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय की एक महिला कर्मचारी द्वारा आत्महत्या

†४४८. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय की एक महिला कर्मचारी ने नार्थ ब्लाक से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहले भी ऐसी घटनायें हो चुकी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनायें न होने देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां। ६ अप्रैल, १९६२ को एक महिला कर्मचारी ने नार्थ ब्लाक सचिवालय की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या करली थी।

(ख) १९६१ में आत्महत्या की दो घटनायें हुई थीं।

(ग) ऐसे मामलों में कोई विशेष उपाय करना संभव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंकलेश्वर में कर्मचारी

†४५०. **श्री याज्ञिक** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या अंकलेश्वर में तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रखे गये कर्मचारियों में सेवा की दशाओं और शर्तों को लेकर गंभीर असंतोष फैला हुआ है ;

(ख) क्या कर्मचारी संघ के साथ कोई समझौता हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो समझौते को शर्तें क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क), (ख) और (ग). अंकलेश्वर में तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रखे गये कर्मचारियों में कोई गम्भीर असंतोष नहीं है । हां, कुछ प्रतिनिधान आये थे और उनका संतोषजनक ढंग से समझौता हो गया है ।

जम्मू तथा कश्मीर से विदेश जाने वाले विद्यार्थी

†४५१. **बख्शी अब्दुल रशीद** :
श्री अब्दुल गनी गोनी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा कश्मीर से कितने विद्यार्थियों को किन किन देशों में पिछले दो वर्षों के दौरान विदेशों में अध्ययन के लिये भेजा गया ; और

(ख) उनमें से कितनों को सरकारी खर्च पर भेजा गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). सूचना संग्रह की जा रही है और संग्रह होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रक्रिया के बारे में

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : जानकारी के लिये एक बात पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हमारे नियमों में जानकारी पूछने के लिये इस प्रकार प्रश्न करने की कोई व्यवस्था है । यह तो एक नई चीज है ।

†**श्री हेम बरुआ** : दिल्ली के अध्यापकों द्वारा की जाने वाली भूख हड़ताल के बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसकी अनुमति आपने नहीं दी । पहले अवसर पर आपने निर्णय दिया था कि स्थगन प्रस्ताव को ध्यान आकर्षित करने वाले प्रस्ताव में बदला जा सकता है । लेकिन आपने इसे उस प्रस्ताव में भी नहीं बदला । क्या यह आपके पहले निर्णय का विलोम नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक स्थगन प्रस्ताव तो स्वत: ही ध्यान आकर्षित करने वाले प्रस्ताव में नहीं बदल जाया करता । वह तो उसके विषय पर निर्भर करता है । इसका निर्णय करना सदैव मेरे हाथ की बात है । यदि माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो वह मेरे पास आये और हम उसकी चर्चा करेंगे । पहले भी यह बताया जा चुका

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

है कि ऐसी स्थिति जब कि कोई निर्णय कर दिया जाता है और माननीय सदस्य उस से सन्तुष्ट नहीं हैं तो वह मुझे आकर बतायें उसके बाद ही मैं अपना निर्णय बदल सकता हूं । लेकिन उसी समय नहीं ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

बिहार को कोयले का अपर्याप्त संभरण

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं नियम १९७ के अनुसार खान तथा ईंधन मंत्री का ध्यान बिहार में कोयले के अपर्याप्त सम्भरण के फलस्वरूप बहुत से उद्योगों के बंद हो जाने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करता हूं और उन से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात के बारे में एक वक्तव्य दें ।

†**खान तथा ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : संभव है कि बिहार के उद्योगों को कुछ दिक्कत हुई हो जैसी कि अन्य राज्यों में भी हुई है । क्योंकि उनकी कोयले के संभरण की समस्त मांग पूरी नहीं की जा सकी है । परन्तु प्रमुख उद्योगों को चालू रखने के लिये पर्याप्त सम्भरण करने का आश्वासन दिया गया है । वास्तव में १९६१ में समूचे रूप से बिहार को कोयले का सम्भरण अच्छा रहा है । १९६० में बिहार को २,३२,३७९ वैगन दिये गये थे जब कि १९६१ में २,६३,००१ वैगन दिये गये हैं।

'रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड' (सीमेंट कारखाना) को छोड़कर न तो बिहार सरकार से ही और न किसी औद्योगिक इकाई से ही इस बात की शिकायत मिली है कि अपर्याप्त कोयले के संभरण के कारण काम के घंटे कम करने पड़े हैं अथवा कारखानों को आंशिक रूप में बंद करना पड़ा है । रोहतास इंडस्ट्रीज लि० की शिकायत मिलने पर कि कोयले की कमी के कारण उनका कारखाना आंशिक रूप से बन्द हो गया है कोयला नियंत्रक ने टेलीफोन द्वारा ही मार्च, १९६२ में २३ वैगन तथा अप्रैल, में ४० वैगनों की अतिरिक्त व्यवस्था कर दी । इस कारखाने को सामान्य रूप से कोयले का सम्भरण जो पहले ३३६ वैगन प्रति मास था उसे बढ़ाकर अब निम्नलिखित कर दिया गया है :—

मास	कुल संभरण वैगन
अक्तूबर १९६१	३७५
नवम्बर १९६१	३७४
दिसम्बर, १९६१	३१४
जनवरी १९६२	३९०
फरवरी १९६२	३३०
मार्च १९६२	४१८

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले के उत्पादन एवं उस के संभरण का काम प्रगति पर है । आजकल कोयले की जो कमी दिखायी पड़ती है वह इस कारण से है कि उपभोक्ताओं की मांग परिवहन की वर्तमान क्षमता के अनुपात से कहीं अधिक बढ़ गई है ।

उद्योगों को कोयले के संभरण करने के बारे में सरकार निरन्तर देखभाल करती रहती है । जैसे ही उद्योगों से कोयले के संभरण की कमी के बारे में शिकायतें मिलती हैं वैसे ही उनको विशेष अथवा प्राथमिकता के आधार पर कोयले का संभरण किया जाता है । और जिन के पास पर्याप्त कोयला होता है उनका कोयला थोड़ी देर के लिये रोक लिया जाता है ।

नई सरकार बनने के तुरन्त बाद ही कोयले के अधिक उत्पादन, अधिक सम्भरण करके उपभोक्ता को सन्तुष्ट करने तथा सरकारी कार्यक्रम को पूरा करने के लिये उपाय ढूंढने तथा तत्सम्बन्धी नीति निर्धारण करने के बारे में मंत्रालय नये सिरे से विचार कर रहा है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : भविष्य में कोयले की ऐसी दिक्कत न हो क्या इस के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि जहां कहीं कोयले की मांग उचित है वहां कोयला ठीक समय पर पहुंच जाये ।

लाल किले के समीप शरणार्थियों की झोंपड़ियों में आग लगना

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** (भोपाल) : मैं नियम १९७ के अधीन गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिल्ली के लाल किले के बाहर ३० अप्रैल, १९६२ को शरणार्थियों की झोंपड़ी में आग लगने, जिसके परिणामस्वरूप सम्पति की क्षति हुई है और १००० व्यक्ति बेघर हो गये हैं, की ओर आकर्षित करती हूं और निवेदन करती हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : ३० अप्रैल, १९६२ को लगभग ३.३० म० प० बजे सायंकाल लालकिले के निकट स्थित बगीची माधोदास की झौंपड़ी की बस्ती में आग लग गई । यह आग एक बन्द झौंपड़ी से शुरू हुई जिसका मालिक भी उस समय घर में नहीं था । 'फायर ब्रिगेड' भी ३.४० म० म० पर मौके पर पहुंच गया और आग बुझाने का प्रयत्न शुरू कर दिया । इसी बीच एस० डी० एम० और डी० एस० पी० भी वहां पहुंच गये तथा चोरी अथवा अन्य कुचेष्टाओं को रोकने के लिये आवश्यक प्रबन्ध किया गया ।

निगम के डिप्टी मेयर तथा डिप्टी कमिश्नर भी घटनास्थल पर गये और स्थान एवं घटना की जांच पड़ताल करने के बाद सहायता कार्य का अनुमान लगाया । जिला मजिस्ट्रेट भी घटनास्थल पर गये और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की तुरन्त सहायता के लिये २००० रुपये की सहायता की घोषणा की ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

उस बस्ती में १३४ झोंपड़ी थीं जिन में से ११० झोंपड़ी तो पूरी तरह जल कर नष्ट भ्रष्ट हो गयीं । १७ झोंपड़ियों को गिराया गया ताकि आग और न फैले और उनकी सम्पत्ति आदि को बचाया जा सके ।

इस घटना में जान की कोई हानि नहीं हुई । हां कुछ व्यक्ति घायल अवश्य हो गये । न कोई चोरी हुई और न कोई लूटमार ही हुई । लोगों के माल की सुरक्षा के लिये उस रात वहां ३५ पुलिस सिपाहियों को तैनात कर दिया गया ।

तुरंत सहायता के लिये निगम ने तम्बुओं, बिजली और पानी की व्यवस्था की। प्रभावित व्यक्तियों को निगम की ओर से खाना दिया जा रहा है । स्त्रियों तथा बच्चों के लिये दूध का भी प्रबन्ध किया जा रहा है । भारत सेवक समाज और दिल्ली रेडक्रास ने भी उस क्षेत्र में सहायता कार्य शुरू किया है ।

†**श्रीमती मैमना सुल्तान :** इन लोगों के लिये स्थायी मकानों की व्यवस्था के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या किया है ? क्या इनको ऐसी बस्ती में ले जाया जायेगा जहां कि सभी सुविधायें उनको उपलब्ध हों ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** हम इस बारे में आगे चल कर विचार करेंगे ?

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद उस स्थान पर गया हूं । पीड़ितों को केवल शाम को कुछ रोटियां मिली थीं लेकिन आज सुबह उनको चाय, पानी आदि कुछ भी नहीं मिला है .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल सवाल पूछ सकते हैं ।

श्री बागड़ी : वहां के निवासियों का सामान लूटा गया है। पुलिस दुर्घटना स्थल पर देर से पहुंची । उनकी रपट दर्ज नहीं की गई है । सामान उनका काफी से ज्यादा जो बचा था उस को लोग लूट कर ले गये । पुलिस वालों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था कि सामान मालिक ले जा रहे हैं या लुटेरे ले जा रहे हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य सवाल करना चाहते हैं या नहीं ।

श्री बागड़ी : मैं पूछ रहा हूं कि दिल्ली प्रौपर में जो यह इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है तो क्या अधिकारियों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि फौरी तौर पर इनक्वायरी कर के पीड़ितों को तत्काल इमदाद दी जाय ? वहां पर ११८ झुग्गियां हैं और ५६६ आदमी वहां पर बसते हैं और अनुमान है कि इस दुर्घटना के फलस्वरूप कोई डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ है .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि वहां कोई अफसर लगाये गये हैं कि नहीं और तहकीकात हो रही है या नहीं ? वह कहते हैं कि वहां के रहने वालों का माल लूटा गया है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैंने बयान में बतलाया है कि जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डी० एस० पी० वहां गये । कारपोरेशन के डिप्टी मेयर और कमिश्नर, भी यह सब अफसरान वहां गये और दुर्घटना के बारे में जांच वगैरह हुई है । माननीय सदस्य से ज्यादा जिनको नुकसान पहुंचा है वह अपनी बातें कहेंगे और अगर कोई शिकायत होगी तो उसको वे रक्खेंगे ही ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, अखबारों में भी निकला है और अभी माननीय सदस्य ने भी कहा है कि वहां पर कुछ सामान, जो कि जलने से बच गया था, चोरी कर लिया गया और उसके बारे में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बात कहां तक सत्य है ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने अभी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रैट इस की तहकीकात कर रहे हैं।

श्री बागड़ी : क्या सरकार उन लोगों के लिए रोटी और पानी का कोई बन्दोबस्त कर रही है ? जब आदमी बाहर जमीन पर पड़े हुए हैं, तो उनको मदद देने क लिए सरकार को फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : समाचारपत्रों से पता चला है कि डिप्टी मेयर ने

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को हर एक रियायत देने के लिए तैयार हूं और मौका देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन को इस हाउस में कुछ डेकोरम रखना पड़ेगा । उन को इस हाउस के रूल्ज़ का पाबन्द रहना पड़ेगा। इस हाउस का एक रूल यह है कि जब तक स्पीकर किसी मेम्बर को न पुकारे, तब तक वह अपने आप बोलना शुरू न कर दे।

श्री बागड़ी : जब इन्सानी ज़िन्दगी का सवाल हो,

अध्यक्ष महोदय : तब भी माननीय सदस्य को इस हाउस के कवायद के मुताबिक, जिन के बारे में इस हाउस के मेम्बर साहबान ने फ़ैसला किया हुआ है, चलना पड़ेगा ; हर एक मेम्बर साहब को कवायद के मुताबिक चलना पड़ेगा ।

श्री बागड़ी : कवायद ज़िन्दगी को कायम रखने के लिए होते हैं। ज़िन्दगी के मुकाबले में कवायद कोई महत्व नहीं रखते ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह इस प्रकार बार-बार न उठ कर बोलने का प्रयत्न न करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : डिप्टी मेयर ने पत्रकारों को बताया है कि इन विस्थापितों को सलीमपुर बस्ती में बसाया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें वहां स्थायी तौर पर बसाया जायेगा अथवा अस्थायी तौर पर ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इन बातों के बारे में अवश्य ही विचार किया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या उन्हें यहीं बसाया जायेगा अथवा किसी और स्थान पर ?

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सवाल नहीं पूछ सकते । जिन माननीय सदस्यों ने नाम दिये थे, उनको चांस दिया गया है । यह जनरल डिस्कशन नहीं है ।

सशस्त्र नागा विद्रोहियों के एक दल का पूर्वी पाकिस्तान की ओर जाने का समाचार

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर) : मैं नियम १९७ के अनुसार प्रधान मंत्री का ध्यान सशस्त्र नागा उपद्रवियों के एक दल के अपने नेता श्री ए० जेड० फ़िजो का ढाका में स्वागत करने के लिये, पूर्वी पाकिस्तान की ओर कथित मार्च, करने की ओर आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ठीक जानकारी तो हमारे पास नहीं है लेकिन असनिक रिपोर्टों से जो सूचना मिली है वह निम्न है :—

पहली बात तो यह है कि श्री फिजो का हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी बात यह है कि उपद्रवियों का एक दल कलियान हो कर पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है और बताया गया है कि हथगौर के निकट बहुत से पाकिस्तानी उनका स्वागत करने के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं। बताया गया है कि दल के पास कुछ हथियार, वायरलैस सेट और ट्रांज़िसटर हैं। इस दल में दो महिलाएं भी हैं जो हर वस्त्रों में हैं । इस दल ने दो मोटर गाड़ियां, एक जीप हांफलांग सिल्चर सड़क पर अपने अधिकार में कर ली है और ड्राइवर तथा अन्य व्यक्तियों को मिला कर कुल ७ व्यक्तियों को पकड़ लिया है। इन व्यक्तियों को अब छोड़ दिया गया है। इस ड्राइवर का कहना है कि ये विद्रोही कलियान हो कर पाकिस्तान जा रहे हैं। उस दल को रोकने के लिये उस क्षेत्र की समस्त पुलिस चौकियों को सचेत कर दिया गया है ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : क्या यह सच है कि इन नागा उपद्रवियों ने नागा क्षेत्र तथा पूर्वी पाकिस्तान के बीच कोई गलियारा बना लिया है जिसके द्वारा श्री फिज़ो से सम्बन्ध स्थापित किया जाता है तथा पूर्वी पाकिस्तान से चोरी छिपे माल ले जाते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नागा क्षेत्र तथा पाकिस्तान के बीच एक गलियारा है। यह किसी ने बनाया नहीं है। यह एक सुरंग है । इसका उपयोग नियमित रूप से नहीं किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत, कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २१ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ४९२ ।

(दो) दिनांक २१ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ४९३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ५०/६२]

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : मैं भारतीय सांस्कृतिक-सम्बन्ध परिषद् की वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये एल० टी० संख्या ५१/६२]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अधीन नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ३ अप्रैल, १९६२ के दिल्ली गज़ट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ३४/७/६२–दिल्ली––२, जिसमें दिल्ली चुंगी (संशोधन) नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

(दो) दिनांक ५ अप्रैल, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १९–१०८/६१–दिल्ली––२, जिसमें दिल्ली नगर निगम (काउन्सिलरों का निर्वाचन) संशोधन नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ५२/६२ और ५३/६२]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन नियम और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम और समूद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं समुद्र सीमाशुल्क अधिनिमय, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४३९ में प्रकाशित सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ५४/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(क) दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ४३८।

(ख) दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ४३९।

(ग) दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ३४४०।

(घ) दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ४४१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ५५/६२]

व्यय कर अधिनियम के अधीन नियम

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं व्यय कर अधिनियम १९५७ की धारा ४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४४४ में प्रकाशित व्यय कर (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ५६/६२]

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ के उत्तर में शुद्धि

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : तारांकित प्रश्न संख्या २०५ (दिल्ली में मजिस्ट्रेटों और पुलिस की संख्या बढ़ाने के बारे में) पर श्री बलराज मधोक द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के बारे में सही स्थिति यह है कि भूतपूर्व अध्यक्ष ने इसके बारे में और आगे जानकारी की थी और यह पता चला है कि राज्य की असैनिक सेवा में कोई भी पदाधिकारी भले ही वह विधि स्नातक न हो, स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट हो सकता है।

बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में वक्तव्य

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : २६ अप्रैल, १९६२ को किसी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं ने कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण अमरीका से बोकारो के लिये वित्तीय सहायता लेने के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है और मैं इस बारे में शीघ्र ही एक वक्तव्य दूंगा। इस सम्बन्ध में बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी। अब यह समझौता हो गया है कि अगला कदम क्या उठाना चाहिये। उन्होंने आयोजित बोकारो संयंत्र का प्रविधाथिक सर्वेक्षण करने के लिये अमरीकी विशेषज्ञों का एक दल भारत भेजने की व्यवस्था कर ली है। यह कोई नई बात नहीं है प्रायः सभी देश जो ऋण देते हैं दूसरे संस्थान की स्थिति देखा करते हैं। यह अमरीकी दल कच्ची सामग्री और परिवहन तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सम्बन्धी स्थिति की जांच करेगा। सहायता के सम्बन्ध में वास्तविक निर्णय तभी किया जायेगा जबकि दल अपना प्रतिवेदन दे देगा और परियोजना के अन्य प्रमुख पहलुओं के सम्बन्ध में वास्तविक समझौता हो जायेगा। सर्वेक्षण का व्यय फिलहाल अमरीकी अभिकरण द्वारा वहन किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीका की इस्पात फर्मों ने इस परियोजना में समान रूप से भाग लेने का प्रश्न नहीं उठाया है। भारत सरकार का यह विचार है कि इस परियोजना के निर्माण में भारतीय संसाधनों, यहां के कौशल एवं चातुर्य आदि का पूरा पूरा प्रयोग किया जाये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : एच० एस० पी० एल० द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये भारतीय विशेषज्ञों ने जो प्रतिवेदन दिया था उसका क्या हुआ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** प्रारम्भिक प्रतिवेदन आ गया है किन्तु यह अच्छा हो कि इसकी और जांच कर ली जाये ताकि सही स्थिति का पता चल जाये।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : एम० एन० दस्तर एण्ड कम्पनी द्वारा दिया गया प्रतिवेदन इस प्रकार के संस्थान के बारे में पहला भारतीय परियोजना प्रतिवेदन है अत: कुछ प्रतिष्ठा का प्रश्न इसके साथ लगा हुआ है। क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उस उपक्रम को इस में भाग लेने की पूरी छूट दी गई है और सरकार इस बारे में सदैव ध्यान रखती है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव--जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** २६ और २७ अप्रैल, को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर चर्चा होगी :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :--

"कि इस अधिवेशन में समवेत लोक सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिये राष्ट्रपति महोदय के अत्यन्त आभारी हैं, जो उन्होंने १८ अप्रैल, १९६२ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है।' "

†**श्री महताब** (अंगु): राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा करते समय हम देश की बहुत सी बातों के बारे में संसद् का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अभी हम योजना के मध्य में हैं और देश में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के कारण अभिभाषण एवं चर्चा के स्वरूप में भी परिवर्तन किया जाना चाहिये। यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सामान्य वक्तव्य न दिया जाकर हमारी योजनाओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का उल्लेख हो और चर्चा भी उन समस्याओं पर केन्द्रित होने चाहिये।

यह कहा गया है कि सभी विरोधी दलों को मिलाकर जितने प्रतिशत मत मिले हैं उतने प्रतिशत मत कांग्रेस को नहीं मिले हैं। इस बात को और ढंग से भी कहा जा सकता है। मेरा विचार है कि अधिकांश मतदाताओं ने प्रजातांत्रिक ढंग से सुनियोजित विकास के पक्ष में मत दिया था और अभी समय है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद में निष्ठा रखने वाले सब लोग ब्यौरे सम्बन्धी मतभेद के बावजूद पास आ जायें और उन लोगों को अकेला छोड़ दें जो उन सिद्धान्तों को नहीं मानते हैं।

अभिभाषण में पंचायती राज के बारे में जो कुछ कहा गया है वह इतना सत्य नहीं क्योंकि वह परम्परागत पंचायती राज नहीं है बल्कि संसदीय किस्म का पंचायती राज है। समस्या यह है कि यह किस हद तक सफल होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महताब]

हमें चुनावों के बढ़ते हुए व्यय की बहुत चिन्ता है। यदि ऐसा जारी रहा तो हमारे जैसे लोग संसद् में नहीं आ सकेंगे। एक हल यह है कि अप्रत्यक्ष चुनाव किये जायें। मेरे विचार में यह और भी अधिक महंगे पड़ेंगे।

अगली समस्या आयोजित विकास की है। इस सम्बन्ध में हमें यह सोचना है कि असमानताओं को कैसे कम किया जाय यह आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग के सुधार के साथ-साथ बढ़ती हुई आर्थिक असमानताओं को भी कम किया जाय। व्यय पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना भी आवश्यक है। इससे न केवल असमानताएं कम होंगी बल्कि गरीबी की समस्या भी लोगों के सामने रहेगी। यह विचार किया जाना चाहिये कि व्यय पर प्रतिबन्ध प्रशासनीय तरीकों द्वारा लगाया जाय या स्वेच्छा से लगाये जायें। यदि व्यय पर प्रतिबन्ध न हों तो एक राजनीतिक समस्या खड़ी हो जायेगी।

एक और विषय यह है कि क्या मूल्यों को स्थिर किये बिना योजना को सफल बनाया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ा देने से उन की समस्या हल नहीं हो जाती, क्योंकि मूल्य बढ़ जाते हैं। कुछ नियन्त्रण लगाना आवश्यक है। मूल्य नीति के बिना धन का परिचालन अन्धाधुन्ध नहीं किया जा सकता। मुद्रास्फीति आवश्यक है। सदन को बताना चाहिये कि आर्थिक असमानता और बढ़ते हुए मूल्यों की समस्याओं के हल के लिए क्या किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमें इन समस्याओं का बहादुरी से और मिलकर मुकाबला करना चाहिये, क्योंकि सारे देश ने योजना के कार्यक्रम को और प्रशासन प्रणाली को स्वीकार किया है। घोर राजनीतिक प्रतिवाद की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री रिशांग किशिंग** (बाह्यमनीपुर) : मनीपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि के संघ राज्य क्षेत्र कई सालों से उत्तरदायी सरकार की मांग करते रहे हैं किन्तु भारत सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब एक समिति नियुक्त की जानी है, जो इस विषय में सिफारिशें करेगी। मुझे आशा है कि समिति इस मांग की पुष्टि करेगी।

कुछ सदस्य कहेंगे कि इन क्षेत्रों में प्रादेशिक परिषदें काम कर रही हैं। मेरा निवेदन है कि ये परिषदें लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकतीं। इनके स्थान पर नई व्यवस्था होनी चाहिये, क्योंकि यह एक बड़ी विचित्र बात है कि एक प्रजातंत्रात्मक निकाय किसी सरकारी पदाधिकारी के अधीन रहे। यह बहुत असाधारण बात है। कहा गया है कि ये क्षेत्र बहुत छोटे हैं और संसद इनके विकास के लिए रुपया मंजर करती है। यदि ऐसी बात है तो इन लोगों से धन के बदले आजादी का अधिकार क्यों छीन लिया जाये। सरकार को सोचना पड़ेगा कि वह संतुष्ट व्यक्तियों को रुपया देना चाहती है या असंतुष्ट व्यक्तियों को।

दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पूर्वी सीमान्त पर मनीपुर, नागालैंड और नेफा में—पिछले ८ सालों से अशान्ति है। आश्चर्य की बात है कि वहां सुरक्षा सेना के भेजे जाने के बावजूद शान्ति और व्यवस्था क्यों नहीं कायम की जा सकी। कारण यह है कि यह सेना ठीक काम नहीं कर रही। स्थिति यह है कि हमारी सेनायें और विद्रोही एक दूसरे के साथ लड़ने से बचते हैं। यदि हमारी सेना को नागा उपद्रवियों की उपस्थिति की गुप्त सूचना भी दी जाती है, तब भी वे उनका सामना करने से कतराती है। यदि ऐसी स्थिति बनी रही, तो समस्या कभी हल नहीं होगी। नागा विद्रोही पिछले ८ सालों से अपनी स्वतंत्रता

†मूल अंग्रेजी में

संग्राम चला रहे हैं। सुरक्षा सेना हमारे बचाव के लिए भेजी गई है और हमें दोनों पक्षों से अच्छे व्यवहार की आशा है। किन्तु यह सत्य नहीं है। उपद्रवी वफादार नागाओं को पकड़ कर ले जाते हैं और कई बार मार भी डालते हैं, इस आधार पर कि वे सुरक्षा सेना का समथन करते हैं। दूसरी ओर सुरक्षा सेना भी वफादार नागाओं को इस आधार पर पकड़ लेती है कि वे उपद्रवियों को आश्रय देते हैं। इस स्थिति में वफादार लोग कष्ट उठा रहे हैं। यह सोचने की बात है कि हमारी सरकार उपद्रवियों के मिटान के लिए वहां के लोगों का सहयोग क्यों प्राप्त नहीं कर सकती। संसद् की इस बात की जांच करनी चाहिये।

सरकार ने उत्तर पूर्वी सीमान्त क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये हैं किन्तु यह कभी नहीं देखा कि वहां कोई ठोस काम भी हुआ है या नहीं। यह देखना आवश्यक है कि रुपये का उचित प्रयोग किया जाय। वहां का प्रशासन केवल पदाधिकारयों के हाथ में नहीं सौंपना चाहिये, लोगों की भी उस के साथ सम्बद्ध करना आवश्यक है। संसद् की एक समिति नियुक्त की जाये, जी वहां जाकर देखे कि विकास-कार्य कैसे हुआ है और रुपया उचित रूप से खर्च किया गया है या नहीं।वहां संचार के साधनों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है उनको शिक्षा तथा आर्थिक सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिये जिनके लिए वे अन्यथा हकदार थे।

सरकार अस्थायी अलजीरियाई सरकार को अभिज्ञात करे।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया): मैं इस बात के पक्ष मे हूं कि भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान के झगड़े कम से कम ३० वर्ष तक हल नहों, क्योंकि उनके भय से हमारी एकता बनी रहेगी। यदि अभी हल हो गये तो फूट की भावनाएं तेज हो जायेंगी।

भारत, रूस या अमेरिका द्वारा चीन पर आक्रमण किये जान का कोई भय नहीं है। किन्तु हमारे देश के बहुत से लोग समझते हैं कि चीन या पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करेगा हमें इस भय का अपना विकास तेज करने के लिए फायदा उठाना चाहिये। हमारे लिए पाकिस्तान या चीन से समझौता करना मूर्खता होगी। यदि पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पख्तूनिस्तान में जनमत संग्रह कराने के लिये तैयार हो जाय, तो हमें भी काश्मीर में जनमत संग्रह मान लेना चाहिये।

भारत और चीन या भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के खतरे को इस तरह हटाया जा सकता है कि हम अपना प्रतिरक्षा विभाग संयुक्तराष्ट्र संघ को सौंप दे या रूस-जर्मन संधि की तरह रूस क साथ एक संधि कर कर लें।

पाकिस्तान को किसी भी तरीके से भारत में नहीं मिलाया जा सकता। और पाकिस्तान भारत के साथ सुलह भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसकी ताकत के बाहर है। पाकिस्तान केवल एक भारत-रूस संधि के फलस्वरूप भारत के समीप लाया जा सकता है। किन्तु यदि भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी प्रतिरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दें, तो उन के बीच कोई युद्ध नहीं होगा और उन की स्वतंत्रता पर भी कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। न चीन-रूस गठजोड़ और रूसी-अमरीकी गठजोड़ इन का कुछ बिगाड़ सकेगा।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० सुब्रह्मण्यम** : (बेल्लारी) : विरोधी पक्षों की ओर से आलोचना की गई है कि कांग्रेस संगठन और कांग्रेस नेताओं ने पिछले बारह वर्षों में भारत का शासन अच्छी तरह नहीं चलाया। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यदि कांग्रेस का नेतृत्व न होता, तो देश की हालत बहुत बिगड़ गई होती। कांग्रेस संगठन के नेतृत्व के कारण ही हमारे देश को स्थायी शासन मिला है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में ठीक कहा है कि संसदीय प्रशासन ने हमारे देश में जड़ें जमा ली हैं। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में की गई प्रगति का भी उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अब अमेरिका से जो लाखों टन अनाज का आयात हो रहा है, वह बन्द होना चाहिये। हमें सिंचाई की सुविधायें बढ़ा कर और अधिक अच्छी खाद, बीजों और उपकरणों के प्रयोग द्वारा खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त करनी है।

औद्योगिक विकास में देश ने काफी प्रगति की है और पिछले १२ वर्षों में उत्पादन बहुत बढ़ा है किन्तु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से उतना लाभ प्राप्त नहीं हुआ जितना कि होना चाहिये था। ८७० करोड़ रुपये के विनियोग के बाद हमें केवल ४ प्रतिशत आय हुई है। इस लिये मैं अनुरोध करूंगा कि इन उद्योगों के प्रबन्ध की ओर विशेष ध्यान दिया जाये।

यह सत्य है कि देश के विभिन्न भागों में विकास की दृष्टि से काफी असन्तुलन है और हमें इस को दूर करना होगा। दक्षिण में विशेषकर यह भावना है कि वहां के लोगों की उपेक्षा की जा रही है। यह भावना वहां औद्योगिक विकास कर के दूर की जा सकती है। किन्तु इसे देख कर हमें यह नहीं कहना चाहिये, कि दक्षिण से एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहिये, जैसा कि कुछ मित्रों ने मांग की है। हम इस मांग से सहमत नहीं है। इसका परिणाम केवल युद्ध ही हो सकता है।

†**श्रीमती सरोजिनी बि० महिषी** (धारवाड़ उत्तर) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। राष्ट्रपति विद्वता और साधुता के प्रतीक हैं और देश की स्वतन्त्रता के लिये उन्होंने बड़ा से बड़ा बलिदान किया है। वह महात्मा गांधी के सच्चे अनुदायी हैं। उन्होंने अपने अभिभाषण में जो कुछ कहा उस देश के लाभ के लिए बहुत से सुझाव थे।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

राष्ट्रपति ने जो कुछ १५ वर्षों में हुआ उसका उल्लेख किया है, हो सकता है कुछ बातों का उन्होंने उल्लेख न किया हो, अतः मेरा कहना है कि यह कह देना बिलकुल निराधार और व्यर्थ है कि राष्ट्रपति ने अमुक बात का उल्लेख नहीं किया। उनको जितना सीमित समय मिलता है उसमें वैसा करना सम्भव भी नहीं है। मैं तो इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि हमें क्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये मुझे तो इस बात से वास्तव में बड़ी प्रसन्नता है और यह श्रेयकर बात है कि १५ वर्षों की अल्प अवधि में हमारे लोग प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों को भली प्रकार समझने लगे हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि शासक दल योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक प्राप्त कर्ताओं को सम्मिलित करने का कुछ भी प्रयत्न करें, प्राप्त कर्ताओं को स्वयं जागना चाहिये और सहकारी कृषि का पूरा लाभ उठाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंचायत राज के लागू किये जाने से क्रान्ति हो रही है। अधिकारों और शक्तियों का भी बहुत सीमा तक विकेन्द्रीयकरण हो रहा है। इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि गांवों ने इस सम्बन्ध में बहुत योग्यता का परिचय दिया है तथा वे अपने कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हमें कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी और हम देखेंगे कि योजना के अन्तर्गत हमें किस तरह की महान सफलता प्राप्त होती है।

श्री ज० ब० सिंह (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारी पहली साथी बोले चुकी हैं, मैं उससे कुछ सबक सीख कर उसी दायरे के अन्दर बोलना चाहता हूं। उनकी आलोचना थी कि राष्ट्रपति महोदय ने जो कुछ कहा उसके बाहर जो मुखालिफ पार्टी के लोग थे उन्होंने ज्यादातर बातें कीं।

राष्ट्रपति जी के एड्रेस में यह कहा गया है कि हमारे देश का विकास प्लांड इकानमी के तरीके से हो रहा है, उसकी प्रगति हो रही है। यह सही है। सवाल इस बात का है कि प्लांड इकानमी को किस तरीके से और किस ढंग से चलाया जाए ताकि देश की प्रगति हो सके। जो आज सरकार की प्लांड इकानमी का तरीका और ढंग है वह ढंग और तरीका यह है कि जो विकसित क्षेत्र हैं वह और भी ज्यादा विकसित हों और जो पिछड़े हुए प्रदेश या क्षेत्र हैं वह या तो अपनी जगह पर रहें या कुछ थोड़ा बहुत उनका विकास हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नमूने के तौर पर उत्तर प्रदेश को पेश करता हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी ७ करोड़ ३७ लाख के करीब है और वह हयारे देश का सबसे बड़ा सूबा है। लेकिन अगर देखा जाय तो दो पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गईं, इन दो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर अगर कहीं सब से कम प्रगति हुई है तो वह उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और अगर इन दो योजनाओं के काल में कहीं सब से कम प्रति व्यक्ति की आमदनी बढ़ी है तो वह उत्तर प्रदेश है। इस सिलसिले में मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। दस बरस के अन्दर देश में जो प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है वह करीब १७ प्रतिशत के है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर देखा जाए तो आमदनी ज्यों की त्यों रही। आमदनी बढ़ी ही नहीं। जिस अनुपात में आमदनी बढ़ी आबादी भी उसी अनुपात में बढ़ी है अगर उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी जहां थी करीब करीब वहीं रह गई है। सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा क्यों।? क्या इसी तरह से हमारे पूरे राष्ट्र की प्रगति होगी कि जो प्रदेश या क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनकी प्रगति न हो, वहां के लोगों की आमदमी न बढ़े, और उन क्षेत्रों की, जहां पहले भी आमदनी ज्यादा थी, पैदावार ज्यादा थी, और ज्यादा प्रगति हो। मैं उनकी प्रगति के खिलाफ नहीं हूं। उन क्षेत्रों की प्रगति हो। लेकिन सवाल यह है कि पूरे राष्ट्र की प्रगति का तरीका और ढंग क्या होना चाहिये, प्लानिंग कैसा होना चाहिये इसका सवाल है।

हमारी मौजूदा सरकार यह कह कर टाल देती है कि उत्तर प्रदेश के लोग, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, न तो सही योजना बना कर भेजता हैं, न सही तरीके से जो कुछ रुपया उसे केन्द्रीय सरकार देती है उसका इस्तैमाल करता है। यह हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन निकम्मा हो, वह रुपया सही ढंग से इस्तैमाल न कर सकता हो, लेकिन इसमें केन्द्रीय सरकार की भी तो जिम्मेदारी है। अगर किसी सूबे की सरकार या उसका एडमिनिस्ट्रेशन निकम्मा हो जाता है तो क्या केन्द्रीय सरकार उसमें दखल दे या यह कह कर छोड़ देगी उस एरिया को कि वहां के लोग निकम्मे हैं और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन निकम्मा है और उनकी प्रगति की जिम्मेदारी सूबे की सरकार पर है और हम कोई दखल नहीं दे सकते, जब कि केन्द्रीय सरकार ऐसे ऐसे मसलों में दखल देती है जिन मसलों में उसे दखल नहीं देना चाहिये।

[श्री ज० ब० सिंह]

तो जहां पर हमारा विचार है कि पूरे राष्ट्र की प्रगति हो, वहां पर जो पिछड़े हुए एरियाज़ हैं उनकी प्रगति के लिये हमें सही कोशिश करनी चाहिये । हमने जो प्लान का अर्थ समझा है वह यही है कि जो विकसित एरियाज हैं वह विकसित हैं, लेकिन जो पिछड़े हुए एरियाज़ हैं उनकी तरफ मजबूती से ध्यान दिया जाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा वहां उद्योग धंधे बढ़ाए जाएं ताकि उन क्षेत्रों की प्रगति हो सके ।

एक मिसाल मैं पेश करूं । यह जो दो पंचवर्षीय योजनायें हमारे देश में हुईं इन दोनों पंच-वर्षीय योजनाओं के अन्दर जो रुपया पूरे देश में खर्च किया गया और प्रति व्यक्ति जो पड़ता दूसरे प्रदेशों में पड़ा है पूरे राष्ट्र में पड़ा है उत्तर प्रदेश के अन्दर वह पड़ता बहुत ही कम है, । राष्ट्र के पैमाने पर प्रति व्यक्ति जो दूसरी पंच वर्षीय योजना में खर्च किया गया, वह १२० रुपये है पर, उत्तर प्रदेश के अन्दर वह सब से कम प्रति व्यक्ति रुपया खर्च हुआ करीब ३४ रु० कह यह दिया जाता है कि यह इसलिये हुआ कि उत्तर प्रदेश में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गयी । ६ करोड़ २ लाख से ७ करोड़ ३७ या ३९ लाख उसकी आबादी हो गयी । लेकिन अगर पूरे राष्ट्र की आबादी देखी जाये तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा बढ़ी है । तो यह कहना कि उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा बढ़ गयी है इसलिये उसको जो रुपया दिया जाता है उसमें उसकी प्रगति नहीं हो पाती सही नहीं है । बल्कि जो प्लानिंग का तरीका है जो नियोजन का तरीका है वह बुनियादी तरीके ही से गलत है ।

यही हाल सूबों में किया जाता है । मैं उत्तर प्रदेश का तो जानता हूं । उत्तर प्रदेश में कुछ जिले पूर्वी जिले कहे जाते हैं । अंग्रेजों के जमाने में ये जिले लेबर सेंटर रहे थे जहां से भरती होती थी सारे हिन्दुस्तान के लिये और बाहर के देशों में जैसे अफ्रीका और मारीशस आदि टापुओं में यहां से मजदूर भेजे जाते थे । आज भी उन जिलों का वही हाल है । जो रुपया पैसा उत्तर प्रदेश को पहली और दूसरी पंच वर्षीय योजनाओं में मिला वह सब उन सेंटरों पर खर्च किया गया जो पहले से विकसित थे लेकिन उन पूर्वी जिलों के हिस्सों पर नहीं जो पिछड़े थे जैसे कोई तीन चार जिले हैं, आजमगढ़ बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर जो कि पूर्वी जिले कहलाते हैं । यह एक पूर्वी जिलों की बैल्ट है । आज भी वहां सरकार की तरफ से कोई उद्योग धंधे नहीं खोले गये हैं और उसको सरकार ने आज भी वैसा ही लेबर सेंटर बना रखा है जैसा कि वह अंग्रेजों के जमाने में था ।

अगर इस तरीके से नियोजन का तरीका अपनाया जायेगा कि जो पिछड़ा हुआ इलाका है वह पिछड़ा रहे और जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तरीके से आगे बढ़ा हुआ है वह कुछ और आग बढ़ता रहे, तो इस से पूरे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है । अगर प्लानिंग का यह तरीका होगा तो इससे पूरे राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती है । राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण मेंयह ठीक ही कहा गया है कि किसी राष्ट्र के विकास के लिये प्लांड एकोनोमी का होना जरूरी है । लेकिन इस मौजुदा सरकार की जिस ढंग और तरीके से प्लांड एकोनोमी चल रही है उस तरीके से पूरे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और कहनी है । राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के बहस के दौरान चुनावों की काफी चर्चा की गई । यह बतलाया गया कि चुनाव के दौरान काफी रुपया पैसा खर्च हुआ । चुनावों के अन्दर यह साफ नजर आया कि प्रतिक्रियावादी ताकतें जो इससे पहले नगण्य थीं कोई उनको ताकत नहीं थी आज वह प्रतिक्रियावादी ताकतें सामने नजर आ रही हैं ।

मुझ याद है कि आज वह मंत्री महोदय हैं । चुनावों में वह एक उम्मीदवार थे । मेरा मतलब मालवीय जी से है । उन्होंने बस्ती से जब चुनाव लड़ा तो लिंक पेपर में उन्होंने एक लेख लिखा था उन्होंने लिखा था कि वह समझते थे कि देहातों में बड़ी प्रगति हो रही है जो नहीं है उन्होंने इसीका

कारण लिखा था कि यह प्रतिक्रियावादी ताकतें, इस तरह की ताकतें जो देश को बांटना चाहती हैं देश में क्यों पनप रही हैं और ऊपर क्यों उभर रही हैं। इन प्रतिक्रियावादी ताकतों के आगे बढ़ने का जो एक कारण उन्होंने अपने लेख में लिखा था मैं उससे उनके साथ सहमत हूं। वह कारण यह था कि अगर देश की आर्थिक हालत कमजोर रहेगी तो जो प्रतिक्रियावादी विचारधारा या प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं उन को बल मिलेगा। यह ताकतें उन्हीं जगहों पर ज्यादा कामयाब हुई हैं जिन जगहों पर सरकार ने कोई आर्थिक विकास और राज-नीतिक या सामाजिक चेतना पैदा करने के लिये उपयुक्त कदम नहीं उठाया है। खाली यह कहने से यह ताकतें हमारे देश में पनप रहीं हैं और अपना सिर उठा रही हैं काम चलने वाला नहीं है। अगर इन ताकतों को हराना है चाहे वह ताकतें देश में दक्षिण और उत्तर में बांटना चाहती हों, चाहे वे ताकतें हों जो कि हिन्दू-मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहती हो, चाहे वह ताकतें हों जो कि देश को समाजवाद के रास्ते पर बढ़ने न देना चाहती हों और देश को पीछे ले जाना चाहती हों, इन तमाम ताकतों को हराने का एक नुस्खा है और वह नुस्खा यह है कि आप अपनी प्लानिंग को दुरुस्त करें। अपनी प्लानिंग को इस तरीके से बनावें कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश का इलाका है और खास कर हमारे पूर्वी जिलों का इलाका है, वह आर्थिक राजनीतिक और सामा-जिक तरीके से आगे बढ़े और उनकी प्रगति हो। इस तरह की प्लानिंग कर के ही हम इन तमाम प्रतिक्रियावादी ताकतों को हरा सकते हैं।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : मैं श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा रखे गये प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने राष्ट्रपति के महान गुणों की बड़ी प्रशंसा की है, वस्तुत: चम्पारन अभियान के समय से ही राष्ट्रपति हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत रहे हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण संक्षिप्त था मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। क्योंकि यदि आपको राष्ट्रपति की सरकार की विस्तृत नीतियों के बारे में जानना हो तो योजनाओं के प्रारूप आपके सामने हैं आप उनका अध्ययन कर सकते हैं।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह ठीक ही कहा है कि आयोजित अर्थव्यवस्था हमारे राष्ट्रीय विकास का आधार है।

दो योजनाओं की अवधि में देश की बहुमुखी प्रगति हुई है। कई जल विद्युत् परियोजनायें क्रियान्वित की गयी हैं जिनसे उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई है? भारी तथा छोटे पैमाने के उद्योगों पर समान जोर दिया गया है।

पंचायत राज की स्थापना सही दिशा में उठाया गया कदम है, वह हमारे गांवों के लोगों को स्वशासन में आवश्यक प्रशिक्षण देगा।

सरकार को देश को आन्तरिक एवं बाह्य खतरों से बचने के लिये सचेत रहना चाहिये तथा सक्रिय कदम उठाने चाहिये। इस मामले में विभिन्न राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

सरकार को चाहिये कि प्रादेशिक असमानतायें दूर की जायें और पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारी जाये।

सरकार को दक्षिण के लोगों की यह भ्रांति दूर कर देनी चाहिये कि उनकी उपेक्षा की जा रही है इसके लिये त्यूतीकोरिन बन्दरगाह का एक बड़े पत्तन के रूप में विकास, सलैम में एक बड़े इस्पात

[श्री मूथिया]

सयंत्र की स्थापना तथा नई रेलवे लाइनें बनायी जायें।

राष्ट्रपति ने हमारे संसद की बहुत प्रशंसा की है और उन्होंने भारतीय प्रजातन्त्र को विश्व में लोकतन्त्र का एक सुदृढ़ गढ़ बताया है।

अन्त में मैं श्री राजेन्द्र प्रसाद की दीर्घायु के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जिससे हमें उनका बहुमूल्य पथप्रदर्शन मिलता रहे।

†**श्री जगन्नाथ राव** (नौरंगपुरा) : राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बहुत ही स्फूर्तिदायक था। हमारे राष्ट्रपति स्वतंत्रता से पूर्व सबसे बड़े गांधीवादी और गांधी जी के बाद सबसे बड़े पदाधिकारी रहे हैं। आशा है कि वह भविष्य में भी अपने देश वासियों के लिये प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। मुझे यह कहते हुए गौरव हो रहा है कि कांग्रेस को लगातार तीन बार शासन की बागडोर मिली है क्योंकि जनता उसकी नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करती है? सरकार हमारे देश में प्रजातान्त्रिक समाजवादी समाज के निर्माण के लिये दृढ़निश्चय है जिसका आधार सामाजिक न्याय होगा और सरकार समाजवादी वाद निर्माण करने को कटिबद्ध हो गयी है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में नैतिक मान्यतायें बहुत गिर गयी हैं जिसके परिणामस्वरूप देशभक्ति और ईमानदारी का अभाव सा हो गया है। यदि हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं और अपनी योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें निर्माण पर जोर देना चाहिये।

नदी के पानी अथवा परियोजनाओं के स्थान संबंधी अन्तर्राज्य विवाद बहुत खेदजनक है। यदि राज्य एकमत न हो सके तो भारत सरकार को स्वयं उस परियोजना का कार्य प्रारम्भ करना चाहिये। हमारी जनता के निर्धन वर्ग को, जो गांवों में रहते हैं, देश की आर्थिक उन्नति के अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये कि कम भूमि वालों और भूमिहीन श्रमिकों को भी हमारी योजनाओं से लाभ प्राप्त हो सके। हमें परिश्रम करना होगा ताकि हम शीघ्र ही समाजवादी लोकतन्त्र की स्थापना में सफल हो सकें। सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांवों के लोगों में सामुदायिक जीवन की भावना उत्पन्न करने में असफल रहा है। चूंकि ग्राम पंचायतें मूल आधार हैं, इसलिये समस्त शक्तियां उनको मिलनी चाहिये तथा पंचायत समिति अथवा जिला परिषदों को नहीं। औद्योगीकरण के मामले में हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि प्रत्येक क्षेत्र का समुचित विकास हो। हमें गांवों के आर्थिक उत्थान के लिये ग्रामीण उद्योग भी स्थापित करने चाहिये।

श्री रा० शि० पाण्डेय (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का जिसमें राष्ट्रपतिजी के प्रति उनके अभिभाषण के लिये कृतज्ञता प्रकट की गयी है और जिसे माननीय सदस्य श्री माथुर जी ने उपस्थित किया है, हार्दिक समर्थन करता हूं। मैं राष्ट्रपति जी की उस भावना का भी समर्थन करता हूं जिस में उन्होंने चतुर्मुखी विकास की कल्पना की है और आशीर्वादात्मक रूप से उन्होंने सदन के सदस्यों को जब संबोधित किया तब उन्होंने प्रजातंत्रीय प्रणाली की उस भावना की ओर भी संकेत किया जिस में एकता और समता का भाव निहित है। उन्होंने अपने सरल भाव में और इस प्रकार के सुन्दर भाव में देश की एकता और समता की जब बात कही तब उन लाखों करोड़ों व्यक्तियों को नर और नारियों को भी यह सदेश मिला होगा कि इस देश के हमारे सर्वोच्च नेता क्या कह रहे हैं और उन्होंने इसे आह्वान के रूप में जो इस सदन के माध्यम से बात कही है, लिया होगा। यह बात अवश्य उन तक पहुंची है और उनके इन शब्दों का महत्व प्रेरणा का प्रतीक बनेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस अभिभाषण पर तीन रोज़ से बहस हो रही है। बहस मुबाहिसे के दौरान में कई बातें कही गई हैं। हमारे राष्ट्रपति जी ने एक कम्प्रिहैंसिव पिक्चर, एक सम्पूर्ण चित्र राष्ट्र निर्माण के सम्बन्ध में, हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, उपस्थित किया है। यहां पर अनेक प्रकार की आलोचनायें की गई हैं। उन आलोचनाओं के तत्व में जाने से पता चलता है कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं वे प्रेज्यूडिस्ड माइंड से कही हैं और इस ढंग से कही हैं जसे कि हमारे देश ने इन पिछले बारह वर्षों में कोई प्रगति ही न की हो। इन बारह वर्षों में जो एक प्रकार की ऐतिहासिक प्रगति हुई है, जो फिनोमिनल प्रगति हुई है, जो मैटीरियल प्रगति हुई है, उस को उन्होंने बालाय ताक रख दिया है। एक सैकिंड के लिए भी उन्होंने यह सोचने का कष्ट नहीं किया है कि आखिर बारह बरस में इस सरकार का, जोकि प्रजातंत्र की सरकार है, जो प्रजातंत्र द्वारा चुनी गई है, जिस पर करोड़ों लोगों का विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठा है, और निष्ठा है उन प्रणालियों पर भी जिन के आधार पर यह सरकार बनी है, चुनी गई है, सिद्धान्त और व्यवहार क्या रहा है। इस सिद्धान्त और व्यवहार की बात तक को उन्होंने नहीं सोचा है। हमारा सिद्धान्त और व्यवहार जनता के साथ यह था कि जब देश को स्वराज्य मिलेगा, जब देश आज़ाद होगा तो उसकी इकोनोमिक कंडिशन, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी आध्यात्मिक स्थिति में हम एक प्रकार से प्रगति लायगे और आपने देखा है कि मैटीरियल प्राग्रेस में, स्पिरिचुअल प्राग्रेस में, सोशल प्राग्रेस में हमने किसी भी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है और यह सब लाने का पूरा पूरा प्रयत्न किया है।

आप देखें कि यहां अन्दर और बाहर शान्ति की बात ही सारे संसार को हमारे प्रधान मंत्री जी ने दी है। शान्ति का सन्देश हमारे प्रधान मंत्री जी ने संसार को दिया है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह जो आवाज़ बुलन्द की है कि हम इस संसार में इसलिए पैदा हुए हैं कि शान्ति से रहें और हर वह विचार, हर वह शक्ति जोकि शान्तिमय रहने की भावना में किसी भी प्रकार का अवरोध, किसी भी प्रकार का गत्यावरोध या अशान्ति की भावना या परास्तता की भावना उत्पन्न करती है, उसका हम डट कर मुकाबला करें और उस शक्ति को उन्होंने चैलेंज दे डाला है। जब मैं तीन वर्ष पहले जर्मनी गया था और एक गांव में पहुंचा तो वहां के बूढ़े लोग, वहां की जवान बहनें जो विधवा हो चुकी थीं और वह मातायें जिन की गोदी के लाल छिन चुके थे, जो मर चुके थे, जिन के पति या बच्चे वार फील्ड में मरे थे, उन की आंखों में आंसू थे। आप सच मानें कि वह मातायें, बहनें, जिन के अन्दर एक मातृत्व की भावना होती है, मुझ से पूछ रही थीं कि आप के जवाहरलाल जी कितनी उम्र के हैं, कैसे हैं। उन को यह भी मौका नहीं मिला था कि किसी पिक्चर के मीडियम से जवाहरलाल जी को देखते। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सुना है। यह आस्था और यह विश्वास इस देश से गया। वह विश्वास, आस्था और निष्ठा जो मैंने जर्मनी के उन नर नारियों के, भाई बहनों के मुखों से सुनी वह यह थी कि आज इस देश में शान्ति का दूत, शान्ति लाने वाला, शान्ति की प्रस्थापना करने वाला और मौत से हटाने वाला, विध्वंस और परास्तता की भावना से दूर जनता जनार्दन को ला कर खड़ा करने वाला, अगर कोई व्यक्ति हो सकता है तो वह है जवाहर-लाल नेहरू। हजारों मील दूर मैं ने यह भावना सुनी तो मैं आह्लादित हुआ। हमारे मन में अपने प्रधान मंत्री के प्रति बड़ी आस्था पैदा हुई। लेकिन जब हम अपने इस हाउस के चुने हुए लोगों की भावना सुनते हैं तो बड़ा दुःख होता है। हजारों मील दूर केवल मातृत्व आशंकित है इस नेहरू जी के नेतृत्व पर। वह चाहते हैं कि प्रधान मंत्री हमारे इस बात पर दृढ़ता के साथ जमे रहें, संगठन के साथ वे इस बात को कहें जिस से कि संसार में जो मृत्यु का तांडव हुआ है उस से समाज को बचा सकें। आप हाइड्रोजन बम और एटम बम के एक्स्प्लोजन की बात आये दिन सुनते हैं। तब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैनेवा कांफरेंस में जो बात कही गई, उस का हमारे राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया, तो उस उल्लेख करने के पीछे जो भावना थी वह यही थी कि शक्ति का प्रदर्शन

[श्री रा० शि० पाण्डेय]

करने के और भी तरीके हो सकते हैं। लेकिन हाईड्रोजन बम और एटम बम का इस प्रकार एक्स्प्लोजन करना और इस प्रकार की एक भावना पैदा करना कि हम बड़े हैं या वह बड़े हैं, ठीक नहीं है। अगर कहीं संसार इस धोखे में आ गया तो इस से सारी सभ्यता का विनाश हो सकता है, सारे मानव समाज का ध्वंस हो सकता है और इतिहास स्मरण रक्खेगा कि शक्ति की होड़ एक ऐसी बड़ी गलती हो गई जिससे सारा संसार बरबाद हो गया। इस तरफ हमारे प्रधान मंत्री जी ने इशारा किया, ध्यान आकर्षित किया, और जब वह ध्यान आकर्षित करते हैं तो सारे देश का कंठ, सारे देश का हृदय और सारे देश की भावना बोलती है, और उस का असर होता है। चाहे एक दिन यह राष्ट्र लड़ जायें, लेकिन लड़ने के पहले दस मर्तबे उन्हें सोचना पड़ेगा, सौ मर्तबे उन्हें सोचना पड़ेगा कि एक ऐसा व्यक्ति भी है जो शान्ति का दूत है, एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अहिंसा का पुजारी है, जो महात्मा गांधी का शिष्य है, जो देश का नेतृत्व करता है और ४५ करोड़ जनता की तरफ से बोलता है। और इस स्वतन्त्र और प्रजातन्त्रवादी देश की तरफ से बोलता है इसलिये उस का प्रभाव पड़ेगा।

चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, जैसा राज्य सभा में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया, अगर ऐग्रेशन हुआ, जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से जफरुल्ला खां ने कहा, तो हम उसका मुकाबला करेंगे। चाइना के सम्बन्ध में हमें समझ लेना चाहिये कि जिस एरिया को उसने अकुपाई कर लिया है, अगर कुछ दिनों की अवधि में उस को उस ने खाली नहीं किया, और जो ऐग्रेशन उस ने कमिट किया है उस को विधड्रा नहीं किया, तो इस में कोई शक नहीं कि हमारी सरकार, जो राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद की सरकार है, जो भी निर्णय करेगी, सारा देश उस के साथ होगा, चाहे ऐग्रेशन करने वाला कम्यूनिस्ट हो चाहे कोई और हो। इस समय आज एक बात स्पष्ट है कि आज कम्यूनिस्ट्स के दो विंग्स हैं। एक तो राइटिस्ट्स हैं और दूसरे लेफ्टिस्ट्स हैं। एक कहते हैं कि ऐग्रेशन कमिट हुआ और दूसरे कहते हैं कि ऐग्रेशन कमिट नहीं हुआ। इस प्रकार विचारात्मक द्वन्द चलता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लायल्टीज वाले लोग हैं वह किसी भी तरह हमारा साथ दिया या देंगे। सन् १६४२ में जब गांधी जी ने "करो या मरो" का नारा लगाया तो उस समय यह लोग कहां गये थे ? उस समय ये लोग अंग्रेजों का साथ देना चाहते थे। यह उन के स्टूज बन गये, सैटलाइट्स बन गये जिस समय हमारा झंडा ऊंचा हो रहा था और हमारी आजादी हमारा दर्वाजा खटखटा रही थी और गांधी जी की कोशिशों से हमारी आजादी मिलने वाली थी, उन्होंने यह गतिरोध पैदा किया। उन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। यह किधर भी जा सकते हैं, और पता नहीं क्या कर सकते हैं। यह कभी भी हमारी डिमाक्रेसी को खत्म कर सकते हैं, इस का अन्दाज उन की हर बात से उनकी हर अदा से और हर तरीके से किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि उन की तरफ हमारी नजर होनी चाहिये। जब कभी धोखा हमारे प्रजातंत्र को होगा तो वह होगा उन से जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लायल्टीज को मानते हैं। उनका झंडा किसी दूसरी जगह का है। वे हमारे मुल्क का डंडा लिये हुए हैं लेकिन झंडा दूसरे मुल्क का है। मैं समझता हूं कि अगर उन का डंडा छीन लिया जाय तो झंडे का कोई महत्व नहीं रहेगा। इस तरफ हम को खयाल रखना है।

अब मैं अपनी आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आर्थिक व्यवस्था में हम लोग काफी आगे बढ़े हैं। एग्रिकल्चरल प्रोडक्शन जो कि हमारी एग्रिकल्चरल एकानमी का आधार है उस की आलोचना की जाती है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस बात को हम कैसे नजरअन्दाज कर सकते हैं जब हम से कहा जाता है कि हम ने कुछ नहीं किया है। हम पर एक चार्ज है कि हम ने कुछ नहीं किया। यह जो कि हमारी राष्ट्रीय सरकार है, हमारे राष्ट्रपति की

सरकार है, उसने कुछ नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो लैंड है, वह तो बढ़ नहीं सकती। जनता बढ़ रही है, पापुलेशन बढ़ रही है। इस को दृष्टि में रख कर इस बात पर विचार करना है। हमारे पास ३२६ मिलियन एकड़ लैंड है जिस पर कल्टिवेशन होता है। उस के दो हिस्से हैं। एक वह है जिस में कामर्शल क्राप होती है और एक वह है जिस में एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारा खाने का सामान है। उस के ईरिगेशन को देखिये। ५२ से ५५ मिलियन एकड़ जिस का ईरिगेशन होता है, यानी वह अन्डर ईरिगेशन है। ६० मिलियन एकड़ वह लैंड है जहां पर एश्योर्ड रेनफाल है, जहां पर कि जो आसमान से पानी बरसता है वह होता है और वह जमीन उसी पर निर्भर करती है। लेकिन ६० परसेन्ट लैंड हमारे पास वह है जिस में रेनफाल या तो ज्यादा होता है या कम होता है, या बिल्कुल नहीं होता है। वहां पर प्रोड्यूस को बढ़ाने का तरीका क्या है? मैं बड़ी नम्रता के साथ आप का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी दो तिहाई एक्सपोर्ट एग्रिकल्चरल एकानमी पर निर्भर करती है। उस को इन्सेन्टिव दिया जाना चाहिये। वहां पर हमें फूड क्राप भी बढ़ानी है और कामर्शल क्राप भी बढ़ानी है। थर्ड फाइव इअर प्लैन में हम ने १ मिलियन टन फर्टिलाइजर की कल्पना की है। लेकिन हम को ३ मिलियन टन फर्टिलाइजर चाहिये। इस ३ मिलियन टन फर्टिलाइजर के लिये हमारी सरकार को बायोलाजिकल प्रासेस से क्राप इन्क्रीज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरे इस तरीके से करना चाहिये कि माइनर ईरिगेशन, ट्यूब वेल्स और फर्टिलाइजर का समन्वय किया जाय। इस से हम बायोलाजिकल प्रासेस से ही क्राप बढ़ा सकते हैं। जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है वह एक मिकैनिकल प्रासेस है। मैं चाहता हूं कि एम्प्लायमेंट देने के लिये जो काम होता है उसका डिसेन्ट्रलाइजेशन कर के उस को देहातों की तरफ ले जाया जाय।

मैं मध्य प्रदेश से आया हूं जहां पर डाकुओं का मसला बहुत बड़ा है। गांधी जी कहते थे कि समाज के अन्तिम व्यक्ति को भी आर्थिक प्रगति का लाभ प्राप्त होना चाहिये। ऐसा आब्जेक्ट हमारी सरकार रखती है कि डाकुओं की प्राब्लेम जो वहां है वह हल हो। वहां पर बहुत से भील और आदिवासी लोग हैं जिन के पास कपड़े नहीं हैं, अनाज नहीं है, रहन सहन की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा नहीं है। जैसा ढेबर भाई ने कहा था कि जब एकानमी बढ़ती है, जब उत्पादन बढ़ता है तो हमें **लास्ट मैन आफ दि सोसायटी** की तरफ देखना है। आज हम उसे ठीक नजर से नहीं देखते हैं। आज हम को इन ट्राइबल्स की समस्या को हल करना है।

जहां तक कम्यूनिकेशन्स का सवाल है, ग्वालियर से बस्तर तक जाने में कम से कम छः दिन लगते हैं। हम को इस दृष्टि से कम्यूनिकेशन, माइनर ईरिगेशन खेती आदि को लेना है कि डाकायेट्स की प्राब्लेम हल हो सके। इस तरह से वह भी हमारे साथ अच्छी लाइफ लीड कर सकेंगे और एकानमिक प्राग्रेस में भी वे हमारे साथ होंगे।

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी (उन्नाव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव रक्खा गया है, उसके समर्थन में अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन १२ वर्षों के अन्दर, जिन में कि डा० राजेन्द्र प्रसाद ने स्वतन्त्र भारत के पहले राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है, उनका कार्य बहुत सराहनीय रहा है। उनकी कार्यकुशलता को, कार्यक्षमता को और जिस तरह से उन्होंने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भारत के संविधान को लागू करने में, उसको अच्छी तरह से कार्यान्वित करने में योग दिया है, स्वतन्त्र भारत कभी भुला नहीं सकता है।

[श्री कृष्ण देव त्रिपाठी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि इस देश में जब पार्लियामेंटरी टाइप आफ गवर्नमेंट संसदीय प्रकार की सरकार कायम की गयी उसके पश्चात् भी इस सम्बन्ध में बहुत से विचार प्रकट किए गए कि हिन्दुस्तान में राष्ट्रपति को क्या अधिकार हैं और इस बात की भी कुछ क्षेत्रों से इच्छा प्रकट की गयी कि यहां का राष्ट्रपति मजबूत होना चाहिए और उसको केवल वैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि हमने जो अपना संविधान बनाया था और जो संविधान स्वतन्त्र भारत को दिया गया था, उस संविधान के पीछे यह बिल्कुल स्पष्ट था और संविधान बनाने वाले व्यक्तियों ने, संविधान निर्मात्री परिषद् ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत का राष्ट्रपति उसी प्रकार का होगा जैसा कि इंग्लैण्ड का राजा। यानी उसे एक वैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना होगा और जो सरकार के काम हैं वह मन्त्रिपरिषद् करेगी जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अर्थात् जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी।

तो इस तरह का एक वाद विवाद इस देश में पैदा हुआ। आप जानते हैं कि डा० राजेन्द्र प्रसाद ने किस तरह से वैधानिक अध्यक्ष के रूप में काम किया जैसा कि इंग्लैण्ड का राजा काम करता है। इंग्लैण्ड के राजा के बारे में कहा जाता है कि इंग्लैण्ड के राजा को सलाह देने का अधिकार है, प्रोत्साहित करने का अधिकार है और चेतावनी देने का अधिकार है अगर उनकी समझ में सरकार कोई गलत काम करने जा रही है। हमारे डा० राजेन्द्र प्रसाद ने जो कार्य किया वह संविधान के अनुरूप था, और इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने इस देश में ऐसी परम्पराएं स्थापित कर दी हैं कि प्रजातन्त्र को इस प्रकार के किसी भी वाद-विवाद से कोई नुकसान पहुंचने की सम्भावना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि शायद ऐसे मौके आए, और ऐसा होना स्वाभाविक है, जबकि राष्ट्रपति इस देश की सरकार के विचारों से सहमत न रहे हों लेकिन फिर भी उनको जिस प्रकार से वैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना चाहिए था उसी प्रकार से कार्य किया। इसलिये हम सभी, यह सदन और पूरा देश उनका बहुत अनुग्रहीत है उन्होंने जो स्वस्थ परम्पराएं इस देश में कायम की हैं उनके लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि वह स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होकर उसी प्रकार बहुत दिनों तक देश की सेवा करते रहेंगे जिस प्रकार कि वह करते रहे हैं विशेष रूप से रचनात्मक क्षेत्रों में।

इस सदन के सामने राष्ट्रपति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश है और आज हम लोग एक विशेष और महत्वपूर्ण अवसर पर यहां मिल रहे हैं। तीसरे आम चुनाव हो चुके हैं और यह तीसरी लोक सभा है जो कार्य कर रही है। यह भी स्पष्ट है कि आम चुनावों में कांग्रेस को जनता ने एक बार फिर विश्वास दिया है और कांग्रेस की नीतियों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है, और कांग्रेस को यह आदेश दिया है कि वह उन नीतियों और कार्य क्रमों को जिनको उसने चुनावों के समय जनता के समक्ष रहा था अब पूरी तेजी के साथ लागू करे। सरकार को आज वह ताकत मिली है उस तमाम कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है, और इस बात की भी जरूरत है कि उस सरकार को यह मालूम हो कि देश उसके साथ है। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि जो लक्ष्य कांग्रेस ने देश के सामने उपस्थित किया था, जिस तरफ हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं, उस तरफ हमारी रफ्तार तेज हो।

यह लक्ष्य क्या है। यह राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट कर दिया है। वह लक्ष्य है प्रजातंत्र के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना। और उस समाज में सब में से प्रमुख स्थान योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का। इस लक्ष्य की प्राप्ति हमें करनी है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था है और उसी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के द्वारा, परामर्श के द्वारा, एक दूसरे के विचारों को समझ कर हम ऐसे निर्णयों पर पहुंचना चाहते हैं जिससे कि देश आगे बढ़ सके। प्रजातान्त्रिक समाजवाद की स्थापना इस देश का लक्ष्य है। आप जानते हैं कि प्रजातन्त्र की स्थापना तो एक हद तक हो चुकी है लेकिन प्रजातन्त्र केवल एक साधन है, प्रजातन्त्र कोई लक्ष्य नहीं है। प्रजातन्त्र एक साधन है जिसके द्वारा इस देश की समाजवादी ताकतों को कोशिश करनी है इस देश में समाजवाद लाने की। यदि प्रजातन्त्र का प्रयोग समाजवादी ताकतों ने नहीं किया तो यहां वही हाल होगा जो हाल में स्वतन्त्र हुए और देशों में हुआ और हो रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रजातन्त्र और पूंजीवाद दोनों साथ साथ चलते दिखायी देते हैं। यह देखा जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी तरह से प्रजातन्त्र का इस्तैमाल कर लेती है और समाजवादी ताकतें उस व्यवस्था को समाजवाद लाने के लिए इस्तैमाल नहीं कर पातीं। इसलिये आवश्यक है कि प्रजातन्त्र जो साधन के रूप में अपनी जड़ें जमा चुका है उस प्रजा तन्त्र के यन्त्र को इस्तैमाल किया जाए यहां की गरीबी को दूर करने के लिए। यदि गरीबी को प्रजातन्त्र समयत नहीं कर सका तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि निहित स्वार्थ प्रजातन्त्र पर अधिकार कर लेंगे और यह भी सम्भव है कि उस अवस्था में वे उस प्रजातन्त्र को ही खत्म कर दें या कम कर दें जिससे उसका प्रयोग समाजवादी ताकतें न कर सकें।

अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में यहां के चुनावों का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि यह बड़े गर्व की बात है कि हिन्दुस्तान में तीन आम चुनाव हो चुके हैं। अनेक दलों ने इन चुनावों में भाग लिया और किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ और स्वतन्त्रतापूर्वक मतदाताओं ने अपनी राय दी। ऐसे हमारे चुनाव हुए और १५ वर्ष से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

यह भी सही है कि जो राष्ट्र अभी थोड़े वर्ष पहले स्वतन्त्र हुए हैं एशिया और अफ्रीका में, जो कि आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वह एक के बाद दूसरे फौजी शासन या ऐसी व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं जो व्यवस्था प्रजातन्त्र की विरोधी है और जो व्यवस्था यथास्थिति को कायम रखने के पक्ष में है। हमारा यह सौभाग्य है कि हमारा नेतृत्व मजबूत है। हमारे मतदाताओं को प्रजातन्त्र से प्रेम है, वह राजनीतिक प्रश्नों को समझकर आज प्रजातन्त्र द्वारा समाजवादी समाज लाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि हम यह समझ लें कि यह प्रजातन्त्र जो हमारे देश में आज है यह ऐसा नहीं कि इसकी जड़ें इतनी अच्छी तरह जम गयी हैं कि हम निश्चित होकर बैठ सकें। पिछले आम चुनावों में, जिनके परिणामस्वरूप हम और आप इस सदन में चुन कर आए हैं, बहुत से दुःखपूर्ण तजुर्बे हुए हैं और इसलिये इस बात को समझ लेने की जरूरत है कि प्रजातन्त्र यहां पर किसी बारे में कमजोर भी है। प्रजातन्त्र की जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने की बहुत सख्त आवश्यकता है।

यह आप जानते हैं कि इस देश में निहित स्वार्थ हैं जिन्होंने यथास्थिति को कायम रखने के लिये और देश को पीछे ले जाने के लिये राजनीतिक दल खड़े किए हैं। आपको यह भी स्पष्ट रूप से मालूम है कि किस तरह से देश के वे लोग, जो कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्तम्भ थे और जिन्होंने इस देश में अंग्रेजी साम्राज्यवाद को कायम रखने में बड़ा योग दिया था, आज राजनीतिक दल बना कर सामने आते हैं और कहते हैं कि वे इस देश में प्रजातन्त्र की स्थापना करेंगे। आज देश में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो देश को टुकड़ों में विभक्त करना चाहते हैं, ऐसे राजनीतिक दल हैं जो किसी फिरका, या किसी धर्म या किसी जाति या सम्प्रदाय के नाम पर बने हैं। ऐसे लोगों ने भी राजनीतिक दल बनाए हैं जिनकी आस्था हमारे देश में नहीं है और जिनकी आस्था प्रजातन्त्र कायम करने में नहीं है। उन दलों के कार्य

[श्री कृष्ण देव त्रिपाठी]

करने से देश को कितना नुकसान हो सकता है यह भी समझने की आवश्यकता है और इस प्रश्न पर इस सदन को गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। आज देश में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि मूल रूप में प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं करते, जो पारस्पतिक वाद विवाद के द्वारा और समझा कर, मना कर कार्य करने की नीति के पक्ष में नहीं है, जिनको शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक तरीकों में विश्वास नहीं है। अकाली पार्टी कम्युनिस्ट और अनेक साम्प्रदायिक दल इस श्रेणी में आते हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो इस तरफ हम को ध्यान देना है।

सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे देश के हिन्दू जिनकी संख्या देश में ८५ प्रतिशत है, अपने हितों की रक्षा के लिए साम्प्रदायिक दल बनाते हैं। यह एक अजीब बात है। दुनियां में यह कहीं देखने को नहीं मिलता कि किसी देश के ८५ प्रतिशत लोग राजनीतिक दल बनाएं अपने हितों की रक्षा के लिये। यह एक अजीब बात है। हिन्दुस्तान की वह पार्टियां जो कि देश को बांटना चाहती हैं जो देश की एकता में बाधक हैं ऐसे दलों के देश में रहते हुए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वास्तव में उन दलों की यहां के संविधान में क्या आस्था है और यहां की राजनीतिक व्यवस्था में क्या आस्था है। यह एक बड़ा मूल प्रश्न है। क्या आप ऐसे तत्वों, ताकतों और प्रवृत्तियों को अपनी राज-नीतिक व्यवस्था में स्थान दे सकते हैं जो कि प्रजातन्त्र को अन्दर से रह कर तोड़ना चाहती हैं? जिनकी प्रजातन्त्र में आस्था नहीं है और जो इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं क्या ऐसे लोग प्रजातन्त्र के अन्दर काम कर सकते हैं? क्या ऐसे लोग प्रजातान्त्रिक संविधान में काम कर सकते हैं यह एक बड़ा मूल प्रश्न है जिस पर कि अच्छे तरीके से विचार करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में और भी बहुत सी बातें कही गयी हैं। योजना के सम्बन्ध में और अन्य चीजों के बारे में चर्चा की गई है और उन पर ब्यौरेवार मैं अपने विचार सदन के सम्मुख रखना चाहता था लेकिन अब चूंकि समय नहीं है इसलिये मैं एक बार फिर राष्ट्रपति महोदय को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देते हुए जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

चौधरी यु० सिंह (महेन्द्रगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। जैसे कि अच्छे तरीके से मालूम है कि हमारे राष्ट्र-पति महोदय का यह अंतिम भाषण था और इस अंतिम भाषण में एक वियोग की भावना के कारण जिस तरह एक करुणा का सा वातावरण उन के भाषण में था उस को दृष्टि में रखते हुये जहां एक तरफ हमने इस बात को महसूस किया कि उन्होंने बड़े संकोच और संक्षेप में देश में होने वाली अनकों प्रकार की जो प्रगति है उस की ओर इशारा किया वहां हमने इस बात को भी स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि राष्ट्रपति जो कुछ भी कह रहे थे, जो कुछ भी बतलाना चाह रहे थे उस सब के लिये अगर एक दम से यह कह दें कि उस के अन्दर कोई सार नहीं है या उस के अन्दर कोई तथ्य नहीं है तो यह सदाकत से आखें बंद कर लेना होगा। लेकिन जहां मैं यह कहता हूं वहां दूसरी ओर यह भी निवे-दन करना चाहता हूं कि हमारे आस पास बैठे हुये सदस्यों ने जिन कमियों और जिन बातों की तरफ इशारा किया है उन के अन्दर भी काफी हद तक सच्चाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सदन का ध्यान एक ऐसी समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसको कि मैं और भी बहुत सी समस्याओं के अतिरिक्त इस देश की प्रमुख समस्या समझता हूं। वह समस्या हमारे बीच में "उदासीनता की भावना की है"। आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर एक बात हम खास तौर से महसूस कर रहे हैं कि हमारा प्रत्यक नागरिक बावजूद इस बात के कि हमारे पास बहुत सी प्रगति की योजनायें हैं, अनकों उन्नति की योजनायें हम बना रहे हैं तो भी एक उदासीनता की भावना हम में उन सब स्कीमों के लिये मौजूद है। जिस का कि प्रभाव यह पड़ता है कि जो

एक कर्तव्य निष्ठा की भावना हर एक देश के नागरिक में होनी चाहिये उस की कमी आज हम प्रायः हर एक क्षेत्र के अन्दर महसूस कर रहे हैं। यह एक ऐसी बात है जिसका कि जिक्र न राष्ट्रपति जी के भाषण में है और न ही जिसका जिक्र हमारे बहुत से वक्ताओं ने किया। यह कुछ ऐसी चीज़ है जिसको कि शायद हम इतना महत्व नहीं देते क्यों कि यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है मनुष्य की, आदमी की किसी चीज़ के बारे में कि अपनी क्या भावना बनाता है या उसका उस चीज़ के बारे में अपना क्या इरादा है, उस तरफ ध्यान देना कुछ वाह्य बातें जहां अधिक बातें चलती हैं वहा शायद इस तरह की बातों की कोई इम्पार्टेंश या आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

मैं सदन का ध्यान उस उदासीनता की भावना की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि हमारे लोगों में विद्यमान है। आज हम लोग अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हैं। हर एक बात के लिये हम यह कहते हुये दिखलाई देते हैं कि यह काम यूं ही हो जायेगा। जिस तरीके से अफसर चाहेंगे, मंत्री चाहेंगे या नेतागण चाहेंगे, वह काम हो जायगा। इस भावना को रोकने के वास्ते देश के अन्दर राष्ट्रीयता की भावना पैदा करनी चाहिये। हमें उस के लिये कुछ ऐसी स्कीमें और योजनायें बनानी चाहिये हमारा जो रेडियो है, अखबार है या हमारा जो साहित्य है अथवा जो भी हमारे पास साधन हैं उनके द्वारा हमें देश के अन्दर उत्साह की ऐसी भावना भरनी चाहिये जिससे हमारी जो योजनायें हैं उनको हम सफलता के साथ पूरा कर सकें। ऐसा होने से ही हम देश में उन्नति के जो स्वप्न देख रहे हैं वह साकार हो सकते हैं। उस के लिये जरू ी है कि जनता का उनके लिये उतना ही उत्साह हो जितना उस में काम करने वाले कारीगरों का है और जितना उस में काम करने वाले मजदूरों का है।

इस बात की विडम्बना यहां तक जा पहुंचती है कि जहां तक राष्ट्रीय पर्वों का सवाल है हमारे देश के अंदर आजादी के बाद से १५ अगस्त और २६ जनवरी दो ऐसे राष्ट्रीय पर्व हैं जिनकी कि बड़ी भारी राष्ट्रीय महत्ता है। आप दिल्ली और जो राज्यों की राजधानियां हैं उनके अतिरिक्त जिला और तहसील स्तरों पर खुद अनुभव करते होंगे कि कुछ स्कूल और कालेजों के बच्चों को छोड़ कर जिनको कि किसी डर अथवा लालच से इकट्ठा किया हो, आम जनता का उनमें कोई उत्साह नहीं होता। इसके विपरीत हम पाते हैं कि लोगों के दशहरा, दीपावली आदि जो उनके सामाजिक त्योहार होते हैं उनके लिए उनमें बड़ा उत्साह पाया जाता है लेकिन हमारे १५ अगस्त और २६ जनवरी के जो राष्ट्रीय त्योहार हैं, लोग इनमें महज तमाशा देखने के लिए चले जाते हैं और उनके लिए उनके दिल में कोई उत्साह नहीं होता है। क्या हम इस इरादे पर पहुंचे हैं कि अगर हमारी पंचवर्षीय योजनायें कामयाब होंगी और हम देश की रोटी और कपड़े की समस्या को हल कर लेंगे तो बहुत सारी समस्यायें इसके अंदर हल हो जायेंगी? लेकिन मेरा कहना है कि जहां तक देश में एक राष्ट्रीय चेतना और उत्साह का वातावरण पैदा करने की बात है पंचवर्षीय योजना के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसा सोचना महज हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं है। पंचवर्षीय योजना बिलकुल ठीक है उससे आप भौतिक उन्नति करेंगे। उससे देश के अंदर फैली हुई गरीबी दूर होगी मगर उससे इस प्रकार की समस्यायें जिससे कि लोगों के अन्दर राष्ट्रीयता बढ़े, जिससे लोगों के अंदर उत्साह आये और वह यह समझें कि यह हमारा अपना देश है और हमारे देश के अंदर होने वाला हर एक क्रिया कलाप और हमारी जो हर एक होने वाली हरकतें हैं उसके साथ हमारा सीधा सम्बन्ध है, इस तरह की भावनाऐं जब तक देश के अंदर नहीं लायेंगे तब तक हमारे जितने भी प्लांस, स्कीमें और बातें हैं वह सब के सब जनता के सहयोग की कमी की वजह से अधूरे रह जायेंगे। इसके अंदर भ्रष्टाचार होगा। उसके अंदर करप्शन होगा। उसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें आ जायेंगीं जिनका कि एक इलाज के बाद लगातार एक इलाज करना पड़ेगा।

अभी पिछले दिनों शायद इस चुनाव से कुछ पहले हमारे देश के एक ऊंचे मंत्री ने भाषण देते हुए यह कहा था कि मुझे यह समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हैं कि देश के अंदर

[चौधरी, यु० सिं०]

आज उत्साह नहीं है या देश के लोगों के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वह इस बात को आखिर क्यों नहीं समझते कि जो देश सदियों से इतने लम्बे अर्से से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है उस देश के अंदर एक दम से ऐसी भावना कैसे पैदा हो सकती है जिससे वह अन्य एडवांस्ड देशों जैसे इंग्लैंड, अमरीका अथवा रूस का मुकाबला कर सके ?

जहां तक ढलती हुई जनरेशन का सवाल है या उन आदमियों का सवाल है जो कि बदल नहीं सकते उनके ऊपर यह ठीक लागू होता है मगर जहां पर उन स्कूल और कालिजों में पढ़ने वाले बच्चों का सवाल आता है तो मुझे कहना है कि वे भावी भारत के निर्माता हैं और कल के भारत के वे नागरिक होंगे तो उन लोगों के वास्ते हम कौन सा प्लान ला रहे हैं ? कल हमारे उधर कांग्रेस बेंचेज पर बैठने वाले माननीय सदस्य मिश्र जी ने हम अपोजीशन वालों को कहा था कि आप लोग केवल आलोचना ही करते हैं, महज नुक्ताचीनी न करके कुछ सुझाव क्यों नहीं देते और गवर्नमेंट के ध्यान में ऐसी बातें क्यों नहीं लाते जिससे कि तरक्की हो। मैं अब सुझाव दे रहा हूं। आपने इतने साल की आजादी के बाद भी अपनी शिक्षा पद्धति को बिलकुल नहीं बदला और वही शिक्षा पद्धति जो अंग्रेजों के वक्त में थी और जिसके कि लिए कांग्रेस के नेता यह कहा करते थे कि आजादी मिलने के बाद आजादी का जो सब से पहला सवेरा होगा उसमें सबसे पहला काम जो हम करेंगे वह यह होगा कि यह जो सड़ी गली शिक्षा पद्धति है उसको हम उखाड़ फेकेंगे। इस सड़ी गली शिक्षा पद्धति के अंदर और परीक्षाओं के चक्कर में पड़ कर लड़के केवल क्लर्क ही बन सकते हैं। उसमें हम आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। लेकिन समझ में नहीं आता कि वही नेतागण आज शासन की कुर्सियों पर बैठे हैं और वही पार्टी जो कि यह कहा करती थी, आज इस देश के शासन की बागडोर सम्हाले हुए है लेकिन शिक्षा पद्धति वही पुरानी चली आ रही है। थोड़ा बहुत अन्तर उन्होंने अवश्य किया है लेकिन वह कांग्रेस पार्टी के इतिहास को लेकर किया है जिसमें बतलाया है कि एक आदमी ने यूं कार्य किया एक नेता ने दो साल की कैद काटी और एक आदमी तीन महीने वहां रह आया लेकिन इसके अलावा कोई विशेष बात नहीं है बल्कि यहां तक विडम्बना है कि जो हमारे देश की स्वतंत्रता का सच्चा इतिहास है और जिसमें सरदार भगतसिंह या बंगाल के अन्य बहुत से क्रान्तिकारी युवकों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और अपनी जानें कुर्बान कीं उनका उस इतिहास में जिक्र नहीं है। अगर कहीं मामूली तौर पर जिक्र किया भी है तो महज इतना किया है कि एक लड़का था जिसने कि हिन्दुस्तान की आजादी के वास्ते आवाज उठाई और उसको फांसी हो गई। इस तरह की छोटी छोटी बातें मैं महज आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आने वाले वर्षों में जिन लोगों को कि इस देश का शासन सम्हालना है, जो बच्चे इस देश के अफसर बनेंगे इस देश के किसान, इंजीनियर और सब क्षेत्रों में फैलेंगे उनको इस तरह की शिक्षा और बातें बतलाई जा रही हैं। वही घिसी पिटी बातें जो कि अंग्रेजों के वक्त में चली आती थी उनको यदि आप कायम रखते हैं तो उनमें राष्ट्रीयता की भावना कहां से पैदा हो सकती है और जो दायित्व उनके ऊपर थोड़े समय के बाद आन वाला है उसको किस तरह से वहन कर सकेंगे ? आज हमारे छात्रों के अंदर अनुशासन की कमी की जो शिकायत आम है उसके लिए जिम्मेदार भी यही शिक्षा पद्धति है। उसके लिए देश का शिक्षा विभाग जिम्मेदार है। यह बात दरअसल ऐसे है कि हमने इन सारी की सारी किताबों का जाल एक ऐसे भद्दे तरीके से रख छोड़ा है जिसमें कि नोट्स और कुंजियों की सहायता से महीने, डेढ़ महीने या दो एक हफ्तों में अच्छे नम्बरों से लड़का पास हो जाता है। साल के शेष भाग में, जो कि आठ नौ महीने होता है, उन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसका परिणाम यह है कि उस सारे समय में उनके खाली दिमाग़ों में शरारतों और शैतानियों के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर हमारी शिक्षा-पद्धति में इस प्रकार परिवर्तन कर दिया जाय कि छात्र कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क ठोस काम-भी करें और देश के निर्माण के कार्यों में हाथ बटायें ताकि उनके दिमाग़ किसी काम में लगे रहें तो यह सारी की सारी समस्या अपने आप

हल हो जायगी । सब बातों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी, जन संघ या अन्य विरोधी दलों को दोष देने के बजाय अगर शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन कर दिया जाय उसको इतना अच्छा बना दिया जाय कि हमारे छात्र सदा बिज़ी रहें और परीक्षा से केवल दो महीने पहले पढ़ाई में मन लगाने के स्थान पर सारा साल काम करते रहें, तो न केवल देश के निर्माण कार्यों में प्रगति होगी, बल्कि हम अच्छे और योग्य नागरिक तैयार कर सकेंगे ।

आज देश के हर एक क्षेत्र में यह बात सुनने में आती है कि हर जगह करप्शन है, भ्रष्टाचार है। हर एक माननीय सदस्य ने अपनी अपनी समझ से भ्रष्टाचार का इलाज पेश किया है । मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का मूल कारण केवल यह है कि हम में अपने देश के प्रति अपनत्व की भावना नहीं है । अपने शरीर के प्रति तो हम में अपनत्व है । स्वार्थ हमारे जीवन को इतना डामीनेट करता है, हम लोगों में स्वार्थ इतना अधिक है कि कोई भी आदमी—चाहे वह ठेकेदार हो, अफ़सर हो या राजनैतिक नेता हों, कोई भी आदमी हो, जो कि इस विषय के परव्यू में आता है—अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये अपने देश और अपने समाज को कुरबान करने के लिये तैयार रहता है । इस में संदेह नहीं कि यह एक बहुत ही हीन भावना है । अगर सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार कम हो, हमारे देश में इस प्रकार की भावनायें फैलें, इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न हो कि हमारा देश फले-फूले, तो वह लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भरे, उन में यह भावना भरे कि यह हमारा अपना देश है, यह हमारी अपनी चीज है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस के लिये हमको फोरन एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फाइव इयर प्लान में कोई प्राविजन नहीं करना पड़ेगा और न हीं कोई कटौती रखनी पड़ेगी । सरकार के पास रेडियो समाचार पत्र, फिल्में और अन्य साधन हैं । उसका सूचना और प्रसारण मंत्रालय यह कार्य कर सकता है।

जब हमारा प्लान चल रहा है और कई प्रकार की योजनायें चल रही हैं, तो उनके साथ गांव के लैवल पर और शहरों के लैवल पर यह प्रचार किया जाये, तो मेरा ख्याल है कि जो प्रश्न इस समय हमारे सामने है कि और सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन लोगों में उत्साह और राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, जिसके कारण सब क्षेत्रों में करप्शन बढ़ रही है, उस का हल निकल सकता है और देश के सामने जो समस्यायें हैं, वे सारी की सारी अपनत्व और प्रेम की भावना से हल की जा सकती हैं ।

†**श्री मा० ल० जादव (मालेगांव)** : मैं अपने मित्र श्री हरिश्चन्द्र माथुर के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारा संसार में सब से बड़ा लोकतंत्र है और हम तीसरे आम चुनाव के बाद इस संसद के रूप में मिल रहे हैं । कहा गया है कि चुनाव ठीक नहीं हुआ है, परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि चुनाव आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है और उसकी देख रेख में चुनाव हुआ है । सरकारी अधिकारियों ने अपने प्रभाव का उपयोग किया बिलकुल निराधार बात है । आप अपने आस पास देखिए कहीं तानाशाही आ रही है और कहीं सैनिकशाही परन्तु भारत ही संसार भर का एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र और योजना साथ साथ चल रही है । और इसके लिए तो कोई दो राय हो ही नहीं सकतीं कि सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों के परिणाम स्वरूप कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है । सरकारी उद्योग क्षेत्र का विस्तार भी हो रहा है जो कि हमारी आज की अर्थ व्यवस्था बहुत ही स्वागत योग्य बात है ।

सिंचाई के क्षेत्र के अतिरिक्त सहकारिता के माध्यम से भी उत्पादन बढ़ा है । विभिन्न सहकारी समितियों ने उत्पादन बढ़ाने में काफी सहायता की है । महाराष्ट्र में कई चीनी कारखाने सहकारिता के आधार पर बहुत ही सन्तोषजनक ढंग से चल रहे हैं । मैं तो इस बात पर जोर दूंगा कि भविष्य में परिकरण के कारखाने भी सहकारिता के आधार पर स्थापित किये जाने चाहिए । इस कार्य का लाइसैन्स किसी गैर सरकारी कारखाने अथवा समवाय को तब ही देना चाहिए यदि कोई सहकारी संस्था इस कार्य को न कर सके । इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मा० ला० जाधव]

में यद्यपि किसानों को सहकारी बैंकों द्वारा धन दिया जा रहा है। परन्तु वह पर्याप्त नहीं है । हमें प्रयत्न करना चाहिए कि इस कार्य के लिए बैंक अधिक से अधिक धन दे। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि गरीब किसानों को महाजनों की शरण न लेनी पड़े।

इसके अतिरिक्त मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि फसल का बीमा होना चाहिए । इससे प्राकृतिक संकटों के समय किसानों की नुक्सान से रक्षा हो सकेगी। इससे उत्पादकों को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। निर्यात की दृष्टि से प्याज अच्छी चीज है, अतः महाराष्ट्र से प्याज जैसी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं। प्याजों के निर्यात की सुविधायें अधिक से अधिक उलब्ध होनी चाहिए ।

†श्री अब्दुल वहीद (वैल्लोर) : हमारे राष्ट्रपति सन्त की तरह राष्ट्रपति भवन में आये, सन्त की तरह वहां रहे और सन्त के रूप में ही वहां से विदा ले रहे हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि लम्बे अर्से तक जीवित रह कर राष्ट्र और सरकार का पथ प्रदर्शन करते रहे। अतः मैंन उनको धन्यवाद दिये जाने के प्रस्ताव का समर्थन करना है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि गत १४ वर्षों में देश ने काफी प्रशंसनीय प्रगति की है । बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने इतने कम समय में इतनी सफलतायें प्राप्त की हो। इस मामले में हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। और इस सब का श्रेय हमारे सफल नेतृत्व को हैं। हमने जो अभूतपूर्व सफलता औद्योगिक क्षेत्रों में प्राप्त की है उसकी दूसरे देशों में काफी प्रशंसा हो रही है। इतनी प्रगति करने वाला एशिया और अफ्रीकी देशों में और कोई देश नहीं है। इसका श्रेय हमारे प्रधान मंत्री और उनकी दूरदर्शिता को है । उन्होंने योजना आयोग की स्थापना करके योजनाओं का निर्माण किया ।

निर्यात में भी हम कुछ पीछे नहीं रहे हैं परन्तु हमारे निर्यात बढ़ाए जाने की अभी काफी गुंजाइश है । सरकार को भारतीय व्यापारी घरानों की शाखायें विदेशों में खोलने के लिए पर्याप्त सहायता देनी चाहिए। हमें विदेशों में विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका में चाय के प्रचार पर अधिक धन खर्च करना चाहिए ताकि उसकी मांग बढ़ सके। इसमें टेलीविजन की सहायता भी ली जानी चाहिए।

हमारी जन संख्या बढ़ रही है उस दृष्टि से कृषि उत्पादन बढ़ना ही चाहिए। मेरा मत यह है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारी तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार रेलवे ने भी काफी प्रगति की है परन्तु इसके बावजूद यह भी सत्य है कि हमारी रेलें हमारे उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रही हैं। हमें गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए और यह व्यवस्था करनी चाहिए कि उस कारण से तीसरी योजना को हानि न पहुंचे । कोयला तथा इस्पात के शीघ्रता से वहन के लिए "डीजल" यातायात आवश्यक है । किराये भाड़े बढ़ जाने के कारण सड़क परिवहन को अवश्य प्रोत्साहन मिलेगा अतः सरकार को बसों और लारियों की लाइसैंस फी बढ़ा देनी चाहिए।

हम पश्चिमी देशों से काफी सहायता प्राप्त करते रहे हैं। हम तो काफी विकास की ओर बढ़ चुके हैं परन्तु मेरा निवेदन है कि हमें एशिया तथा अफ्रीका के देशों को अधिक प्रविधिक सहायता देनी चाहिए। हमें अपने उद्योगपतियों को वहां उद्योगों को चलाने में भी सहायता देनी चाहिए । इससे हमारे देश को भी आर्थिक लाभ हो सकता है।

मद्रास राज्य के पिछड़ेपन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । कोई सन्देह नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में मद्रास बहुत आगे हैं। और भी कोई एक क्षेत्रों में मद्रास अन्य राज्यों के मुकाबले में आगे

†मूल अंग्रेजी में

है । परन्तु औद्योगिक क्षेत्र में हम पीछे रह गये हैं, परन्तु अब इस कमी को पूरी करने की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है । शीघ्र ही इस दिशा में भी मद्रास प्रगति के छोर को छू लेगा । और दूसरों से पीछे नहीं रहेगा ।

अन्त में मेरा कहना है कि हमें केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों की विभिन्न सेवाओं को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए । इन सेवाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो देश की भलाई के लिए काफी काम कर रही है । मैं अनुरोध करूंगा कि उच्च अधिकारियों के वेतनों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जानी चाहिए । उनकी पूरी सहायता की जानी चाहिए ।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर): विभिन्न वक्ताओं ने देश की आवश्यकता पर बहुत अधिक बल दिया है । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश ने ऐसा स्थान प्राप्त कर लिया है, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं । फिर भी हमें विभिन्न देशों के बारे में ठीक अध्ययन करना चाहिए । इसका परिणाम यह होगा कि हमारे राजनीतिक मिशन और अधिक सफल हो सकेंगे । इसके साथ ही हमारी देश के भीतर की हमारी सफलतायें भी काफी उल्लेखनीय है । आज हमारा देश राजनीतिक स्थिरता की स्थिति में है । हमारे यहां ऐसी स्थिति नहीं है जो कि हम अपने कई एक पड़ौसी देशों में देख र हे हैं । आर्थिक प्रगति भी हमारी किसी भी हालत में कम नहीं है । इस दिशा में हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं । मैं अपने देश की अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को जानता हूं और श्री देशमुख की इस बात से सहमत हूं कि हमारा देश बहुत ही गरीब देश है । कृषि की दिशा में हम आत्मनिर्भरता की स्थिति में अभी पहुंच नहीं पाये । औद्योगिक प्रगति की कठिनाइयां भी बहुत है । उसके लिए यातायात की अड़चनों तथा विद्युत की कमी के बारे में कार्यवाही की जाने की जरूरत है । राष्ट्रीय योजना को विविध दिशाओं में ही सुधारे जाने की आवश्यकता है । इस पर भी हमारा प्रगति की ओर कदम है, इस बात से इन्कार नहीं हो सकता ।

राष्ट्रीय योजना की दृष्टि से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों की कार्य-क्षमता में सुधार किया जाना चाहिए । उनका कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा । मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार को अन्तर्राज्य नदी विवादों को हल करने के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए । जिनसे सम्बन्धित राज्यों की जनता बहुत चिन्तित है । हमें मैसूर की बिजली की कमी पूरी करने के लिए वहां कुछ विद्युत संयंत्र स्थापित करने चाहिए । और इस उद्देश्य के लिए काफी विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी चाहिए मैसूर में ५०,००० लाख टन लोह अयस्क और मेंगनीज़ है । हम इसका अधिक से अधिक निर्यात करना चाहते हैं ९० लाख रुपये के संयन्त्र लगाने की व्यवस्था हो जाय तो इस दिशा में बहुत सफलता मिल सकती है । अन्त में मेरा यह निवेदन है कि मैसूर के साथ सरकार को न्याय करना चाहिए ।

†**श्रीमती गायत्री देवी** (जयपुर) : मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देती हूं । हमारा यह परम सौभाग्य है कि डा० राजन्द्र प्रसाद जैसा व्यक्ति हमारा राष्ट्रपति है । उनकी योग्यता और सादगी ने सारे राष्ट्र को प्रभावित किया है । हमें प्रसन्नता है कि यद्यपि वह अवकाश ले रहेहैं फिर भी वह राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे । इसके बावजूद कुछ एक बा ों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहती हूं । राजस्थान की स्थिति मेरे सामने है और मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सी बातों को छोड़ दिया है । चालू महत्वपूर्ण समस्याओं का कोई वर्णन नहीं किया गया है । मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं तथा उसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं किये गये हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बहुत ही शोचनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने की दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी । इसके अतिरिक्त खाद्य के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वासप्पा]

मामले में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में कोई ठोस तथा प्रभावशाली पग नहीं उठाय गये हैं ।

खाद्यान्नों के सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि यदि राजस्थान में खाद्यान्न को गोदामों में रखने की समस्या हल को जा सके तो उस राज्य में इसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकती है तथा कुछ अनाज फालतू भी हो सकता है । इसी प्रकार पंचायत राज्य के बारे में एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि पंचायतों का कार्य राजनीति से ऊपर उठ कर किया जाना चाहिए । परन्तु यह खेद का विषय है कि इससे ग्रामीण लोगों के घरों में भी राजनीति घुस गयी है । अतः मेरा निवेदन है कि पंचायतों के समुचित विकास की दृष्टि से हमें उन्हें राजनीति से दूर रखना चाहिए । परन्तु पदासीन दल इस तथ्य की ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है ।

देश के महान् बनने के रास्ते में इस समय भ्रष्टाचार बहुत बड़ी रुकावट बन रहा है। भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है और फिर नीचे तक घुसता चला जाता है । लालफीताशाही तथा प्रशासनिक देरी लोगों को बेहद परेशान करती है । मेरा अनुरोध है कि देश की विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के हित में इन बुराइयों को दूर करने में कड़े उपाय किये जायें । इसी प्रकार यदि हम अपने राष्ट्र को महान् बनाना चाहते हैं और प्रगति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें बेरोजगारी, भूख तथा गरीबी की समस्याओं को हल करना होगा ।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली-करौल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री हरिश्चन्द्र माथुर, ने धन्यवाद का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं राष्ट्रपति जी के प्रति, जो कि हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं और आज़ादी से पहले जो हमारे सर्वमान्य नेता रहे हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं । राष्ट्रपति जी की सौम्य मूर्ति और उन का सौम्य स्वभाव हमारे देश का प्रतीक है । संस्कृत का एक श्लोक है—

वदनं प्रसाद सदनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः
उपकृत्य भवन्ति दूरतः परतः प्रत्युपकार शंकया ।

अर्थात् जिनका मुख प्रसाद (प्रसन्नता) का स्थान है, जिन के हृदय में दया है, जिनकी वाणी मानो अमृत की वर्षा करती है, जो परोपकार में रत है, ऐसे महापुरुष किस के वन्दनीय नहीं हैं ।

[**श्री शामनाथ** पीठासीन हुए]

एसे महान् वंदनीय राष्ट्रपति जी ने संसद् के दोनों सदनों के सामने अपना यह अन्तिम भाषण दिया । मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहता हूं ।

भाषण में पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा की गई और पंचायतों के सम्बन्ध में विशेषतः कहा गया । मेरा निर्वाचन क्षेत्र आधा ग्रामीण-क्षेत्र है और आधा शहरी क्षेत्र है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ग्रामीण-क्षेत्र में जो पंचायतें हैं, उन में बहुत कमियां हैं । पंचायत राज बहुत अच्छा है और हम उसका समादर करते हैं । पचायत राज्य ग्रामीण जनता की पूरी आशा है और इसमें उन लोगों की उन्नति की झलक है, यह भी हम अनुभव करते हैं । किन्तु दिल्ली में जो पंचायतें हैं, उनके अधिकार बिल्कुल सीमित हैं । उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर दिल्ली नगर निगम है । दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र का विस्तार जहां शहर में है, वहां गांवों पर भी उसका अधिकार है । दिल्ली नगर निगम और पंचायतों के कार्य-क्षेत्र एक ही है और दोनों एक ही काम को करना चाहते हैं, जिसके

परिणामस्वरूप दोनों में डिस्प्यूट होता है । जब मैं अपने ब्लाक के अन्दर जाता हूं, पंचायत या गांव में जाता हूं तो मैं देखता हूं और हर गांव के पंच और गांव के प्रधान को मैंने कहते सुना है कि कारपोरेशन से पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं हैं । इसका कारण यह दिया जाता है कि जो काम कारपोरेशन करना चाहती है पंचायत भी वही काम करना चाहती है । यह जो दो अमली है, इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं इस सदन में कई बार, और आज फिर कहना चाहता हूं कि इसकी ओर माननीय मन्त्री जी ध्यान दें और मैं उनसे बड़े ही नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली का जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसको कारपोरेशन से अलग कर दिया जाए । दिल्ली का जो ग्रामीण क्षत्र है, यह शहर के साथ बंधा नहीं रहना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे । आज यह जो दो अमली हुकूमत चल रही है, विकास की जो जिम्मेदारी दोनों की है और दोनों की जो इस बारे में हुकूमत चल रही है, उस ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये ।

दिल्ली पंचायत राज अधिनियम के अन्दर कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका संशोधन करना अत्यावश्यक है । दिल्ली पंचायत राज के अन्तर्गत जो प्रधान है वह सीधा चुना जाता है और इसी तरह से जो सदस्य हैं वे भी सीधे ही चुने जाते हैं । अब प्रधान यदि कोई गलती करता है तो सारी पंचायत को तोड़ना पड़ता है । मेरा निवेदन है कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए ताकि यदि प्रधान की कोई गलती हो तो उसके लिये सारी पंचायत को न तोड़ा जाए ।

चुनावों की बात भी यहां की गई है । इसके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं । पिछले तीन चार दिनसे जो विचार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रकट किए गए हैं उनको मैं सुनता आ रहा हूं । मैंने देखा है कि जो लोग ज्यादातर साम्प्रदायिकता की भावना से प्रेरित हैं, जिन लोगों ने ज्यादातर साम्प्रदायिकता का विष फैलाया है, वे साम्प्रदायिकता और एकता की ज्यादा बात करते हैं । मैंने अपने यहां देखा है कि जब दिल्ली में चुनाव चल रहे थे तो एक दिन एक समाचार पत्र में मुझे पढ़ने को मिला जो कि उर्दू का समाचार पत्र था और जो कांग्रस विरोधी समझा जाता है कि जनसंघ के दीपक में तेल की जगह शराब है और इसके नीचे एक समाचार था कि किस तरह से स्कूटर में यह ले जाई जा रही है और ले जाकर के मुफ्त में बांटी जा रही है । मैंने यह भी देखा है कि घर घर जा जाकर कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार करने वालों ने लोगों से गीता पर हाथ रखवाया, रामायण पर हाथ रखवाया, गंगाजली को छूने के लिये उनसे कहा तथा इसी तरह के और कई हथ-कण्ड काम में वे लाये । ये सब अनुचित बातें थीं जो की गईं । अगर राष्ट्रीय एकता स्थापित करनी है, देश में भावात्मक एकता लानी है, तो इसके लिए साम्प्रदायिक तत्वों को हमें रोकना पड़ेगा, उनका मुकाबला करना पड़ेगा ।

इसके साथ ही राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में समाजवादी समाज का जिक्र किया है । यह एक सही दिशा है जिसकी ओर हमें बढ़ना है और अपने देश में समाजवादी समाज की स्थापना करनी है । किन्तु मैं देखता हूं कि जो दबे हुए लोग हैं, जो पिसे हुए लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है । दस बरस हो गए हैं, उनकी हालत नहीं सुधरी है । मैं अनेक बार इस सदन में कह चुका हूं कि जब कभी भी हम गांवों में, मुहल्लों में, गलियों में जाते हैं तो पाते हैं गांव के कोने पर बैठा हुआ हरिजन, उसी तरह से दबा हुआ और पिसा हुआ इंसान है जिस तरह दबा और पिसा हुआ वह पहले हुआ करता था । उसकी हालत में कोई अन्तर नहीं पड़ता है, उसने कोई उन्नति नहीं की है । आज समाजवाद के नाम पर वह वोट तो दे देता है लेकिन समाजवाद की छाया में कभी उसको सुख और शान्ति प्राप्त हुई हो, यह अनुभव नहीं होता है । मैं चाहता हूं कि उसकी ओर विशेष रूप से आपका ध्यान जाए ।

झुग्गी और झोंपड़ी का मसला भी एक बड़ा मसला है । झुग्गियों और झोंपड़ियों के अन्दर जाकर आप देखें तो आपको वहां मानवता सिसकती हुई मिलेगी, मानव का करुण चीत्कार आपको सुनने

को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य वहां जाकर देखें कि किस तरह से मानवता जो है वह वहां पर कराह रही है। झुग्गियों और झोंपड़ियों के लिये भारत सरकार ने पैसा तो दिया है और पिछले चार या पांच साल से यहां पर बसने वाले लोगों को बसाने की बात भी हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस काम में कोई प्रगति हुई हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है।

इसके साथ ही अव्यवस्थित रूप से जो मकान बनते चले जा रहे हैं, उनका भी सरकार की तरफ से कोई न कोई हल ढूंढा जाना चाहिये। झुग्गी और झोंपड़ी के काम में अधिक प्रगति होनी चाहिए।

गन्दी बस्तियों की बात भी हम करते हैं। लेकिन कितनी गन्दी बस्तियों की सफाई हो सकी है, कितनी गन्दी बस्तियों को दुबारा बसाया जा सका है, यह बात भी सोचने और करने की है।

मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। इन शब्दों के साथ जो धन्यवाद का प्रस्ताव यहां उपस्थित किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

†**श्री खाडिलकर** (खेड़ा): मैं यह अनुभव करता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण इस विचार से निराशा पैदा करने वाला है कि एक ऐसे समय पर जबकि वह अपने पद से निवृत्त हो रहे हैं, स्वयं अपने मन की बात नहीं की है। यह तो सरकार की नीतियों का चित्र है। हमारा प्रजातन्त्र अभी एक प्रारम्भिक क्रम से है तथा हमें इसके बारे में काफी सतर्क रहना होगा। दो-दलीय प्रजातन्त्र का विचार निन्दित सा हो चुका है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि देश का प्रशासन कुछ समय तक सत्तारूढ़ दल के हाथों में ही रहेगा। इस प्रसंग में प्रशासी दल का उत्तरदायित्व और अधिक हो जाता है। उन्हें सतर्क और सचेत रहना होगा। सभी सदस्यों को सरकारी नीतियों पर अधिक सतर्क होकर विचार करना होगा तथा देश में एक समाजवाद प्रकार के समाज की स्थापना की दिशा में उन्हें आवश्यक शक्ति के उपलब्ध करने में सहायता देनी होगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र तथा मैसूर के बीच सीमान्त के झगड़े को समाप्त किया जाना चाहिये और मैसूर तथा आन्ध्र के बीच जल सम्बन्धी विवाद का निपटारा भी होना चाहिये। अधिक अच्छा होगा यदि दामोदर घाटी निगम के समृद्ध उस क्षत्र में जल संसाधनों का प्रबन्ध करने के लिये एक निगम की स्थापना की जाय।

जल सम्बन्धी विवाद भी एक समस्या बन गया है। आन्ध्र प्रदेश इस मामले में हठधर्मी से काम ले रहा है। सरकार को इसका कोई हल निकालना चाहिये।

इस समस्या के हल के लिये दामोदर घाटी निगम जैसा एक निगम स्थापित किया जाना चाहिये। मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे जल के अभाव से ग्रस्त राज्यों को जल के मामलों में कुछ वरीयता दी जानी चाहिये।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमें स्वयं अपनी प्रथायें बनानी चाहियें। अधिकांश सदस्यों को सरकार के प्रशासन के समीप से देखने और सरकारी निर्णयों में हाथ बंटाने का कोई मौका नहीं मिलता। इसलिये यदि हम अपनी प्रथायें बनाना चाहते हैं तो सभी सरकारी विभागों की स्थायी समितियां बनानी चाहियें। तभी सदस्यों को सरकारी प्रशासन को जानने-समझने का अवसर मिलेगा।

†**श्री प्र० र० चक्रवर्ती** (धनबाद): राष्ट्रपति के अभिभाषण के सिलसिले में, मैं राष्ट्रपति की उत्कृष्ट मानवीयता' उनके चरित्र और सौजन्य का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात्, उसके फलस्वरूप हमारे देश में कई शक्तियां पैदा हुई हैं और वे कई समस्यायें पैदा कर रही हैं। आज हमारे समाज में पग-पग पर हमारे लिये एक चुनौती है।

इसका अर्थ यही है कि जनता की कई शक्तियां जो पहले सामन्तवाद और साम्राज्यवाद के जुए के नीचे आतंकित भयभीत पड़ी थीं, दुबकी पड़ी थीं, अब खुल कर मैदान में आ गई हैं। जन जीवन में भावनात्मक विस्फोट हुआ है।

कालाहांडी के राजा ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अब सामन्तवाद के दिन लद गये हैं।

मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखा है कि एक ओर तो निर्धन खनिक हैं और दूसरी ओर बड़े थैलीशाह खान मालिक। ऐसा विभेद क्यों ? ऐसी असमानता क्यों?

भारत को इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा। प्राचीन परम्पराओं और वैभव के नारे लगाने से ज्यादा दिन काम नहीं चलेगा।

मैं किसी भी तरह अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन नहीं होने दूंगा, चाहे फासिज्म हो या कम्युनिज्म। जनता चाहती है कि वह कम से कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच जाय।

इसलिये हमें समाज की इस चुनौती का सामना सम्मिलित रूप से, सभी दलों को मिल कर करना होगा।

मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर मुकर्जी और विरोधी दलों के सभी सदस्य इसे स्वीकार कर लें। हमें थोड़े से समय में काफी लम्बा रास्ता तय करना है। इसलिय बहाने ढूंढने और टालमटोल से कोई फायदा नहीं।

राष्ट्रपति ने हमें बड़ी विनम्रता और सरलता के साथ एक नया जीवन दर्शन—लोकतान्त्रिक समाजवाद का दर्शन—दिया है। वह एक जीवन-दर्शन है, आर्थिक दर्शन नहीं। भारत पर कोई सिद्धान्त ऊपर से नहीं लादा जा सकता।

देश में मुनाफा कमाने की भावना के स्थान पर, सहकारिता की भावना पैदा की जानी चाहिये।

†**श्री गौरी शंकर** (फतेहपुर) : इस चर्चा में 'समाजवादी लोकतंत्र' और 'सुयोजित अर्थ-व्यवस्था'—इन दो शब्दों का प्रयोग बार-बार, विभिन्न दलों और विचारों के माननीय सदस्यों द्वारा किया गया है। सत्तारूढ़ दल को इसे समाजवादी लोकतंत्र बताते बड़ा गर्व होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस व्यवस्था में लोकतांत्रिकता का ठीक उलटा है। मेरे निर्वाचनक्षेत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव जैसे बड़े कांग्रेस मैन ने भी जनता की साम्प्रादायिक और जातिगत भावनायें उभारने की कोशिश की थी। उन्होंने ब्राह्मणों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की थी।

वे बड़ी बातें करते हैं सुयोजित अर्थ-व्यवस्था की, लेकिन वह पूरी तरह असफल सिद्ध हो चुकी हैं। पहले सब से अधिक निर्धन और सब से अधिक धनी व्यक्तियों में यदि १ और ११० का अन्तर था, तो अब १ और ३२० का अन्तर है।

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के लिये सहकारी समितियों की बड़ी दुहाई दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों के सभापति जिलाधीश होते हैं। इस प्रकार वे सरकारी अधिकारियों के हाथ के खिलौने हैं। उन पर अधिकारी वर्ग छाया रहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गौरी शंकर]

बेरोजगारी मिटाने की बात की जाती है, पर देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन-दिन बढ़ती जा रही है ।

और भ्रष्टाचार का तो यह हाल है कि पहले जहां नहीं था, अब वहां भी फैल गया है ।

कोई चीज़ बिना मिलावट की मिलती ही नहीं ।

सरकार किसी भी दिशा में प्रगति नहीं कर पाई है ।

हिन्दी और अंग्रेज़ी के प्रश्न पर अब कोई उत्तेजना उचित नहीं है । संविधान ने तो हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर ही दिया है ।

सरकार को नीतियां और कार्यक्रम इस योग्य नहीं कि हम उनको प्रशंसा करें ।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उस की ताईद करता हूं । सदन के दोनों तरफ़ से उन के स्वभाव, सरलता और सीधेपन के बारे में बातें कही गई हैं । मैं समझता हूं कि उन की प्रशंसा में जितनी भी बातें कही जायें, वे थोड़ी ही होंगी ।

राष्ट्रपति जी का यह भाषण बहुत ही संक्षिप्त था, लेकिन इस के कुछ दिनों पहले उन्होंने संसद् के दोनों सदनों के सामने जो भाषण दिया, वह काफ़ी लम्बा था और उस में उन्होंने सब बातें विस्तार-पूर्वक बताईं । पिछले सदन ने और सरकार ने उस समय तक जो काम किया था, उस की चर्चा उस भाषण में की गई थी ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

लेकिन मुल्क के सामने जो मुख्य समस्यायें हैं, इस संक्षिप्त भाषण में भी उन को छोड़ा नहीं गया है । वह कौन सा सवाल है, जिस की तरफ़ हमारा ध्यान जाना चाहिए और उस की तरफ़ इस हाउस और इस मुल्क का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है ? दो मुख्य सवाल हमारे सामने हैं । एक इकोनोमिक प्रोग्रेस का है और दूसरा मुल्क की रक्षा करने का है । हमें देखना है कि इन दोनों कामों में हम कहां तक कामयाब हुए हैं और क्या क्या दोनों दृष्टियों से हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं । अपने मुल्क की दूसरे देशों से आक्रमणों से हमें रक्षा करनी है । इसके साथ ही तीसरी बात सिद्धान्त की है । वह गांधियन सिद्धान्त को बात है जिसके ऊपर आज हम चल रहे हैं और उस पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं । हमें अब देखना है कि इन सभी बातों में हम ने तरक्की की है या नहीं की है । बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि हम प्राग्रेस नहीं कर रहे हैं । उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने यह बात कही है मैं स्टैटिसटिकल हैंडबुक आफ इंडियन यूनियन का हवाला देना चाहता हूं । अगर उन्होंने इसको पढ़ा होता तो वे ऐसी बात न कहते । इस में साफ साफ बताया गया है और फिगर्ज़ दिये गये हैं कि हम ने इन दस बरसों में एजुकेशन के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, कोल प्राडकशन के मामले में, हैवी मशीनरी के प्लांट एस्टेबलिश करने के मामले में, इरिगेशन के मामले में, बिजली के मामले में, कितनी प्राग्रेस की है । अगर इस को आप पढ़ें तो आप कहे बगैर नहीं रह सकते हैं कि पिछले दस बरसों में सरकार जो काम करती रही है, जो पार्टी शासन में रही है, और जो काम करती रही है वे अच्छे अच्छे काम करती रही है और देश आगे बढ़ता रहा है और बढ़ता जा रहा है । हर वर्ष जो गुज़रता जाता है, देश तरक्की करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है ।

देश तरक्की कर रहा है, इसका दूसरा सबूत वे प्रमाणपत्र हैं जो विदेशी लोग भारत को दे गये हैं। जितने भी विदेशी यहां आते हैं, चाहे वे रूस से आते हों, फ्रांस से आते हों, इंगलैंड से आये हों, किसी भी मुल्क से आये हों, उन सभी ने कहा है कि इन दस बरसों में हिन्दुस्तान ने जितनी प्राग्रेस की है, उतनी प्राग्रेस किसी दूसरे देश ने नहीं की है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : किस देश को मद्देनज़र रख कर आप यह सब कह रहे हैं ?

श्री क० ना० तिवारी : सभी देशों के लोगों के बारे में मैं यह कह रहा हूं। दस बरसों में भारत ने जितनी प्रगति की है, उतनी प्रगति किसी भी देश ने नहीं की अपनी आज़ादी के प्रथम दस वर्षों में।

आज दुनिया में शान्ति को सब से ज्यादा खतरा उत्पन्न हो गया है। आज जो लड़ाई लड़ी जायेगी वह एटम बम की सहायता से लड़ी जायेगी और बहुत तबाही का वह बायस बनेगी। इस सम्बन्ध में, शान्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में भारत ने जो रुख अपनाया है और इसको रुकवाने में प्रधान मंत्री जी ने जो कोशिशें की हैं, वे सर्वविदित हैं और सराहनीय हैं। कोई भी आज ऐसा आदमी नहीं है जो इससे इन्कार कर सके कि इस देश ने जो पार्ट अदा किया है वह कम है या हमारे प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं।

जहां तक कालोनीज़ का सम्बन्ध है, जो लोग गुलाम हैं, उनको आजादी दिलाने का सम्बन्ध है, जैसे अल्जीरिया है, सारा अफ्रीका है या दूसरे देश हैं जोकि आजाद होना चाहते हैं, ऐसे देश का रुख उनके हक में है इसकी हमदर्दी उनके साथ है और यह देश हर सम्भव तरीके से उनकी मदद करना चाहता है। हमारी सहानुभूति सताये हुए, दुखियाए हुए लोगों के साथ है। इस दिशा में हमारा योगदान कम नहीं रहा है। जब यह कहा जाता है कि आइडियोलोजिकली हम अपनी जगह पर कायम नहीं हैं और प्राग्रेस नहीं कर रहे हैं, या इस तरह की और बातें कही जाती हैं, तो वे मेरी समझ में नहीं आती हैं। इस तरह की बातों में कोई तथ्य नहीं है।

मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जादू वह है जो सर पर चढ़ कर बोले। आज इस सदन में एक रानी साहिबा ने भाषण किया। वह उन रानियों में हैं जिन की शक्लें कोई देख नहीं सकता था तथा जिन के बड़ी मुश्किल से दर्शन होते थे। लेकिन समय ने पलटा खाया है। आज उनके सभी दर्शन करते हैं और वह आज आ कर इस हाउस में बैठी हुई हैं और उन्होंने भी रूरल अपलिफ्ट की बात कही है, गरीबों की भलाई की बात कही है, इकोनोमी की बात कही, देश किस तरह से आगे बढ़े यह बात कही। यह ज़माना अगर कोई लाया है, और ज़माने को किसी ने बदला है, तो वह जो डैमोक्रेसी इस देश में आई है, उसी ने बदला है। इस देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वे कम्युनिस्ट हों, सोशलिस्ट हों या किसी भी नाम से पुकारे जाते हों और चाहे स्वतंत्र पार्टी के हों, इस डैमोक्रेसी में सभों का अपना अपना स्थान है और वे सभी इस हाउस में बैठे आप देख सकते हैं।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि हमें एक लड़ाई लड़नी है और वह लड़ाई गरीबी से लड़नी है। हमें गरीबी को किसी न किसी तरह से देश से मिटाना है। किस तरह से एजुकेशन बढ़े, किस तरह से जो बेकार हैं उनको रोज़गार मिले, इसको हमें सोचना है। इस सब के लिए एक दो नहीं सैकड़ों स्कीम्ज़ की जरूरत है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। ये सब काम क्रिटिसिज्म करके नहीं हो सकते या खाली खामियों को बतला कर हम मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। यह ठीक है कि सरकार की खामियों को, सरकार की कमियों को उसके नोटिस में लाया जाये लेकिन उसके साथ ही साथ कंधे से कंधा भिड़ा कर जो सवालात हैं, उनको हल करने की भी कोशिश की जाये। इन सवालात को हल करने की उसी तरह से कोशिश होनी चाहिये जिस तरह से ट्रैज़री

[श्री क० ना० तिवारी]

बेंचिज की तरफ से होती है । सभी पार्टियों के लोग जब इस काम में जुट जायें तभी मुल्क आगे बढ़ सकता है । जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, उनको क्रिटिसिज्म करके भले ही कुछ सन्तोष मिल जाये, लेकिन इसको बड़े से बड़ा क्रिटिक भी मानेगा कि इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता है । आप चीन को लें, रूस को लें या किसी अन्य देश को लें, किसी भी देश ने इतने कम समय में इतनी तरक्की नहीं की है जितनी भारत ने की है । आज के अखबारों में चीन के बारे में जो एक बात निकली है, उसी को पढ़ कर मैं आपको सुना देना चाहता हूं । चीन १९४८ में आजाद हुआ था । वहां पर जो पार्टी पावर में आई और जिस के बारे में कहा जाता है कि वहां बहुत ज्यादा प्राग्रेस हुई है, उसके जो फारेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि चीन को उन्नत समाजवादी देश बनाने में बीसियों वर्ष लग जायेंगे ।

वहां पर डिक्टेटरशिप है, वहां पर किसी भी तरह की कोई बाधा खड़ा करने वाला कोई नहीं है, और उस देश के बारे में कहा गया है कि कंट्री को बिल्ड करने के लिए स्कोर्ज़ आफ यीअर्ज़ लगेंगे ।

जहां तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है, इस मुल्क में हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना करने जा रहे हैं । अगर आप समझते हैं कि दस या पंद्रह वर्ष में यह काम हो जाये तो यह नहीं हो सकता है । उस ओर हम बढ़ अवश्य रहे हैं लेकिन उस तरह की सोसाइटी की स्थापना करने में अभी काफी समय लगेगा । इतना ही मुझे निवेदन करना था ।

इन शब्दों के साथ जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं ।

†**श्री वासप्पा** (बंगलौर) : मैं राष्ट्रपति की महान सेवाओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं । राष्ट्रपति जी महात्मा गांधी के आदर्शों के जीवित प्रतीक हैं । उन्होंने हमें वास्तविक राम राज्य लाने का मार्ग दिखाया है ।

राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में हमने भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा में यथेष्ट अभिवृद्धि की है ।

हमने आन्तरिक और वैदेशिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रगति की है ।

हमारी वैदेशिक नीति ऐसी रही है कि संसार के अनेक देश हमारे मित्र बन गये हैं ।

हमने १९४७ में जब स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तब हमारे सामने बड़ी-बड़ी समस्यायें थीं । हमने इन दस-पन्द्रह वर्षों में उनको हल करने का प्रयास किया है और उसमें सफलता भी पाई है । हमने दस-पन्द्रह वर्षों के दौरान जितना कुछ किया है, उतना संसार के कम ही राष्ट्र कर पाये हैं । समय को देखते हुए हमारी सफलता यथेष्ट रही है । कृषि और उद्योगों—दोनों ही क्षेत्रों में हमारे कदम आगे बढ़े हैं ।

देश की सब से बड़ी कमजोरी एकता का अभाव है । शुरू से फूट ही देश को अभिशाप बनी रही है । दक्षिण में द्रविड़स्तान बनाने की आवाज उठाई जा रही है । लेकिन दक्षिण भारत के एक बहुत छोटे से भाग तक उसका प्रभाव सीमित है ।

अच्छा तो यह रहता कि हमने भाषावार राज्य बनाने का काम शुरू ही न किया होता ।

हमारे देश में कृषि तथा उद्योगों के बीच असंतुलन है । इस असंतुलन से कई समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं । हमें इस असंतुलन को ठीक करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा के प्रसार के साथ, हमें प्रविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर देना चाहिये। देश में जरूरत इस बात की है कि पूरी शिक्षा में एक आमूल-चूल परिवर्तन किया जाये।

हमारे सरकारी उपक्रमों ने काफी अच्छा काम किया है। उनकी कार्य-क्षमता भी बढ़ी है, और मुनाफा भी। सरकारी उपक्रमों के नियंत्रण के लिये एक अलग संसदीय समिति बनाई जानी चाहिये।

देश की सब से बड़ी आवश्यकता जल-विद्युत् के संसाधनों को विकसित करने की है। जल-विद्युत् को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

श्री बागडी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण की आलोचना करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विशाल भारत जिसके कि अन्दर करोड़हा खानाबदोश जिनका कि घर बार, जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है बल्कि यहां तक कि इस भारत के अन्दर उनको कदम रखने का भी हक नहीं है, रात वह कहां बसर करें अगर सड़कों पर रात बसर करें तो १०९ और ११० के कानून उनका चालान करने के लिए तैयार रहते हैं, उस भारत के अन्दर कौमी यकजहती का सवाल उठाना कुछ समझ में नहीं आता है। कौमियत का नारा यानी कोम से प्यार, मुल्क से प्यार उसका हो जिसका कि मुल्क के अन्दर थोड़ा बहुत हिस्सा हो।

आज आजाद भारत की दुहाई दी जाती है। हमारे एक भाई ने कहा कि यह कांग्रेस का ही सोशलिज्म है जो कि रानी साहब के यहां पर दर्शन हो रहे हैं लेकिन मैं उन अपने मित्र को कहना चाहूंगा कि रानी साहब के राज दरबार में दर्शन करने का ही नाम सोशलिज्म नहीं है। गांधी जी के आदर्शों के अनुसार इस देश के करोड़ों इन्सान जो कि फुटपाथों पर रात काटते हैं और जिनके पास तन ढकने को कपड़ा नहीं है और पेट भरने के लिये रोटी मयस्सर नहीं है जब उनकी दशा आप सुधारेंगे और वे भी अन्य लोगों की तरह सन्तुष्ट जीवन व्यतीत करने लगेंगे तभी सही मायनों में यह कहा जा सकता है कि देश में सोशलिज्म कायम हुई है। अब रोटी और कपड़ा तो बाद की चीज है उनके लिये सिर छिपाने का भी इन्तजाम अभी तक आपने नहीं किया है। इस देश के अन्दर चीनी लोग हमारी सरहदें पार करके बने रह सकते हैं और उनको अपनी सीमाओं से बाहर निकालने की हममें शक्ति नहीं है। दूसरी ओर लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके लिये कि रात बसर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिये कोई निश्चित जगह ही नहीं है और ऐसी हालत के अन्दर समाजवाद की बात यदि कही जाती है तो इस देश की गरीब जनता के साथ, गांधीवाद और समाजवाद के साथ इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता।

आज हमारे देश के अन्दर बावरिया, सांसी, कूचिया, ढेहामेना, नायक और बेला आदि जातियों के लोग बसते हैं। अभी कल की बात है कि एक अंग्रेज औरत ने एक संपेरे का फोटो लिया। वह संपेरा सांप के आगे बीन बजा रहा था। उसको दो रुपया बखशीश दिया। फिर उससे पूछा गया कि वह कहां रहता है तो संपेरे ने कहा कि बाबा हमारी कोई जगह नहीं है। अब हिन्दुस्तान का रहने वाला आदमी अपनी जगह न बता सके और फिर उसके अन्दर यह कहा जाये कि यकजहती हो, कोमियत हो, कौम से प्यार हो और हिन्दुस्तान से प्यार हो, यह कोई जंचने वाली बात नहीं है।

हमें कहा जाता है कि देश ने पिछले सालों में बहुत तरक्की की है। ठीक है तरक्की की गई है। अशोक होटल बना है, बड़े बड़े महल और आलीशान इमारतें बनी हैं। यह तरक्की हुई है बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित किये गये हैं और इसके लिए कहा जा सकता है कि देश ने तरक्की की है। आज सुबह ही आपने एक प्रश्न में देखा होगा जिसमें बतलाया गया है कि हमने तरक्की की है लेकिन हम जंग की तरक्की नहीं करते हैं। घड़ियों का कारखाना हमने कायम किया

[श्री बागड़ी]

यह तरक्की हमने की है और तरक्की की हालत यह है कि एम० पीज० को ही हम उनकी जरूरत के मुताबिक घड़ियां नहीं दे सके हैं। उसको बीच में ही ठप्प करके बैठ गये। जो तरक्की अंग्रेजों के शासन काल में होती थी जैसे नई दिल्ली बनाई या रेलें बनाई गईं वह तरक्की तो चन्द लोगों की ही तरक्की कहलायेगी। अब इसके लिये आप जरूर कह सकते हैं कि हमने यह तरक्की की कि अंग्रेजी राज्य के अन्दर इतने बड़े ओहदों पर हिन्दुस्तानी नहीं रखे जाते थे और तब कोई हिन्दुस्तानी तनी लम्बी तनख्वाह नहीं पाता था आज हिन्दुस्तानी ऊंचे ओहदों पर मौजूद हैं और मोटी मोटी तनख्वाहें पा रहे हैं। यह तरक्की तो हो गई लेकिन मजमूई तरक्की इस देश का गरीब जनता की तरक्की, इस देश के चपड़ासी, किसान और पटवारी की तरक्की आज लेशमात्र भी नजर नहीं आती है। वैसे राजा महाराजाओं को ताना जरूर देते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही गांधी जी का समाजवाद है जो कि आपने कायम किया हुआ है कि एक इंसान २४ घंटे जिन्दगी को मौत के साथ टकरा कर मेहनत करे, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करे और एक एक दाना चुन चुन कर आठ आने कमाये और उस गरीब और बेकस इंसान पर सरकार और टैक्सों का भार डाले और उनका खून चूस चूस कर राजा महाराजाओं को पेंशन दी जाय? उसका कोई सवाल ही नहीं कि किस तरह से बन्द हो। क्या वह गांधी जी का समाजवाद हो सकता है? कदापि नहीं।

कम से कम और कुछ नहीं तो प्रेसीडेंट के एड्रेस में उन गरीब लोगों का जिक्र तो आना ही चाहिये था। मैं एक बुनियादी विचार रखता हूं कि कम से कम हर एक हिन्दुस्तानी के रहने के लिये जगह की व्यवस्था की जाय। शहरों में विशेष कर लोगों के वास्ते रहने का बन्दोबस्त करना जरूरी है क्योंकि जहां तक ग्रामों का सवाल है वहां के लोगों में अभी तक वह पुराना माद्दा गुरु नानक से लेकर कबीर दास तक यह एक आदर्श रहा है कि बाहर के लोगों को बसाने के लिये उनके अन्दर हमदर्दी रहती है और बाहर से आये हुए आदमियों को घर, मकान, झोंपड़ा भी दे देते हैं लेकिन यह शहर जोकि सभ्यता के केन्द्र कहलाते हैं वहां पर इंसान को रहने का भी हक नहीं है और उसको फुटपाथ पर से भी हटा दिया जाता है वह कहां जाये? वह वाइसरीगल लाज जा कर ठहरे या किसी मिनिस्टर के पास जा कर ठहरे? उस के पास जगह कहां है? अगर वह फुटपाथ पर आता है, तो सिपाही पूछता है कि कहां रहते हो। उस का कोई मकान वगैरह नहीं है और नतीजा यह होता है कि दफा १०९ और दफा ११० में उस का चालान हो जाता है। इस के बावजूद यह कहा जाता है यह गांधी का देश है और आजादी के बाद बहुत कुछ तरक्की की गई है। हां, तरक्की की है मिनिस्टरों की पलटन बनाने में। अगर पहले पांच मिनिस्टर थे, तो अब तीस, पैंतीस, पचास मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर बनाने के बहुत कल-कारखाने चल रहे हैं लेकिन गरीब लोगों की तरक्की का कोई काम नहीं हो रहा है और न ही किसी का उस तरफ ध्यान है।

अब मैं चुनावों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस देश की सब से बड़ी देन है जनतंत्र। हमारे कांग्रेसी भाई मिसाल देते हैं पाकिस्तान की और दूसरे देशों की। वे ऐसी मिसाल न दें। अगर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आई है, तो वह गुनाह हुआ है। उस गुनाह को इस देश में नहीं होने देना है। न तो आपोजीशन का कोई आदमी और न कोई दूसरा ही उस को चाहता है अगर वहां पर डिक्टेटरशिप हुई है, तो वहां के रूलिंग लोगों के साथ भी कोई अच्छा बर्ताव नहीं हुआ है। यहां की जनता गांधी और नानक की जनता है, सदियों से त्याग और तपस्या करने वाली जनता है। यहां पर डिक्टेटरशिप को बर्दाशत नहीं किया जा सकता है यह कांग्रेस की देन नहीं है—यह गांधी की विद्या की देन है। इसी लिये यहां पर डिक्टेटरशिप नहीं आई, वर्ना कांग्रेस वालों का क्या है?—उन्होंने तो यहां पर जनतंत्र के लिये कुछ नहीं किया है।

मैं अदब से कहना चाहता हूं कि वे गांधी का नाम लेते हैं, लेकिन उन का आदर्श देखिए कि किस तरीके से चुनावों में मिनिस्टर लोग हवाई जहाज के जरिये सफर करते हैं और अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। खुद हमारे होम मिनिस्टर साहब हवाई जहाज के जरिये मेरी कांस्टीटुएन्सी में गए थे अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिये। यह कैसा जनतंत्र है ?

इस के अलावा आज जिन को सब से बड़ा नेता कहा जाता है, जो कल यहां पर अपना बयान देंगे—पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं अर्ज करूंगा कि वह खुद ही अपनी छाती पर हाथ रखकर बता दें कि उनकी कांस्टीटुएन्सी में कितना पैसा खर्च हुआ है, जहां से आदर्श और जम्हूरियत को जन्म मिलता है और लोग जहां की मिसाल देते हैं। पच्चीस हजार ? लोगों का अन्दाजा है कि कम से कम सात लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर के हल्के में खर्च हुआ है। यह किस तरह की जम्हूरियत है। यह जम्हूरियत तो इस देश के गरीबों और दूसरे महानुभावों के त्याग का फल है।

मैं अर्ज करूंगा कि इस देश में कम से कम यह एक सिद्धान्त बन जाये कि हर एक खानाबदोश को रहने का हक मिले।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति! मुझे बहुत अफसोस है कि अगर कोई सदस्य मुझ से सवाल करता है, तो जवाब और सदस्य देने लग जाते हैं। सवाल तो मुझ से किया गया और इसलिये जवाब मैं ने देना था। क्या सभी समझते हैं कि मैं नाकाबिल हूं और मैं जवाब न दे सकूंगा, इस लिये उन को जवाब देना चाहिये ?

श्री बागड़ी अपना भाषण जारी रखें।

श्री बागड़ी : मैं अर्ज कर रहा था कि गांधी के इस देश में एक बात तो होनी चाहिये कि हर हिन्दुस्तानी कम से कम रहने के लिये जगह हासिल कर सके। आखिर इन पंद्रह सालों में कोई तो कानून बनाया जाता और सरकार कुछ तो करती कि इन्सानों को बसाने के लिये, सिर छिपाने के लिये जगह दी जाये।

इस के बाद मैं भावों के बारे में एक बुनियादी बात कहना चाहता हूं। तेल की एक बोतल पर तीन पैसे लागत आती है और उस की कीमत पांच आने है। मैं ने यह एक छोटी सी मिसाल दी है। इस दिल्ली जैसे शहर में बहुत से लोग सत्तर, अस्सी या सौ रुपया तन्ख्वाह पाते हैं रात-दिन हम को उन लोगों से वास्ता पड़ता है। मिसाल के तौर पर लिफ्ट वाले हैं, जो हम को हमेशा ऊपर या नीचे ले जाते हैं। हम उन से बात करते हैं। जिन को सत्तर या अस्सी रुपये तन्ख्वाह मिलती है, इस महंगाई में उन का कैसे गुजर हो, कभी इस बात पर भी सोच-विचार होना चाहिये। तेल की एक बोतल पर तीन पैसे खर्च हो और उस की कीमत पांच आने हो और फिर भी इस बारे में कुछ न किया जाये, बल्कि यह कहा जाये कि हम समाजवाद की तरफ जा रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि यह भाव नहीं है, यह तो गरीब लोगों की कमाई पर डाका है और उस को न रोकना उस वक्त की सरकार का डाके में शामिल होने के मुतरादिफ है।

जिस बात का जिक्र मैं अब करने जा रहा हूं, आज तक दुनिया में ऐसी बात नहीं हुई है। एक बड़ी और महान कौम के जो नेता हुए हैं, वे जहां पर जन्मे हैं और जहां पर मरे हैं, वह जगह कौम की चीज होनी चाहिये। जब कुछ हासिल करना हो, तो गांधी जी का नाम अदब से लिया जाता है, लेकिन दिल्ली में जिस बिड़ला हाउस में वह शहीद हुए, आज तक उस को एक कौमी इदारा नहीं

[श्री बागड़ी]

बनाया गया है। उन्होंने अपने लाज और कोठियां बना ली हैं और अगर कोई उद्घाटन करवाना हो, तो चाहे उन को श्मशान में ले जाइये, लेकिन वह बिड़ला हाउस को कौमी इदारा बनाने के लिये तैयार नहीं हुए हैं।

मैं चाहूंगा कि सारा सदन इस बात पर विचार करे कि जो बेचारा किसान मेहनत करता है, आज उसको अपने अनाज की कीमत पूरी नहीं मिलती है। मैं खास तौर पर पंजाब के किसानों की बात कहूंगा कि उन बेचारों को अनाज सस्ते भाव पर बेचना पड़ता है, क्योंकि जिस वक्त अनाज निकलता है, उस वक्त भाव एक दम गिर जाता है और जब वह मंडी में आ जाता है, तो भाव चढ़ जाता है। इस के पीछे एक इतिहास भी है। वह माल—चने वगैरह—अहमदाबाद और बम्बई की तरफ जाता है और लोड बन्द हो जाता है। सिर्फ व्यापारी लोगों को मिलता है और वे पांच सौ, हजार रुपया रिश्वत दे कर स्टेशन वालों और बाबू लोगों से वैगन ले लेते हैं, लेकिन किसान लोगों को वे नहीं मिलते हैं। यह वह समाजवाद है, जिस में कमाई वाला बेचारा अपनी कमाई को लुटवाता रहता है और यहां पर समाजवाद के पखेरू पंछी उसको उड़ उड़ कर देखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कमला चौधरी. . . .श्री सिद्धेश्वर प्रसाद।

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** (नालंदा) : अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का आम चुनावों के बाद तीसरे संसद् के प्रथम अधिवेशन में यह अन्तिम भाषण था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेन्द्र बाबू ने इस देश के सामने जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह निश्चय ही स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। माहत्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे देश में आजादी को हासिल करने का जो आन्दोलन चला, उस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भुजा-दंड का काम किया और मौलाना आजाद उस आन्दोलन के मस्तिष्क थे, लेकिन उस आन्दोलन के हृदय वस्तुतः राजेन्द्र बाबू ही थे। राजेन्द्र बाबू की मेधा-शक्ति, उन की विद्वत्ता, उन की विनम्रता और उन की निरभिमानता की कहानियां सारे देश में प्रचलित हैं। राष्ट्रपति भवन में रह कर उन्होंने एक प्रकार से राजर्षि का जीवन व्यतीत किया। इस देश के लिये यह और भी गौरव की बात है कि जिस राष्ट्रपति भवन में राजेन्द्र बाबू ने राजर्षि की तरह जीवन व्यतीत किया, उसी राष्ट्रपति भवन में हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति, डा० राधाकृष्णन्, कुछ ही दिनों के बाद राष्ट्रपति के रूप में महर्षि के जैसा जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं। यह निश्चय ही उस देश के लिये सौभाग्य की बात है, जिस में ऊंचे आदर्श की परम्परा रही है।

इन सारी बातों की तरफ संकेत करते हुए मैं इस बात को नहीं भूलता हूं कि दुनिया की वर्तमान परिस्थिति क्या है और हमारे देश की क्या हालत है, जिस के सम्बन्ध में अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने हम सब का ध्यान आकृष्ट किया। मेरा खयाल है कि जब हमारा देश गुलाम था, उस समय आजादी की लड़ाई के सिलसिले में इस देश के नेताओं ने जो गरम गरम भाषण दिये और उस देश की जो तस्वीरें खींची थी, वह निश्चय ही, इस देश की जो वर्तमान तस्वीर अभी एक माननीय सदस्य ने खींची है, उस से बहुत ज्यादा दर्दनाक तस्वीरें थीं।

हम लोग बहुत दिनों तक गुलाम रहे और यहां की जो औपनिवेशिक अर्थ-व्यवस्था थी, जो सामन्तवाद था, उन से मुक्त होने के बाद हम ऐसी आशा नहीं कर सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा प्रजातांत्रिक समाजवाद के अपने आदर्श को हम तुरन्त प्राप्त कर लेंगे। यह कोई आसान बात नहीं है। कालोनियल इकानोमी और फ्यूडलिज्म के बाद हम तुरन्त समाजवाद में चले जायेंगे,

†मूल अंग्रेजी में

या प्रजातंत्र के अपने आदर्श को पा लेंगे, ऐसी बात नहीं है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वह डेवेलपिंग इकानोमी की स्थिति है। धीरे धीरे जब हमारा विकास होगा, जिस ढंग से हम चल रहे हैं, अगर हम ने सूझ-बूझ का परिचय दिया, अगर एकता हम में कायम रही और हममें जो थोड़ा दोष है भ्रष्टाचार का या ईमानदारी की कमी का या एफिशेंसी की कमी का, इसको धीरे धीरे दूर करने में हम सफल हो गए तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा देश आगे बढ़ सकेगा और तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन का प्रभाव तीसरे चुनाव में थोड़ा बढ़ गया है। जो ऐसे लोग हैं उनमें से कुछ लोग रुस से प्रेरणा पाते हैं और चाहते हैं कि इस देश का रूस या चीन की तरह से बहुत तेजी से विकास हो। यह ठीक है कि जो तानाशाही व्यवस्था होती है, उसमें विकास बहुत तेजी से हो सकता है लेकिन किसी भी प्रकार की तानाशाही की व्यवस्था बगैर ब्रेक के गाड़ी की व्यवस्था के समान होती है। बहुत तेजी से आप चल तो सकते हैं लेकिन गिरने का खतरा रहता है और वह ऐसा खतरा है जो एक बार अगर आ जाता है तो फिर देश को बचाने का कोई रास्ता शेष नहीं रह जाता है।

दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जोकि अमरीका से प्रेरणा ग्रहण करते हैं और फोरम आफ फ्री एंटरप्राइज़ में विश्वास करते हैं। वे हर बात में स्वतंत्रता की बात करते हैं। अभी अमरीका में जो कुछ हुआ, या स्टील के दाम जो बढ़ाये गये और उसके बाद कैनेडी साहब ने जिस प्रकार का कदम उठाया, ये लोग कहते हैं कि उससे भी प्रेरणा ली जानी चाहिये। राष्ट्रपति कैनेडी के इस समायोचित हस्तक्षेप से यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्र के संतुलित विकास के लिये वाणिज्य व्यवसाय पर भी नियंत्रण आवश्यक है। इसीलिये हम लोग ऐसा चाहते हैं कि एक हद तक इस देश के नागरिक राष्ट्र निर्माण के कामों में हाथ भी बढ़ायें, स्वाधीनता का भी उपभोग करें, स्वतंत्रता का भी उपभोग करें, अपने प्रजातंत्रीय अधिकारों का प्रयोग भी करें और साथ ही साथ हमारे देश में नियोजित अर्थ-व्यवस्था भी हो। हम प्लांड इकोनोमी में विश्वास करते हैं। इसी रास्ते पर चल कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

लेकिन इसके साथ ही साथ प्रजातंत्र में नागरिक को शिक्षित करके साथ में चलाने का जो काम है, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। इन दोनों कार्यों को हमें एक साथ करना होगा। निश्चय ही यह आसान काम नहीं है। यह विशाल कार्य है। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा प्रयोग नहीं किया गया है। प्रजातंत्र के रास्ते पर चलने वाले जो दुनिया के दूसरे देश हैं, वे छोटे छोटे देश हैं और वे बहुत पहले से इस रास्ते पर चलते आ रहे हैं और इस काम को करते आ रहे हैं। हमारा देश बहुत बड़ा देश है। यहां की अर्थ व्यवस्था भिन्न प्रकार की है। यहां पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग बसते हैं और अनेक प्रकार के वस्त्र भी हैं। ऐसी स्थिति में हमारी कठिनाई स्वाभाविक है। सब से बड़ी बात यह है कि जो आदर्श हम ने अपने सामने रखा है, अगर तृतीय महायुद्ध नहीं हुआ, एटोमिक वार के कारण मानव समाज नष्ट नहीं हुआ और अगर दुनिया में शान्ति बनी रही तथा हमारी एकता कायम रही तो जो रास्ता हम ने अखत्यार किया है, उस रास्ते पर चल कर और उस पर दृढ़तापूर्वक कायम रह कर, उस तक हम जरूर पहुंच जायेंगे। हमारे सामने प्रजातांत्रिक समाजवाद का जो आदर्श है, उसको कायम करने के लिए हम अगर दृढ़ रहें और जिस दिशा में हम धीरे धीरे जा रहे हैं, उस दिशा में चलते गये तो उस तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं होगा। कठिनाइयां तो कोई भी काम आप करें, आती ही हैं। हमें धैर्य और साहस से काम लेते हुए उन कठिनाइयों का सामना करना होगा।

यह जरूर है कि इस स्थिति को हासिल करने के लिए जो कदम उठाये गये हैं, जो रास्ता अपनाया गया है, और जिस की ओर राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में संक्षिप्त सा संकेत किया है, उससे

[सिद्धेश्वर प्रसाद]

सभी लोग सन्तुष्ट नहीं हैं । कुछ कमियां रह गई हैं और कुछ गलतियां भी हो गई हैं । यह सब ठीक है । लेकिन जिस रास्ते पर चलना चाहिए उस रास्ते के सम्बन्ध में भी हम सभी सहमत दिखाई नहीं देते हैं और यह बात खास तौर पर शिक्षा के मामले में लागू होती है । शिक्षा की स्थिति हमारे देश में ऐसी है कि उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि हम बहुत समझ बूझ कर कदम उठा रहे हैं । एक तरफ हम बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम बड़े बड़े खर्चीले पब्लिक स्कूल्ज़ खोलते जा रहे हैं । बुनियादी शिक्षा के जो प्रवर्तक हैं, विनोबा जी या डा० ज़ाकिर हुसैन जैसे आदमी, वे भी जिस तरह से हमारे देश में बुनियादी शिक्षा प्रचलित है, उससे सन्तुष्ट नहीं हैं । देश को बनाने में शिक्षा का बहुत बड़ा दायित्व होता है । इस दायित्व का निर्वाह शिक्षा के माध्यम से नहीं हो रहा है । शिक्षा और आचरण में हमारे देश में कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है । जो जांच हुई है, उससे पता चलता है कि एक तरफ तो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश में ऐसे लोग भी काफी बड़ी संख्या में हैं जो उच्च डिग्रियां प्राप्त किये हुए हैं, एम० ए० हैं, पी० एच० डी० हैं, रिसर्च स्कालर्ज़ हैं, लेकिन ऐसे काम करते हैं जिन को हम एंटी सोशल कह सकते हैं । ऐसी स्थिति में अगर हम अपने देश के नागरिकों को ठीक ढंग से शिक्षित नहीं करते हैं तो हमारे देश में प्रजातंत्र हर्गिज़ सफल नहीं हो सकता है ।

दूसरी बात यह है कि इस देश में हम ने जो आदर्श अपने सामने रखा है उस आदर्श को हमें गांव गांव तक, हर आदमी तक, साधारण जनता तक, पहुंचाना चाहिये । जब तक हम इस काम को नहीं करते हैं, जो आदर्श हमने अपने सामने रखा है उसके अनुरूप लोगों को शिक्षित करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तब तक हम यह उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र की जड़ें बहुत गहरी चली जायेंगी । वे बहुत गहरी नहीं जा सकती हैं । यदि ऐसा नहीं हुआ तो उस दशा में हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में निश्चित रूप से प्रजातंत्र सफल हो सकेगा ।

अभी तीसरा आम चुनाव हुआ है । उस मौके पर जैसा हम सभी लोगों ने अनुभव किया है हर तरफ से कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, लोगों ने कुछ ऐसे काम किये हैं जो काबिले एतराज़ थे और जिन को उन्हें नहीं करना चाहिये था । भाषा के सवाल को खड़ा किया गया, जातीयता के सवाल को खड़ा किया गया, धर्म के सवाल को खड़ा किया गया । ये ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं की जानी चाहिये थीं । पार्टियों की जो पालिसियां हैं, उनके जो प्रोग्राम हैं, उनके आधार पर ही बड़े पैमाने पर जो चुनाव हुआ है, वह लड़ा जाना चाहिये था । जिस रूप में चुनाव लड़ा जाना चाहिये था नहीं लड़ा गया । इसका मतलब यह हुआ कि प्रजातंत्र की जो पद्धति अपनाई गई है, उसकी जड़ें उतनी गहरी नहीं गई हैं जितनी गहरी जानी चाहिये थीं और बहुत सी परम्परायें अभी पड़ने को बाकी हैं । इस चीज़ को ठीक से समझने की आवश्यकता है । दूसरी बात यह भी है कि हम जो पार्टी के आदमी हैं, कांग्रेस के या कम्युनिस्ट पार्टी के या और किसी पार्टी के, वे चुनाव जीतने के लिए इस मौके पर बिल्कुल आसान तरीकों की तरफ बहुत आसानी से झुक जाते हैं । लेकिन यदि हम चाहते हैं कि ऐसी बातें न हों और हर आदमी यह पसन्द करता है कि देश में सचमुच प्रजातंत्र कायम रहे, समाजवाद की स्थापना हो, और प्रजातंत्रीय ढंग से सब काम हों, तो हम सब का यह कर्तव्य हो जाता है कि इस देश के नागरिकों को हम सामूहिक रूप में पार्टी लाइन पर लायें, पार्टी लाइन पर काम करें, अपने जो प्रोग्राम हैं, जो पालिसियां हैं, उनको ध्यान में रख कर काम करें और जनसाधारण को भी उसी आदर्श के मुताबिक शिक्षित करने की कोशिश करें । यदि ऐसा किया गया तो हम निश्चय ही उस आदर्श को प्राप्त करने में सफलीभूत हो सकते हैं जिस आदर्श को हम ने अपने सामने रखा है ।

इसके लिए यह भी जरूरी है कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है, उसमें एफिशेंसी आये, जहां तक हो सके, उसमें ईमानदारी भी आये । जब तक हम भ्रष्टाचार को दूर करने में बहुत दूर तक सफल नहीं होते हैं और शासन व्यवस्था में जो कमज़ोरियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने में सफल नहीं होते हैं तब तक यह निश्चित है कि हम अपने देश में जिस ढंग का समाजवाद कायम करना चाहते हैं, उस ढंग का समाजवाद हम कायम नहीं कर सकते हैं ।

आजकल अकसर लोग ऐसा कहते हैं कि गांधीजी समाजवाद के खिलाफ थे । लेकिन मुझे याद है गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर सत्य और अहिंसा समाजवाद में इनकारनेटिड हों, अवतरित हों तो वैसे समाजवाद का वह स्वागत करेंगे। समाजवाद आये लेकिन उसका रास्ता उसका ढंग, उसका मार्ग ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ें उस में आ जायें। साध्य और साधन पर वह बहुत जोर दिया करते थे । समाज व्यवस्था का मूल काम यह है कि उसमें सच्चाई के लिए, अहिंसा के लिए स्थान हो और वह इस व्यवस्था को कायम करने में मदद दे । हम चाहेंगे ऐसे समाजवाद की स्थापना के लिए हमारे देश में मौका हो ।

मैं फिर एक बार श्रद्धेय राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं और जो समय आपने मुझे बोलने का दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): अध्यक्ष महोदय, कई रोज़ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो बहस हो रही है, उसको मैं सुन रहा हूं । जहां तक हमारे राष्ट्रपति जी के व्यक्तित्व का सम्बन्ध है, उसके बारे में कोई दो रायें नहीं हैं कि उनका व्यक्तित्व महान है । उन्होंने देश की बहुत सेवा की है ।

लेकिन आज जिस एड्रेस पर हम बहस कर रहे हैं उसको पढ़ने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हमारी जो आशायें थीं, वे पूरी हो गई हैं। भारत की ४४ करोड़ जनता को रोटी मिल सके, कपड़ा मिल सके, राहत मिल सके, रहने के लिए मकान मिल सके, इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई है । ऐसी स्थिति में यह जो आपका समाजवाद है यह कब तक चलेगा । आपके इस समाजवाद में आज भी किसान को और मजदूर को डेढ़ रुपया रोज देकर खरीदा जाता है लेकिन दूसरी तरफ वह मिल मालिक है जो भी देश में दो लाख रुपया रोजाना बैंक में जमा करता है । इस तरह का समाजवाद कब तक चलेगा जिस में यू० पी० के पुलिस के चौकीदार को आज भी पांच रुपया माहवार मिलता है और पुलिस के सिपाही को ५६ रुपया माहवार ही मिलता है लेकिन जो कप्तान पुलिस है, उसके घोड़े का भत्ता ८५ रुपया माहवार है । इस समाजवाद में इंसान से तो हैवान की तनख्वाह ही ज्यादा है । वह इंसान जिसे आप नेशन बिल्डर कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, टीचर कहते हैं, जिसे मद्दरिस कहते हैं उसकी तनख्वाह आज भी ६२ रुपया माहवार है । जिसको मेमार कहा जाता है उसकी तनख्वाह सिर्फ ६२ रुपया माहवार है जबकि मिलिट्री में खच्चर के ऊपर ९० रुपया खर्च कर दिया जाता है । कौम के मेमार से ज्यादा खच्चर की तनख्वाह है । इस तरह का समाजवाद कब तक चलेगा और कब तक आप लोगों की आंखों में धूल झोंकते फिरेंगे । यह वह समाजवाद है जिस में २५ बीधा जमीन रखने वाले किसान को जालिम जमींदार कह कर मिटा दिया गया है । और इसी समाजवादी नीति के मातहत टाटा साहब को छूट दी गई कि वह ३ लाख रु० रोजाना बैंक में जमा करें । मैं आप के द्वारा अपने गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह समाजवाद कब तक हमारी आंखों में धूल झोंकेगा ? इस की कोई व्याख्या होनी चाहिये, इस की पब्लिक के सामने ऐसी डेफिनिशन होनी चाहिये कि वह समझ सके कि इस समाजवाद का मतलब है कि हमारी ४४ करोड़ जनता सुखी हो सकेगी । कोई तो इस की व्याख्या होनी चाहिये । मैं आप के द्वारा अपने गृह मंत्री जी से अर्ज़ करूंगा कि वे इस समाजवाद की कोई स्पष्ट रूपरेखा हमारे सामने रखें जिस में शोषण खतम हो जाये, अत्याचार खत्म हो जायं, एक्स्प्लायटेशन खत्म हो जाये ।

दूसरी बात राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मैंने यह देखी कि हमारा इतना बड़ा देश है, ४४ करोड़ जनता की रक्षा की जिम्मेवारी इस सरकार के ऊपर है, लेकिन एक शब्द भी डिफेन्स के मुताल्लिक उसमें नहीं कहा गया। हमारे लगभग १४ हजार मुरब्बा मील इलाके पर चीन का झण्डा लहराता है, लेकिन उस को बचाने के लिय एक शब्द भी सारे अभिभाषण में नहीं कहा गया। यह एक बहुत बड़ी जरूरत है और इसका जवाब मिलना चाहिं। जनता पूछना चाहती है कि क्यों यह पर्दा रक्खा जाता है। हमारे सदन के अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार हासिल है कि वे यहां सीक्रेट सेशन करायें, यहां की गैलरीज को बन्द कर दें, यहां के आफिसर्स को न आने दें, लेकिन पार्लियामेंट के सामने, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके सामने यह जरूर बतलाया जाना चाहिये कि हम इस डिफेन्स के लिये क्या कर रहे हैं और अपने देश की रक्षा के लिये क्या कदम उठा रहे हैं। हम सब लोग अन्धेरे में हैं। हम यहां पर इस लिये नहीं इकट्ठे हैं कि यह कोई डिबेटिंग क्लब है। यह यहां पर इस लिये नहीं आये हैं कि सिर्फ डिबेट यहां करें। हम एक एक इंच भूमि का अपनी जान पर खेल कर पता लगायेंगे, लद्दाख की चोटियों पर जाकर पता लगायेंगे कि हमारा दुश्मन कहां तक बढ़ा हुआ है। यह कोई टेलिफोन नम्बर नहीं है कि हमारे गृह मन्त्री जी ने "हलो" किया और पता चल गया। इसके लिये सारे देश के रहन सहन को बदलना पड़ेगा, सारे देश के आचार विचार को बदलना पड़ेगा। सोने जागने के घंटे बदलने होंगे। खाली पार्लियामेंट में डिबेट करने से यह मसला हल नहीं होगा।

यह गलती थी कि सरकार ने पंचशील का नाम लेकर राष्ट्र की सैनिक तैयारी को पीछे केला था। उसको हम अब भुगत रहे हैं। अगर आज हम पंचशील के बजाय पांच "ककारों" को मानते, अगर पंचशील के बजाय हम सैनिक शिक्षा को मानते, तो हम दूसरे मुल्कों को इस तरह से अपनी भूमि न दे बैठते। इसके लिय ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मुझ याद है कि दुनिया के एक बहुत बड़े आदमी बिस्मार्क ने कहा था संसद् में भाषण देने से नहीं, हथियारों के जोर पर ही बड़े बड़े प्रश्नों का निबटारा होता है। सारे देश का सैनिकीकरण करना होगा। अगर मिलिटराइजेशन नहीं होगा तो जो बचा हुआ इलाका है वह भी चला जायेगा। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब मैं सुनता हूं कि बातों से बोर्डर के मसले हल क ो। क्या इतना बड़ा मसला बातों से हल हो सकता है? नहीं हो सकता। इतने बड़े मसले के लिये आपको सारे देश के अन्दर सैनिक शिक्षा अनिवार्य करनी होगी। जितना रुपया आप अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं, नाच गाने पर खर्च करते हैं, उस अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग को छोड़ करके आपको चाहि कि जो सब से ऊंचे हथियार हैं उनके लिये कोशिश करें आपको राइफलों की ट्रेनिंग देनी होगी। जब हर एक नौजवान सीना निकाल कर चलेगा तो उसके अन्दर यह भावना होगी कि उसे अपने देश की रक्षा करनी है। मैं आपके द्वारा अपने गृह मन्त्री जी से मोदबाना अर्ज करना चाहता हूं कि देश की रक्षा का तकाजा यह है कि वह भी मिलिटरी ड्रेस पहन कर आयें, यह देख कर आयें कि कितना हमारा इलाका घिरा हुआ है। लद्दाख की चोटियों के ऊपर इतनी सख्त हवायें चलती हैं कि यह टोपियां वहां उड़ जायेंगी, वहां यह धोतियां उलझ जायेंगी, वहां ये आराम तलब जिस्म आगे बढ़ने से इंकार कर देंगे। आपको अपने रहन सहन को बदलना होगा और सारे देश के अन्दर एसी भावना पैदा करनी होगी कि हम इस देश की रक्षा करेंगे। याद रखिये कि सिर्फ यह कह देने से कि कम्युनिस्ट चीन से मिले हुए हैं, आपका काम नहीं चलेगा। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि १४ हजार मुरब्बे मील के करीब जो जमीन दुश्मनों को दी हुई है वह कम्युनिस्टों की दी हुई नहीं हैं, वह डांग की दी हुई नहीं है, वह गोपालन की दी हुई नहीं है, जेड० ए० अहमद की दी हुई नहीं है। यह हमारी सरकार की दी हुई है और आज आप इसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। कम्युनिस्टों के अन्दर भी ऐसे देशभक्त हैं जो अपनी मातृभूमि की एक एक इंच भूमि के लिये अपनी जान दे सकते हैं। लेकिन गलती आपने की है और थोपना आप चाहते हैं इसको कम्युनिस्टों के सिर पर। यह नहीं हो सकता।

हमें आपकी पालिसी याद है। एक पागल नौजवान ने खड़े होकर, अपने दिमागी तवाजुन को खोकर के महात्मा गांधी की हत्या की थी, उस देव पुरुष की हत्या की थी, उस टार्च बिअरर की हत्या की थी, उस वर्ल्ड टीचर की हत्या की थी, उस देवर्षि की हत्या की थी जिसने हमें यह आजादी दिलाई है? लेकिन आपने उस हत्या के बहाने अपने तमाम मुखालिफों को जेल में डाल दिया। सावरकर जी जैसा आदमी, जिसकी काबिलियत और शख्सियत में किसी को शक नहीं है, उसको आपने जेल में डाल दिया, यह कह कर कि उसने गांधी जी की हत्या के लिये एटमास्फिअर तैयार किया है। आप फायदा उठाना चाहते हैं, इस तरह से। यह मत उठाइये। यह देश उतना ही हमें भी प्यारा है जितना आप को प्यारा है।

उन बेन्चेज की तरफ से यह कहा गया है कि हम लोग, जो अपोजीशन की तरफ से आये हैं, चाहते हैं कि देश की तरक्की रुके। यह भी कहा गया है कि हमारा देश के स्वतन्त्रता संघर्ष के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत फहमी उन बैन्चेज से दूर की जाय। मैं १३ साल की उम्र में फांसी की कोठरी में बन्द रहा हूं। मैं सरदार भगत सिंह के साथ रहा हूं। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमारे गृह मन्त्री जी से छिपी हुई हो। मैं बचपन में गृह मन्त्री जी से पढ़ा हूं। १५ साल की उम्र में मैं काल कोठरी में रहा हूं। मैंने अंग्रजों के खिलाफ हर एक जद्दोजहद में हिस्सा लिया और हर एक कुर्बानी की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रतिरक्षा मन्त्री जो हैं उनका पोलिटिकल कैरियर क्या है? उन्होंने क्या नेशनल सर्विस की है? जब हम लोग जंजीरों से बंध हुए पड़े थे तो वह अंग्रेजों के दामन में पनाह लिया करते थे। उन्होंने एक मिनट की भी जेल नहीं काटी देश के लिये, एक रुपया भी जुर्माना नहीं दिया, एक मिनट के लिये भी अंग्रजों के साथ संघर्ष नहीं किया। जहां तक देश की आजादी का ताल्लुक है, हम इस देश के लिये अपने प्राण दे सकते हैं, हम इस देश के एक एक मन्दिर, एक एक मस्जिद और एक एक गुरुद्वारे के लिये अपने प्राण दे सकते हैं। लेकिन हम थोड़े से उन लोगों के लिये निष्ठावान नहीं हो सकते जिन्होंने देश के टुकड़े किये हैं और भारत की जनता के इग्नोरेंस के ऊपर अपनी हुकूमत कायम की है। मैं बड़े साफ लफ्जों में अर्ज करूंगा कि :

"तुमने फिरदौस के बदले में जहन्नुम लेकर,
कह दिया हम से गुलिस्तां में बहार आई है,
तुमने नामूसे शहीदाने वतन बेच दिया,
बागबां बन के उठे और चमन बेच दिया।"

इस देश की कहानी ऐसी कहानी है जिन सूरमाओं ने अपना खून दिया था, बादशाह खान, सरहद्दी गांधी जिनका नाम लेकर वाणी पवित्र हो जाती है, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन के साथ मैं तीन सालों तक जेल में रहा हूं, जो महात्मा गांधी के कन्धे से कंधा मिला कर देश के लिये लड़े, उन लोगों को हम याद करते हैं और उनके लिये आज श्रद्धांजलियां पेश करते हैं। लेकिन सरकार खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम तक नहीं लेती।

आज जरूरत इस बात की है कि सारे देश की ४४ करोड़ जनता को, सब इन्सानों को एक सूत्र में पिरो कर देश की रक्षा की जाय। देश की रक्षा से बड़ा सवाल कोई और सवाल नहीं है। यह पार्टी का सवाल नहीं है, हमारे प्रधान मन्त्री फरमाते हैं कि जातिवाद को छोड़ दो, मैं उनसे इत्तफाक करता हूं, हमारे प्रधान मन्त्री फरमाते हैं कि प्रान्तवाद को छोड़ दो, मैं उनसे इत्तफाक करता हूं, जब हमारे प्रधान मन्त्री कहते हैं कि भाषावार को छोड़ दो तब भी मैं उनसे इत्तफाक करता हूं, लेकिन यह कहते कहते वह एक चीज को दिल में रख लेते हैं। वे यह कहना भूल जाते हैं कि पार्टीवाद को छोड़ दो। जब तक पार्टीवाद रहेगा तब तक हमारे देश के लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे याद है कि सबसे बड़ी चीज डिमाक्रसी में क्या होती है। एक मनीषी ने कहा है कि :

"दलीय प्रथा लोकतन्त्र की जड़ों पर कुठाराघात करती है।"

जब हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष संजीव रेड्डी यह कह सकते हैं कि गिरे से गिरा कांग्रेसी ऊंचे से ऊंचे अपोजीशन के आदमी से बहतर है तो यह अल्फाज डिमाक्रेसी के अन्दर अच्छे नहीं लगते हैं। डिमाक्रेसी में इन लफ्जों की कोई कीमत नहीं है। आज हाउस के सामने मेरी अर्ज यह है कि हम इकट्ठा होकर ४४ करोड़ जनता की भाषा में सोचें, ४४ करोड़ इन्सान एक जगह पर इकट्ठा होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये एक स्कीम बनायें। आज सरकार की इंटेग्रिटी का तकाजा यह है कि तमाम पार्टीज के लोग बुलाये जायें, उनके नुमाइन्दे बुलाये जायें, कम्युनिस्ट बुलाय जायें, जनसंघी बुलाये जायें, हिन्दू महासभाई बुलाये जायें, स्वतन्त्र पार्टी के लोग बुलाये जायें सब लोग बुलाये जायें सोशलिस्ट और पी० एस० पी० के लोग बुलाये जायें और उनके बीच में बैठ कर कहा जाय कि यह ४४ करोड़ लोगों की मां है, किसी एक पार्टी के लोगों की मां नहीं है, सब को इस पर बराबर का हक है, सब इसके बराबर के बेटे हैं, सब ने इस मातृभमि का नमक खाया है। आज इस बात की जरूरत है कि सब लोग मिल कर इस देश की रक्षा के लिये कोई स्कीम बनायें। यह काम हम लोगों के करने का है। जब हम अंग्रेजों के जमाने में फांसी की कोठरियों में गये थे तो कोई वजह नहीं है कि आजादी के दिनों में सीना खोल कर हम दुश्मनों का मुकाबला न करें। आज जैसा एक हमारे सदस्य ने कहा, जो कि पहाड़ी इलाके से आते हैं, कि अब तक हमने वह सड़क नहीं बनाई जिस पर खड़े होकर हम देश की रक्षा करेंगे। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, जब मैं देखता हूं कि एक एक एलेक्शन पर हम दस दस लाख रु० खर्च करते हैं ? लेकिन मातृ भूमि की रक्षा के लिये एक पैसा भी नहीं खर्च करते हैं। मैं पूछना चाहता हुं सरकार से कि हमारे यहां सिर्फ १५,००० के करीब होस्टाइल हैं, उन १५,००० नागाओं के लिये वहां पर ४५,००० की फौज क्यों डाल रक्खी गई है ? क्या तीन सिपाही एक एक बागी को कण्ट्रोल करेंगे ? हमारे एक एक सिपाही के अन्दर इतना आत्म विश्वास होना चाहिये कि एक सिपाही कई सौ बागियों को कण्ट्रोल कर सके। इसके लिये हमको हिन्दुस्तान को मिलिटराइज करना होगा, हिन्दुस्तान का सैनिकीकरण करना होगा और हिन्दुस्तान के अन्दर ४४ करोड़ इन्सानों के अन्दर वह लज्जा पैदा करना होगा कि देश की रक्षा उन को करनी है। इसमें पार्टी फीलिंग को छोड़ कर हम अपने आदर्श को आगे बढ़ायें और देश की रक्षा करें।

इस वास्ते मैं मजबूर हूं, हमारे राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सकता हूं। हां, अगर वह सच्चे समाजवाद को लेकर और सच्ची रक्षा को को लेकर आगे आये तो मैं उनका अवश्य ही धन्यवाद करूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब चर्चा समाप्त होती है। प्रधान मंत्री कल उत्तर देंगे।

कार्य मंत्रणा समिति

पहला प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात्, लोक-सभा गुरूवार, २ मई, १९६२ / १२ वैशाख, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, १ मई, १९६२

११ वैशाख, १८८४ (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	७९७
एक सदस्य ने अंग्रेजी में शपथ ली।	

प्रश्नों के मौखिक उत्तर		७९९—८२२
तारांकित प्रश्न संख्या		
२९९	हाथ की घड़ियां	७९७—९९
३०१	जनता कार	७९९—८०१
३०२	केन्द्रीय भेषज अनुसन्धान संस्था, लखनऊ	८०१—०२
३०४	अवाड़ी में भारी गाड़ियों का कारखाना	८०२—०४
३०५	मनोरजन कर के लिये नई दिल्ली नगरपालिका का दावा	८०४—०५
३०६	संघ राज्य-क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था सम्बन्धी समिति	८०५—०६
३०८	सरकारी नौकरी का न दिया जाना	८०७—०९
३११	प्रतिरक्षा इलेक्ट्रानिक्स अनुसन्धान प्रयोगशाला	८०९—१०
३१२	घटिया किस्म के कोयले की ढुलाई	८१०—१२
३१३	बंगलौर हवाई अड्डा	८१२—१३
३१४	लिग्नाइट	८१३—१५
३१५	कलकत्ता में बिड़ला प्लेनेटेरियम	८१५—१७
३१७	दिल्ली में टैगोर रंगमंच	८१७—२०
३१८	आंध्र में उर्वरक कारखाने	८२०—२१
३१९	बिजली पैदा करने के लिये "माइको—हाइडल सेट"	८२१—२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		८२२—
तारांकित प्रश्न संख्या		
३००	मशीनी औजार संयंत्र	८२२
३०३	दिल्ली के स्कूलों के अध्यापक	८२२—२३

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या

३०७	अखिल भारत शिक्षा सेवा	८२३
३०९	इस्पात और कच्चे लोहे के प्रतिधारण मूल्य	८२३–२४
३१०	मध्य क्षेत्रीय परिषद्	८२४
३१९	तीसरी योजना में नये विश्वविद्यालय	८२४–२५
३२०	कोयला-उद्योग में पोलेण्ड का सहयोग	८२५
३२१	जम्मू-श्रीनगर सड़क	८२५–२६
३२२	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पर व्यय	८२६
३२३	कोयला	८२६–२७
३२४	बगहा माईनिंग स्कूल, धनबाद का माईनिंग का डिप्लोमा	८२७
३२५	अंकलेश्वर के गोदाम	८२८
३२६	रांची में ढलाई व गढाई का कारखाना	८२८
३२७	नेवेली लिग्नाइट परियोजना में उत्पादन	८२९
३२८	पलाई सेंट्रल बैंक	८२९–३०
३२९	रूरकेला इस्पात संयंत्र	८३०
३३०	कोयले के लक्ष्यों का पुनरीक्षण	८३०
३३१	"कानपुर–२" विमान	८३१
३३२	गोरखपुर हवाई अड्डा	८३१
३३३	पंजाब में इंजीनियरिंग कालिज	८३१–३२
३३४	निम्न श्रेणी के खनिकों का खनन	८३२
३३५	रूरकेला इस्पात संयंत्र	८३२
३३६	शुद्ध मापक यंत्र बनाने वाला कारखाना	८३३

अतारांकित प्रश्न संख्या

३६३	सिन्दरी उर्वरक कारखाना	८३३
३६४	आंध्र प्रदेश की लोहा तथा इस्पात सम्बन्धी आवश्यकताएं	८३३–३४
३६५	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	८३४–३५
३६६	ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए राज्यों को निधियां	८३५
३६७	यमुना में डूबे हुए व्यक्ति	८३६
३६८	सैनिक प्रशिक्षण स्कूल, आंध्र	८३६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या		
३६९	उच्च माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड	८३६–३७
३७०	नरसीपुर ताल्लुक (मैसूर जिला) में पुरातत्वीय खुदाई	८३७
३७१	मैसूर में विज्ञान मन्दिर	८३७–३८
३७२	जापान से प्रतिरक्षा रडार सामान की खरीद	८३८
३७३	पौंड पावना	८३८–३९
३७४	इस्पात कारखानों में माल डिब्बों का रोका जाना	८३९
३७५	सिंदरी फर्टीलाइजर्स एण्ड केमीकल्स लि० .	८४०
३७६	समुद्रीय बीमा विधि	८४०
३७७	इस्पात सलाहकार समिति	८४०–४१
३७८	अनेक करों के स्थान पर उत्पादन-शुल्क	८४२
३७९	बुनियादी शिक्षा .	८४२
३८०	कांगो में लापता भारतीय सैनिक पदाधिकारी	८४२–४३
३८१	दोषी पदाधिकारियों को दण्ड	८४३
३८२	नैतिक और धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी समिति	८४३
३८३	मध्य प्रदेश में बेलाडीला परियोजना	८४४
३८४	सरकारी कर्मचारी आचरण नियम .	८४४–४५
३८५	हार्नेस एण्ड सेडलरी फैक्टरी कानपुर में जूतों का निर्माण	८४५
३८६	ट्रंकों का उत्पादन	८४५
३८७	एडिनबरा के सैनिक प्रदर्शन में भारत द्वारा भाग लिया जाना	८४६
३८८	भारतीय भाषाओं के लिए समान लिपि	८४६–४७
३८९	निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा	८४७
३९०	केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा	८४७–४८
३९१	दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों से जाने वाले अध्यापकों को भुगतान न करना	८४८
३९२	हिमाचल प्रदेश प्रशासन	८४८
३९३	इन्दौर शासक को मान्यता	८४८
३९४	दिल्ली में शराब की खपत	८४९
३९५	स्कूल मध्याह्न भोजन योजना	८४९–५०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३९६	केरल में स्कूल मध्याह्न भोजन योजना	८५०
३९७	निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	८५०–५१
३९८	मृत्यु दंड	८५१
३९९	चुनाव विधि में सुधार	८५१
४००	राजनीतिक व्यक्तियों को सहायता	८५१–५२
४०१	भाषाई अल्प संख्यकों को संरक्षण	८५२
४०२	मैसूर और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद	८५२
४०३	छावनियों में भंगियों के लिए मकान	८५२–५३
४०४	दिल्ली प्रशासन द्वारा दिये गये अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र	८५३
४०५	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का पद	८५३
४०६	भाषाई अल्प संख्यकों को संरक्षण देने के प्रश्न पर मुख्य मंत्रियों की बैठकें	८५४
४०७	लोहा और इस्पात का उत्पादन	८५४–५५
४०८	स्क्रैप समिति	८५५
४०९	लौह अयस्क का चूरा	८५५–५६
४१०	अमेरिका से वापिस न आने वाले टेक्निशियन	८५६
४११	इनामी बांड योजना	८५७
४१२	दिल्ली विश्वविद्यालय की डाक द्वारा शिक्षा देने की योजना	८५७–५८
४१४	सिंगहरेनी की कोयला खानें	८५८
४१५	कलकत्ता इंजीनियरिंग कालेज	८५८–५९
४१६	५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली में कैंटीन	८५९
४१७	सिंदरी उर्वरक कारखाना	८५९
४१८	निःशुल्क विश्वविद्यालय शिक्षा	८६०
४१९	ब्रिगेडियर उस्मान का स्मारक	८६१
४२०	दिल्ली के स्कूलों में दाखिला	८६१
४२१	आधुनिक भारतीय भाषाएं	८६१–६२
४२२	निजी व्यक्तियों के पास प्राचीन वस्तुएं	८६२
४२४	मनीपुर स्कूलों में आदिमजाति विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाई	८६२
४२५	सेवा-निवृत्त आई० सी० एस० और आई० ए० एस० पदाधिकारी	८६३
४२६	उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्रवृत्तियां	८६३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या

४२७	अफीम	८६३—६४
४२८	गुजरात में मढ़ेरा स्थित सूर्य मन्दिर	८६४
४२९	गुजरात के लिए प्राकृतिक गैस	८६४
४३०	हिन्दी टाइपराइटिंग और शार्टहैंड संस्था, त्रिवेन्द्रम	८६५
४३१	केरल में आदिमजाति खण्ड	८६५
४३२	केरल में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां	८६५—६६
४३३	सेवा-मुक्त कर्मचारी	८६६
४३४	तारापुर में पारे के निक्षेप	८६७
४३५	पंजाब में तेल की खोज	०६७
४३७	अफीम का विक्रय	८६७—६८
४३८	केरल के स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन	८६८
४३९	दिल्ली में साइकिलों का चालान	८६८—६९
४४०	केरल के खनिज संसाधन	८६९
४४१	दरीबो में तांबे की खानें	८६९—८७०
४४२	नूनमती तेल शोधक कारखाना	८७०
४४३	मुद्रा का तस्कर व्यापार	७७०—७१
४४४	बिहार के आदिम जाति के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा	८७१
४४५	सागर जिले के खुरई में पोलीटेकनिक	८७१—७२
४४६	मैसूर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं की पढ़ाई की व्यवस्था	८७२
४४७	मैसूर राज्य में हरिजन विद्यार्थियों के लिए स्कूल	८७२
४४८	केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय की एक महिला कर्मचारी द्वारा आत्म हत्या	८७२
४५०	अंकलेश्वर में कर्मचारी	७७३
४५१	जम्मू तथा काश्मीर से विदेश जाने वाले विद्यार्थी	८७३
	प्रक्रिया के बारे में	७७३—७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ७७४—७८

(१) श्री श्रीनारायण दास ने बिहार में कोयले के अपर्याप्त संभरण के फलस्वरूप बहुत से कारखानों के आंशिक रूप से बन्द हो जाने की ओर खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया ।

विषय पृष्ठ

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्रीमती मैमूना सुल्तान ने ३० अप्रैल, १९६२ को दिल्ली के लाल किले के बाहर शरणार्थियों की झोपड़ियों में लगी आग की ओर जिसके फलस्वरूप सम्पत्ति की हानि हुई और लगभग १००० व्यक्ति बेघर बार हो गये, गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(३) श्री प्र० चं० बरुआ ने सशस्त्र नागा विद्रोहियों के एक दस्ते के, अपने नेता श्री ए० जेड० फिजो का ढाका में स्वागत करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान की ओर जाने के समाचार की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८७९

(एक) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत, कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक २१ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ४९२ ।

(दो) दिनांक २१ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ४९३ ।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् की वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१-६२ के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक एक प्रति ।

(४) दिल्ली नगर निगम एक्ट, १९५७ की धारा ४७९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक ३ अप्रैल, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ ३४/७/६२—दिल्ली–२, जिसमें दिल्ली चुंगी (संशोधन) नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

(दो) दिनांक ५ अप्रैल, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १९/१०८/६१—दिल्ली –२, जिसमें दिल्ली नगर निगम (कांउसिलरों का निर्वाचन) संशोधन नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

पृष्ठ

(४) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना जी० एस० आर० ४३६ में प्रकाशित सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(५) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ४३८

(ख) दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ४३९

(ग) दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ४४०

(घ) दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ४४१ ।

(६) व्यय कर अधिनियम, १९५७ की धारा ४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४४४ में प्रकाशित व्यय कर (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ८८०—८१

(१) गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने दिल्ली में मजिस्ट्रेटों और पुलिस की संख्या बढ़ाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २०५ पर श्री बलराज मधोक द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के २६ मार्च, १९६२ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक वक्तव्य दिया ।

(२) इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री त्रि० सुब्रह्मण्यम) ने बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ८८१—९१६

२६–४–१९६२ को श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी संशोधनों पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ९१६

पहला प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

बुधवार, २ मई, १९६२ / १२ वैशाख, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि —

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधान मंत्री का उत्तर तथा रेलवे आयव्ययक १९६२–६३ के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।

———

MGIPND—444(Ai)LSD—26-6-62—150